लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation 24-8-90
30-7-85
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 34 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol. XXXIV contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupee

(यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है) ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi)

विषय सूची/CONTENTS

अंक 23, बुधवार, 12 दिसम्बर, 1973/21 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 23, Wednesday, December 12, 1973/ Agrahayana 21, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
444	फिल्म वित्त निगम के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन	Re-constitution of the Board of Directors of the Film Finance Corporation . .	1—5
445	प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की समस्याओं का पता लगाने हेतु कार्यवाही समितियां	Action Committee to Identify problems of Priority Industries .	5—9
446	सीमा सुरक्षा बल में पदोन्नतियां	Promotions in BSF .	9—10
447	हरियाणा से पंजाब को सीमेंट ले जाने पर प्रतिबंध	Ban on export of Cement from Haryana to Punjab	10—12
448	पांचवी योजना में बिहार में उद्योगों कीस्थापना	Setting up of Industries in Bihar during Fifth Plan. . . .	12—14
449	ओंकार सिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस के आचरण के विरूद्ध की गई टिप्पणियां	Strictures passed against the conduct of Police in Onkar Singh's murder case	14—20
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QEESTIONS	
443	डिजाइन, अनुसंधान तथा विकास के सबंध में लघु उद्योगों की समस्याओं पर विचार करने हेतु राज्य स्तरीय समितियों का गठन	Formation of State level Committees to Examine Problems of Small Scale Industries in Respect of Designs, Research and Development .	21
450.	नई दिल्ली में एक ट्रेवल एजेन्सी के निदेशक की गिरफतारी	Arrest of a Director of Travel Agency in New Delhi . . .	21—22

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता०प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
451.	दादरा और नगर हवेली में उद्योगों के कार्यकरण की जांच	Enquiry into the working of industries in Dadra and Nagar Haveli .	22
452.	राज्यों की योजनाओं में कटौती	Cut in State Plans .	22
453.	पांचवी योजना को अंतिम रूप देने में विलंब	Delay in finalisation of Fifth Plan . . .	23
454.	दिल्ली में कुमारी प्रेम लता की मृत्यु संबंधी परिस्थितियों की जांच के लिये नियुक्त प्रशासनिक समिति के निष्कर्ष	Findings of the Administrative Committee appointed to look into the circumstances leading to the death of Miss Prem Lata at Delhi .	23—24
455.	उत्तर प्रदेश के लिये सीमेंट का कोटा	Cement quota for U.P. .	24—25
456.	संघ लोक सेवा आयोग को परीक्षाओं में बैठने के लिए शार्ट सर्विस कमीशन और इमरजैन्सी कमीशन से सेवा मुक्त हुए अधिकारियों की आयु सीमा की छूट देना	Age Concession for released Short Service Commissioned and Emergency Commissioned Officers for appearing in UPSC Examinations . .	25—26
457.	पटना में नये सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज	National Flag at New Secretariat Building in Patna . . .	26
458.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को व्यक्तियों का प्रव्रजन	Migration of persons to Andaman and Nicobar Islands . . .	26—27
459.	दिल्ली में रेलवे डाक-सेवा कर्मचारियों द्वारा बारी बारी से भूख हड़ताल	Relay Hunger Strike by RMS Workers in Delhi	27
460.	टेलीफोन आपरेटरों तथा एल० एस० जी० मानीटरों के लिए मनोविज्ञानिक परीक्षण	Psychological Tests for Telephone Operators and LSG Monitors .	27—28
461.	उड़ीसा में पुलिस-नक्सलवादी सांठ-गांठ	Police Naxalite links in Orissa . . .	28
462.	चीन और जापान की भांति ग्रामों में उद्योगों की स्थापना	Industries in villages on the pattern of China and Japan . . .	28—29

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4342.	नेशनल मैटालर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर में अधिकारियों की मुअत्तली/नौकरी समाप्ति	Suspension/Termination of Jobs of Officers in National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur . .	29
4343.	मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरीबी से नीचे स्तर पर जीवन यापन कर रहे व्यक्ति	People living below poverty line in various Districts of M.P. .	29—31
4344.	राज्यों में यूरेनियम के निक्षेप	Uranium Deposits in various States . .	31
4345.	मध्य प्रदेश के बाण सागर बाँध का परियोजना प्रतिवेदन	Project Report on Ban Sagar Dam in Madhya Pradesh . . .	31—32
4346.	रीवा, गोविन्दगढ़ के श्वेत शेरों (टाइगर) पर डाक टिकट	Stamp on Govindgarh White Tigers of Rewa .	32
4347.	रीवा (मध्य प्रदेश) में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station at Rewa, Madhya Pradesh . .	32
4348.	रीवा और सिधी में उद्योगों की स्थापना हेतु आवेदन-पत्र	Applications for Rewa and Sidhi for Setting up Industries . .	33
4349.	अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों को स्थायी बनाना	Conversion of Temporary Telephone connections into Permanent Ones .	33
4350.	मूल विज्ञानों में अनुसंधान कार्य	Research in Basic Sciences . . .	33—34
4351.	विदेशी फर्मों की तुलना में भारतीय फर्मों को लाइसेंस देना	Issue of Licence to Indian Firms in Preference to Foreign Firms . .	34
4352.	सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करने का आधार	Bases on which the C.O.B. Licences issued . .	34—35
4353.	उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख उद्योगों का विकास	Development of Export Oriented Industries in U.P. . . .	35
4354.	मध्य प्रदेश में चर्म उद्योग	Hide Industry in M.P. .	35
4355.	औद्योगिक लाइसेंसों के लिये मध्य प्रदेश के विचाराधीन पड़े आवेदन पत्र	Pending Applications from Madhya Pradesh for Industrial Licences .	36

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4356.	मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस आशय-पत्र जारी करना	Issue of Licences/Letters of intent for setting up industries in Chattisgarh Area, M.P. . .	36—37
4357.	मध्य प्रदेश सर्किल में लाइनमैनों के रिक्त पद	Vacant posts of Linesmen in Madhya Pradesh Circle . .	37
4358.	देश में अपने स्वैच्छिक दल चलाने वाले राजनैतिक दल	Name of the Political Parties whieh are running their own Volunteer Forces in the country	37—38
4359.	काश्मीर के लिये विशेष दर्जे के संबंध में शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य	Statement by Sheikh Abdullah Regarding Special Status for Kashmir . .	38
4360.	केरल की अखबारी कागज परियोजना के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Requirement of Kerala Newsprint	38
4361.	अलवाये स्थित इंडियन रेअर अर्थ के लिये प्रस्तावित अनुसंधान प्रयोगशाला को किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करना	Shifting of Reseach Laboratory for Indian Rare Earths from Alwaye .	39
4362.	इंडियन रेअर अर्थ के उत्पादों की एजेन्सियों द्वारा बिक्री	Sale of product of Indian Rare Earth through Agencies . . .	39—40
4363.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के परिणामस्वरूप हुए जाने तथा माल की हानि का मुआवजा देने की योजना	Scheme to grant Compensation to persons of Scheduled Castes/Secheduled Tribes for the loss of life and property as a result of Atrocities Committed on them	40
4364.	शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita income in Urban and Rural Areas .	40
4365.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो में पुलिस अधिकारियों को दैनिक भत्ता दिया जाना	Payment of Daily Allowance to Police Officials in CBI	40—41
4366.	परमाणु खनिज डिवीजन को दिल्ली से हैदराबाद स्थानान्तरित करना	Shifting of Atomic Minerals Division from Dlhi to Hyderabad . .	41—42

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4367.	एल्युमीनियम कंडक्टरों की क्षमता	Capacity of Aluminium Conductors . . .	42—43
4368.	आवश्यक वस्तुओं के लिये दोहरी विपणन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव पांचवी योजना में शामिल करना	Introduction of Dual Market System for Essential Commodities in Fifth Plan . . .	43
4369.	पांचवी योजना पर विशेष वार्ता का प्रसारण .	Broadcasting of special features of Fifth Plan	43
4370.	आयकर विभाग और ज्वाइंट साइफर ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके वेतनमान के संबंध में संरक्षण देने के निलम्बित मामले	Pending cases of senior officers in Income Tax Department and Joint Cypher Bureau for Protection of their Pay	44
4371.	आयोडिन युक्त नमक	Iodinized Salts .	44—45
4372.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद कर्मचारी एसोशिएशन से अभ्यावेदन	Memorandum from National Productivity Council Employees Association . . .	45—46
4373.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा मुद्रणालय का बन्द किया जाना	Closure of Printing Press by National Productivity Council .	46—47
4374.	वृद्ध तथा अपंग स्वतंत्रता सेनानियों के लिये दिल्ली में एक विश्राम गृह बनाने की योजना	Scheme for the Construction of Rest House in Delhi for Old and Disabled Freedom Fighters	47
4375.	"टैक्नोक्रेट्स" और "जर्नलिस्ट्स" के बीच असमानता	Disparity between Technocrats and Generalists . .	47—48
4376.	ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने हेतु लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिये योजना के कार्यान्वयन में विलंब	Delay in Execution of Schemes for Small and Medium Industries to provide Employment in Rural and Urban Areas	48
4377.	बुन्देलखंड के विकास के लिये नियुक्त समिति	Committee Appointed on the Development of Bundelkhand . .	48—49
4378.	श्रृंगार सामग्री तथा साबुन तेल आदि में हेक्सक्लोरोफीन के प्रयोग पर रोक	Ban on the use of Hexachlorophene in Cosmetics and Toilets . . .	

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4379.	ऊर्जा उत्पादन के लिये ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद द्वारा बनायी गयी योजनायें	Plans prepared by Fuel Research Institute Dhanbad for producing Energy . . .	49—50
4380.	दिल्ली में बंदियों के लिये श्रेष्ठतर रहन-सहन तथा काम करने की दशाओं की योजना	Plan for better living and working conditions for Convicts in Delhi .	50
4381.	शिक्षित बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों के लिये सरकारी कार्यालयों में पदों का आरक्षण	Reservation of Posts in Government Offices for Educated Unemployed Handicapped Persons .	50—51
4382.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा राज्य निगमों द्वारा चलाई जाने वाली कपड़ा मिलों के श्रमिकों की बकाया मजूरी का भुगतान	Payment of Arrears of Wages of Workers by Textile Mills run by National Textile Corporation and State Corporations . .	51
4383.	मंत्रियों के दौरों पर किये गये व्यय में राज्य सरकारों का हिस्सा	Share of State Governments in Expenditure incurred on Tours of Ministers . . .	52
4384.	कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि	Growth in Gross National Product . . .	53
4385.	स्वदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी-मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Foreign Companies	53
4386.	पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों की प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in Backward Districts of Eastern U.P. . .	53—54
4387.	दिल्ली में विदेशी मुद्रा की जालसाजी करने वाले गिरोह	Foreign Currency Racket in Delhi . . .	55
4388.	चुने गये पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार की योजना	Scheme in Regard to Expansion of Industries in Selected Backward Areas . . .	55
4389.	हरिजन परिवारों के लिये आवास योजना	Housing Scheme for Harijan Families .	56

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4390.	भंडारण-जलाशयों के बारे में सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट, नागपुर द्वारा किया गया अध्ययन	Study conducted by Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur on Storage-Reservoirs .	56
4391.	हरिजनों के लिये पृथक होस्टल और पृथक कालोनियां न बनाने की नीति	Policy not to set up Separate Hostels and Separate Colonies for Harijans . . .	56—57
4392.	भारी जल के उत्पादन के लिये परियोजनाओं की स्थापना करना	Setting up of Projects for Production of Heavy Water . . .	57
4393.	भूमिगत अणु विस्फोटों के माध्यम से सिलातैल (शैल आयल) का उत्पादन	Production of Shale oil through Underground Nuclear Blasts . .	58
4394.	"मैगनेटो-हाइड्रो-डाइनैमिक्स" पर आधारित बिजली उत्पादन की प्रक्रिया	Process for power Generation based on Magneto Hydro Dynamics . . .	58—59
4395.	समुद्री जल के खारेपन को दूर करना	Desalination of Sea Water	
4396.	पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Eastern U.P. . .	59
4397.	दिल्ली प्रशासन में टंकण प्रशिक्षकों आशुलिपि प्रशिक्षकों, कनिष्ठ तथा वरिष्ठ लेक्चरारों के वेतनमानों में विषमता	Disparity in Pay Scales of Typing Instructors, Stenography Instructors, Junior and Senior Lecturers in Delhi Administration . .	60
4398.	देश म तार कार्यालय	Telegraph Offices in the Country . . .	61—63
4399.	श्रीनगर में हुए उपद्रवों में पाकिस्तानी एजेंटों का हाथ होना	Involvement of Pakistani Agents in Srinagar disturbances . .	64
4400.	सीमा सुरक्षा दल में अधिकारियों का स्थायी बनाया जाना	Confirmations in BSF	64
4401.	चिंतपुरनी (हिमाचल प्रदेश) में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange at Chintpurni (H.P.) .	65
4402.	पंजाब सर्किल में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchanges in Punjab Circle . .	66

अता॰ प्र॰ संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4404.	प्रधानमंत्री द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन	Violation of Traffic Rules by Prime Minister .	66—67
4405.	ग्रेटर कैलाश, दिल्ली में समुद्रपारीय संचार केन्द्र	Overseas Communications Centre in Greater Kailash, Delhi . .	67
4406.	ओंकार सिंह हत्या काण्ड में कुछ पुलिस अधिकारियों को मृत्यु दंड	Penalty of Death Sentence Awarded to Police Officials in Onkar Singh's Murder Case .	68
4407.	पुलिस तथा अन्य विभागों को हत्या के मामलों की जांच करने में सर्तक रहने संबंधी आदेश	Issue of orders to Police and other Departments to be vigilant in dealing with murder cases .	68—69
4408.	कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती का अधिकार संघ लोक सेवा आयोग से ले लेने का प्रस्ताव	Proposal to take away Recruitment of Agricultural Scientists from the purview of UPSC .	69
4409.	राजस्थान और तारापुर बिजली घरों से दी गई बिजली की प्रति यूनिट दर में भिन्नता	Variation in cost of power per unit from Rajasthan and Tarapur Atomic Stations . . .	69
4410.	दादरा और नगर हवेली के कलक्टरों के कर्त्तव्य	Duties performed by Collectors of Dadra and Nagar Haveli .	70
4411.	बढ़ती हुई आर्थिक विषमता	Widening Economic Disparity . . .	70
4412.	बड़े उद्योग-गृहों की आर्थिक शक्ति पर अंकुश	Curb on Economic Power of large Industrial Houses . . .	70—71
4413.	पांचवी योजना में संसाधनों का उपयोग	Use of Resources during Fifth Plan . . .	71—72
4414.	अंतरिक्ष-योजनाओं पर व्यय	Expenditure on Space Schemes . . .	72
4415.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में वर्ष 1972–73 में कर्मचारियों को दिया गया समयोपति भत्ता	Payment of Overtime Allowance to the employees in the Ministry of Information and Broadcasting during the year 1972-73 .	72—73
4416.	औद्योगिक विकास मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी	Temporary employees in Ministry of Industrial Development . .	73

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4417.	दिल्ली पुलिस में सब-इन्सपेक्टरों की पदोन्नति	Promotion of Sub-Inspectors in Delhi Police	73—74
4418.	मैसर्ज केडबरी एंड कम्पनी, हिन्दुस्तान लीवर यूनियन कार्बाइड और सिंगर विंग मशीन कम्पनी का मुख्य कारोबार	Line of Business of M/s. Cadbury and Company, Union Carbide and Singer Sewing Machine Company . . .	74—75
4419.	'वाई अनसाल्व्ड क्राइम—इट इज इलिमेंट्री: नो रियल स्लूथ इन दिल्ली' शीर्षक से समाचार	News Report entitled "Why Unsolved Crime—It is Elementary : No Real Sleuths in Delhi"	75—76
4420.	औद्योगिक लाइसेंसों के लिये बिहार से प्राप्त आवेदन	Application from Bihar for Industrial Licences .	76
4421.	भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण	In Service Training of IPS Officers . .	77
4422.	बिहार सर्किल के टेलीग्राफ इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सा बिलों का भुगतान	Payment of Medical Bills to Staff of Telegraph Engineering Arm of Bihar Circle	77
4423.	पटना टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Patna Telephone District	77—79
4424.	बिहार सर्किल में टेलीफोन आपरेटरों के पदों पर नियुक्तियां	Appointments to posts of Telephone Operators in Bihar Circle . .	79—80
4425.	फिल्म समारोह निदेशालय और टी० वी० फिल्म प्रोड्यूसिंग केन्द्र	Film Festival Directorate and T.V. Film Producing Centres .	80
4426.	एशियन इलैक्ट्रानिक्स मेला	Asian Electronics Fair	81
4427.	कृष्णनगर के मुख्य डाकघर में एक राजनीतिक बैठक	Political Meeting in Head Post Office of Krishan Nagar . . .	81—82
4428.	सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा पदोन्नति की जाँच के लिये न्यायिक प्राधिकार का गठन	Constitution of a Judicial Authority to look into Reservation and Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services .	82

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4429.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु वित्त निगम की स्थापना	Setting up a Finance Corporation for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes .	82
4430.	केरल न्यूजप्रिंट परियोजना	Kerala Newsprint Project	82—83
4431.	पुलिस सुधारों संबंधी गोरे समिति का प्रतिवेदन	Gore Committee Report on Police Reforms .	83
4432.	सौलर शक्ति के प्रयोग के बारे में अनुसंधान संस्था, जोधपुर द्वारा किया गया आविश्कार	Discovery made by Research Institute, Jodhpur on use of Solar Energy . . .	83—84
4433.	कागज निर्यातात्रों के लिये 'समूचे संयंत्र और उपकरण' के आयात पर प्रतिबंध	Ban on import of whole plant and equipment for paper manufacturers .	84
4434.	कूच बिहार के मुख्य डाकघर के लिये इमारत	Building for Cooch Behar Head Post Office .	84—85
4435.	सीमा सुरक्षा दल के कमोडेंट का कूच बिहार शरणार्थी सेवा से सम्बद्ध होना	Association of a BSF Commandant with Cooch Behar Refugee Service.	85
4436.	पश्चिम बंगाल में दलखोला में ताप बिजली परियोजना	Thermal Power Project at Dalkhola in West Bengal	85—86
4437.	देवनहाट में पब्लिक काल आफिस	Public Call Office at Dewanhat . . .	86
4438.	उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये व्यापारियों को सहायता	Assistance to businessmen for Establishment Industries in backward areas of Orissa .	86—87
4439.	औद्योगिक तोड़-फोड़ की घटनायें	Instances of industrial sabotage . . .	87
4440.	चौथी योजना में आणविक बिजली उत्पादन में कमी	Shortfall in nuclear power generation during Fourth Plan . . .	87
4441.	दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन बजट में कटौती	Cut in the advertisement budget of directorate of audio-visual publicity .	87—88
4442.	चांदनी चौक, दिल्ली में एक हरिजन को चाय न देने पर व्यक्तियों की गिरफ्तारी	Arrest of persons in Chandni Chowk, Delhi for not serving tea to Harijans . , .	88

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4443.	औद्योगिक लाइसेंस देने के बारे में परामर्श दाता और औद्योगिक विकास सेवा की रिपोर्ट	Report of Consultant and Industrial Development Service on Industrial Licensing . . .	88
4444.	पांचवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन	Production of Essential Commodities in Public Sector during Fifth Plan	88—89
4445.	कोटा (राजस्थान) में सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की पद्धति	Direct dialling system in Kotah (Rajasthan) .	89
4446.	औद्योगिक विकास मंत्रालय के सरकारी उपक्रमों में समान मंजूरी	Uniform wages in public undertakings in Ministry of Industrial Development . .	89
4447.	आकाशवाणी के माध्यम से उर्दू को लोक प्रिय बनाना	Popularisation of Urdu through AIR . .	90
4448.	विद्रोही नागाओं का अपने नेता श्री फिजो के साथ सम्पर्क	Contact of Rebel Nagas with their Leader, Mr. Phizo . . .	90
4449.	गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों का "यौन कांड" में कथित अंतग्रस्त होना	Alleged involvement of officials of the Home Ministry in sex Scandal.	91
4450.	रामपुरबुशहर (हिमाचल प्रदेश) में मुख्य डाकघर का कार्यालय-भवन	Head Post Office Building at Rampur Bushahar (H.P.) . . .	91—92
4451.	गरीबी से नीचे के स्तर पर जीवन यापन करने वालों के स्तर को ऊंचा उठाना	Upliftment of people living below poverty line .	92
4452.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के अध्यक्ष का त्यागपत्र	Resignation of Chairman of National Design Institute, Ahmedabad .	92—93
4453.	अहमदाबाद में ट्रंक सेवाओं का कार्यकरण	Functioning of Trunk Services in Ahmedabad.	93—94
4454.	पूंजी निवेश में गिरावट का मूल्यों पर प्रभाव	Effect of Fall in Investment on Price .	94—95
4455.	गुजरात के बाढ़ से प्रभावित उद्योगों की सहायता	Assistance to Flood hit industries in Gujarat .	95

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4456.	रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली स्थित बालाजी मन्दिर के पुजारी की हत्या	Murder of a pujari of Balaji Temple, R. K. Puram, New Delhi .	95—96
4457.	पिलानी में एक इलैक्ट्रानिक्स संस्थान की स्थापना करने के हेतु राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की मांग	Request by Rajasthan Government for Financial Aid for setting up an Electronics Institute at Pilani	96
4460.	उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	Distribution of consumer Goods by Industrialists.	97
4461.	हौजरानी गांव, नई दिल्ली में हरिजनों पर आक्रमण	Attack on Harijans in Hauz Rani Village, New Delhi	97
4462.	वाणिज्य मंडलों के कृत्यों पर नियंत्रण	Control on Functioning of Chamber of Commerce .	97—98
4463.	क्रास-बार प्रणाली के कारण शिकायतें	Complaints due to Cross Bar System. . .	98
4464.	बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में बड़े व्योपार गृहों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to large Houses in Backward Areas of Bihar . .	99
4465.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा नकद राशि देकर प्रोत्साहन	CSIR Cash Incentives .	99
4466.	स्वतंत्रता सेनानियों को हुई कठिनाइयाँ	Difficulties experienced by Freedom Fighters .	100
4468.	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को छूट देने का परिणाम	Result of Concession to Industries in Backward Areas . . .	100—101
4469.	तेल संकट की स्थिति में विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थाओं को सौंपा गया कार्य	Task assigned to Science and Technological Institutes in context of oil crisis . .	101
4470.	विदेशी फर्मों के विस्तार के लिये आशय पत्रों के जारी किये जाने के बारे में लाइसेंस देने संबंधी समिति का निर्णय	Decision of Licensing Committee Re-Issue of Letter of Intent for expansion of Foreign Firms	101—102
4471.	विदेशी फर्मों को अनापत्ति पत्र जारी करने की अनुमति देनां बंद करना	Discontinuance of Issuing No Objection letters to Foreign Firms . .	102
4472.	अनापत्ति पत्रों के आधार पर फर्मों द्वारा क्षमता का विस्तार	Expansion of Capacity by Firms on the basis of No Objection Letters .	102—103

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4473.	मिराज तथा जयसिंह पुर को सांगली टेलीफोन केन्द्र में सम्मिलित करने की मांग	Demand to include Miraj and Jaysingpur in Sangli Telephone Exchange	103
4474.	सांगली में टेलेक्स एक्सचेंज	Telex Exchange of Sanghli	104
4475.	महाराष्ट्र को ट्रंक के टायरों की सप्लाई	Supply of Truck Tyres in Maharashtra	104
4476.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित होने वाले वाणिज्यिक विज्ञापनों से होने वाले आय में से अपना हिस्सा मांगना	Sharing the Income of AIR Stations on Commercial Advertisement by Maharashtra Government . .	104—105
4477.	खराब पड़े सार्वजनिक टेलीफोन	Public Telephones which went out of order .	105
4478.	अमृतसर टेलीविजन केन्द्र से हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित करना	Telecast of Hindi Programmes from Amritsar T.V. . .	105—106
4479.	कैनानौर में टेलीग्राफ डिवीजन	Telegraph Division at Cannanore . .	106
4480.	पुनालौर, केरल के टेलीफोन ग्राहकों से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum received from Telephone Subscribers of Punalur, Kerala . .	106
4481.	समय से पूर्व रिहा कर दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन लेने की पात्रता	Eligibility of Freedom Fighters Pre-Maturely released	107
4482.	अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill	107
4483.	पांचवीं योजना का प्रारूप	Draft Fifth Plan	107—108
4484.	अहमदाबाद में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Ahmedabad	108
4485.	गुजरात फर्टीलाइज़र्स कम्पनी लि० बड़ौदा, द्वारा 'मेलामाइन प्रोडक्सन प्रोजैक्ट" की स्थापना	Setting up of Melamine Production Project by Gujarat Fertilizers Co. Ltd., Baroda	109
4486.	उड़ीसा में लाइसेंसों तथा आशय पत्रों का जारी किया जाना	Issue of Licences and Letters of Intent in Orissa .	109—110

अता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4487.	दिल्ली में डाकघरों से तारों मनी-आर्डरों और रजिस्टर्ड पत्रों का भेजा जाना	Sending Telegrams, Money Order and Registered Letters from Post Offices in Delhi . . .	110—111
4488.	दिल्ली में जेब कटने के मामले	Pick pocketing cases in Delhi	111
4489.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी में उच्च तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध में राज सहायता के भुगतान में भेदभाव	Discrimination in payment of Subsidy on Superior and Subordinate Staff in the Central Government Employees Consumer Cooperative Society .	112
4490.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी को सरकार द्वारा दिया गया ऋण	Loan given by Government to the Central Government Employees Consumer Cooperative Society . . .	112—113
4491.	बिहार में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Arrears of Telephone Bills in Bihar . .	113
4492.	संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए क्षेत्र	Area is for setting up of Industries in Joint Sector . . .	114
4493.	बिहार के नगरों में स्वचालित टेलीफोन प्रणाली	Automatic Telephone system in cities of Bihar . . .	114
4494.	"इंडिया एंड दी नागाज़" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित रिपोर्ट	Report entitled India and the Nagas . . .	114—115
4495.	विभिन्न विदेशी दूतावासों द्वारा राजनीति प्रयोजनार्थ भारतीय समाचार पत्रों को समाचार भेजना	Sending of News items to Indian Newspapers by different Foreign Embassies for Political Purposes . . .	115—116
4496.	रूसी, और अमरीकी दूतावासों द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक तथा अन्य सापत्हिक पत्रिकाएं और साहितय	Weeklies, Periodicals and Literatures Published by Russian and USA Embassies . .	116
4497.	पश्चिम बंगाल में कारखानों की स्थापना करने उनका विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के लिए फर्मों से प्रार्थना पत्र	Applications from firms for Industrial Licences for expansion/setting units in West Bengal . .	117

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4499.	छोटे तथा मध्यम एककों संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Small and Medium Units . . .	117
4500.	धौलपुर (राजस्थान) में टायर और ट्यूबों के निर्माण के लिए आशय पत्रों का जारी किया जाना	Issue of letter of Intent to manufacture tyres and tubes in Dholpur (Rajasthan) . .	118
4502.	दिल्ली टेलीविजन सलाहकार समिति का गठन	Constitution of Delhi Television Advisory Committee . . .	118—120
4503.	आकाशवाणी के 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम लिखने के लिए धन की अदायगी	Payment of Money for Writing spot light programme of AIR .	120
4504.	केरल के ग्रामों में डाकघर	Post Offices in villages of Kerala . . .	121
4505.	क्विलोन जिले में टेलीफोन कनैक्शन	Telephone connections in Quilon District . .	121—122
4506.	केरल के क्विलोन जिले का विकास	Development of Quilon District of Kerala .	122
4507.	केरल को लाइसेंस/आशय पत्रों का जारी किया जाना	Issue of Licence/Letter of Intent to Kerala .	122
4508.	'कार्य स्थल के निकट बने क्वार्टरों' (एटैच्ड टू दा पोस्ट क्वार्टर) का आवंटन	Allocation of "Attached to the Post Quarter"	122—123
4509.	राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के 'ब्रीफकेस से दस्तावेजों का गुम हो जाना	Documents Lost from the Brief Case of Former Rajasthan Chief Minister . . .	123
4510.	बड़ौदा में भारी जल परियोजना के लिए अमोनिया हाईड्रोजन कालम	Ammonia Hydrogen Column for Heavy Water Project in Baroda . . .	124
4511.	कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा शाखायें खोला जाना	Setting up of Branches by Coca Cola Export Corporation . .	124—125
4512.	श्रीमति सुमित्रा देसाई के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI Inquiry into Sumitra Desai's Case . .	125
4513.	वर्ष 1971 में जनगणना कार्य में लगे कर्मचारी	Persons engaged in 1971 Census Work . .	125—126

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4514.	उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मनीपुर और नागालैंड चुनाव अभियान में पोस्टरों के मुद्रण के लिए राजनीतिक दलों को अखबारी कागज के विशेष कोटे का आवंटन	Allocation of Newsprint Special Quota for Political Parties for Printing posters in U.P. Orissa, Manipur and Nagaland Election Campaign .	126—127
4517.	तिरुपति में मोटरगाड़ी बैटरी एकक की स्थापना	Automobile battery unit in Tirupathi . .	127
4518.	आंध्र प्रदेश में टेलेक्स एक्सचेंज केन्द्र	Telex Exchange centres in Andhra Pradesh . .	127—128
4519.	रेडियो सक्रिय परमाणु अवशिष्टों का निपटान	Disposal of Radio active Nuclear Wastes	128
4520.	बिहार के चम्पारन जिले की सुरक्षा	Security of Champaran District, Bihar .	128—129
4521.	देश में टेलीफोन व्यवस्था का कार्यकरण	Working of Telephones in the Country . .	129
4522.	इम्फाल में आकाशवाणी भवन का निर्माण	Construction of an AIR Building in Impha'	130
4523.	मनीपुर के लिए पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार देने संबंधी कार्यक्रम	Half a million jobs programme for Manipur . . .	130—131
4524.	मनीपुर में कागज उद्योग	Paper Industry in Manipur . . .	131
4525.	मनीपुर में अधिकारियों को आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदनोन्नत किया जाना	Promotion of Officers to and IPS in Manipur .	131—132
4526.	इम्फाल में स्वचालित एक्सचेंज और मनीपुर में अधिक राशि के बिल बनाने के बारे में शिकायतें	Automatic Exchange at Imphal and complaints over billing in Manipur	132—133
4527.	राजस्थान बिजली घर से परमाणु बिजली	Nuclear power from Rajasthan Atomic Station . . .	133
4528.	शिवाजी के राज्यभिषेक की तीसरी शती समारोह पर डाक टिकट जारी करना	Stamp on Tricentenary celebration of coronation of Shivaji . . .	133
4529.	बम्बई-नागपुर और नागपुर दिल्ली के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct dialing between Bombay Nagpur, and Nagpur-Delhi . .	134

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
4530.	अंतरिक्ष में उपग्रह के रुकने का अनुमानित समय	Estimated time for satellite to remain in Space . . .	134
4531.	एफ लिस्ट (इंस्पेक्टरों) में पदोन्नति के लिए दिल्ली में पुलिस इंस्पक्टरों को स्थायी किया जाना	Confirmation of Police Inspectors in Delhi for promotion to F-list (Inspectors). . .	134—135
4532.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का वार्षिकोत्सव	Annual function celebrations of CRP .	135
4533.	हिमाचल प्रदेश में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिये विदेशी परामर्शदाता	Foreign consultant for cement plant in Himachal Pradesh .	136
4534.	पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण	Reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the posts filled by promotion . . .	136—137
4535.	पंजाब को एल्यूमीनियम का आवंटन	Allocation of Aluminium to Punjab	137
4536.	रोजगार और जनशक्ति संबंधी स्टीयरिंग ग्रुप द्वारा किया गया कार्य	Work done by Steering Group on Employment and Manpower . . .	137
4537.	अमरीका तथा अन्य देशों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Telephone Dialing to USA and other countries . .	138
4538.	सिरसापुर (दिल्ली) की एक लड़की की हत्या	Murder of a Girl of Siraspur, Delhi . .	138
4539.	पिछड़े क्षेत्रों का द्रुत विकास	Intensive Development of Backward Areas	139
4540.	विदेशी सहयोग के बारे में दत्त समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्यवाही	Action on suggestions made by Dutt Committee on foreign collaboration . .	139—140
4541.	ड्राई सैलों में टिनी कार्बन इलैक्ट्रोड	Tiny Carbon Electrode in dry cells . . .	140
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	141
	तूफान के कारण सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के 'सोनावती' जहाज के गुम हो जाने का समाचार और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	S. S. '*Sonavati*' reported missing owing to cyclone and steps taken by Government in regard thereto . . .	141

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. No. विषय	SUBJECT	PAGES
श्री एस० एम० बनर्जी :	Shri S, M. Banerjee .	142
श्री कमलापति त्रिपाठी	Shri Kamlapati Tripathi	142
स्थसन स्ताव आदि के बारे में	Re-Adjournment Motions etc.	143
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	146
विधान सभा का सत्र बुलाने में उत्तर प्रदेश के राज्य पाल की कथित असफलता के बारे में	Re-Alleged failure of U.P. Governor to Summon Legislative Assembly .	146
मोदी फलोर मिल्स के गोदामों में 1500 क्विंटल गेहूं की क्षति के बारे में वक्तव्य	Statement re. Destruction of 1,500 Quintals of wheat in the godowns of Modi Flour Mills .	148
श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे मनीपुर में छात्र आंदोलन के बारे में	Shri Annasaheb P. Shinde Re. Student's Agitation in Manipur . . .	148
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1973-74, विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (General), 1973-74—Statement presented . . .	149
दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक खंड 167, 360 और 1	Code of Criminal Procedure Bill Clauses 167, 360 and 1 . . .	150—158
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended . . .	158
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaya .	158
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla .	159
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joordar	159
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao .	161
श्री आर० बी० बड़े	Shri R. V. Bade .	161
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	161
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha .	161
भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के बारे में प्रस्ताव	Motion re. working of the Food Corporation of India	162
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Bajpayee	162
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata ,	164
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta . .	166

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. No. विषय	SUBJECT	PAGES
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . . .	167
श्री एस० एम० बैनर्जी	Shri S.M. Banerjee .	169
श्री वायालार रवि	Shri Vayalar Ravi .	169
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan .	171
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	172
आधे घंटे की चर्चा	Half an-Hour Discussion .	174
शेयरों के मूल्य में वृद्धि	Rise-in Share Prices	174
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	174
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh .	178

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 12 दिसम्बर, 1973/21 अग्रहायण, 1895 (शक)

Wednesday, December, 1973 Agrahayana 21, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फिल्म वित्त निगम के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन

444. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिए हाल ही में फिल्म वित्त निगम के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके सदस्य कौन कौन है तथा उन्हें नियुक्त करते समय क्या मापदंड अपनाया गया ?

(क) जी, हां।

(ख) फिल्म वित्त निगम के निदेशक मण्डल को निम्न प्रकार पुनर्गठन किया गया है :

1. श्री बी० के० करंजिया — अध्यक्ष
2. श्री ऋषिकेश मुखर्जी — निदेशक
3. श्री एन टी वसुदेव नय्यर
4. श्रीमती तेजी बच्चन

5. श्री अली सरदार जाफरी	निदेशक
6. श्री डी० पी० आनन्द	निदेशक
7. श्री तपन सिन्हा	निदेशक
8. श्री डी० के० रगनेकर	निदेशक
9. श्री हरिश्चन्द्र खन्ना	निदेशक

निगम के निदेशकों का चयन कला में उनकी रुचि तथा सिनेमा और प्रबन्ध के क्षेत्र में उनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाता है ।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या फिल्म वित्त निगम द्वारा वह उद्देश्य प्राप्त हो जायेगा जिसके लिये इसकी स्थापना की गयी थी और क्या यह फिल्म उद्योग के लिये वित्त की व्यवस्था करके सहायता देगा ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि समूचे रूप से उद्योग का प्रतिनिधित्व के लिये कितने फिल्म निर्माताओं को लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस तथ्य को देखते हुए, कि लोगों द्वारा काफी अधिक आरोप लगाये गये हैं कि दक्षिणी फिल्मों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया है अथवा नहीं ? यदि हां तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बोर्ड का गठन करते समय उस बात का ध्यान रखा गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : जहां तक दक्षिणी भारत का संबंध है, हम ने श्री वासुदेवन को निदेशक बोर्ड में लिया है । वह निदेशक बोर्ड के सदस्य हैं । दूसरा जहां तक निर्माताओं को प्रतिनिधित्व देने का संबंध है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वह निदेशक हैं, अथवा निर्माता या अभिनेता ?

श्री आई० के० गुजराल : श्री वासुदेवन एक सुविज्ञ व्यक्ति, एक लेखक और एक फिल्म निदेशक भी हैं । सामान्यतः हम सक्रिय निर्माताओं को निदेशक बोर्ड में लेने के पक्ष में नहीं हैं । निदेशक बोर्ड में सुविज्ञ व्यक्ति शामिल किये जाते हैं जो फिल्मों के बारे में जानते हैं और जो स्वयं अपने व्यक्तिगत अधिकार और सबद्ध क्षेत्र में प्रतिष्ठा के कारण ही इसमें शामिल किये जाते हैं । हम सामान्यतः उन निर्माताओं को नही लेते जिनका वित्तीय हित होता है ।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ? कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है, क्योंकि 1960 से 1970 के बीच केवल तीन कन्नड़ फिल्मों को भारतीय चलचित्र निगम द्वारा वित्तीय सहायता दी गयी है । इन सब तथ्यों को देखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह आवश्यक नहीं है कि विशेषकर दक्षिणी भागों में बननी वाली फिल्मों को सभी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न निदेशक बोर्ड के गठन के बारे में है ।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : जहां तक फिल्मों के वितरण तथा प्रदर्शन का सम्बन्ध है, मैं इस प्रथा को देखते हुए मैं यह पूछ रहा हूं । निगम ने इन फिल्मों को प्रोत्साहन देना उचित समझा है । अतः, मैं यह पूछ रहा हूं कि बोर्ड का पुनर्गठन करते समय इस विशेष पहलू पर ध्यान दिया गया है ? यदि हां तो, इस सबंध में क्या किया गया है, क्योंकि इस सबंध में क्षेत्रीय निर्माताओं की ओर से मंत्रालय को बार बार अभ्यावेदन दिये गये हैं ? इस बात को देखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या निर्माताओं को प्रोत्साहन दिया गया है और क्या उन्हें निदेशक बोर्ड में लिया गया है, क्योंकि जोर इस पर दिया गया है

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सीधा प्रश्न पूछें, तो बेहतर होगा ।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक किसी क्षेत्र के निर्माताओं का प्रतिनिधित्व देने का सम्बन्ध है, मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हम केवल इस कारण से ही निर्माताओं को बोर्ड में नहीं लेते कि वे निर्माता हैं, अपितु इस कारण से उन्हें लिया जाता है कि वे योग्यता प्राप्त व्यक्ति हैं । इस सरकारी क्षेत्र के निकाय में जिसमें हम फिल्मों से संबधित सबद्ध क्षेत्रों में सुविज्ञ व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देते हैं । जहां तक कन्नड़ फिल्मों को दिये गये अधिक ऋणों का संबंध है, मैं इस तथ्य की अवश्य सराहना करता हूं कि कन्नड़ की बहुत अच्छी फिल्में बनायी गयी हैं, विशेषकर कि उन फिल्मों की सराहना करता हूं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुयी है । मूल रूप से कठिनाई यह है कि फिल्म वित्त निगम के पास कुल उपलब्ध धन बहुत ही सीमित है और गत अनेक वर्षों के लिये कुल आर्थिक सहायता 2 करोड़ रुपये से नहीं वढ़ी है । और धन के रूप जो कुछ भी सहायता उपलब्ध होती है, उसे देश भर के लिये देना होता है और इसलिये यह स्थिति कठिन हो जाती है । किसी भी मामले में सुझाव की जांच पड़लाल पर ही ऋण दिये जाते हैं और न कि क्षेत्रवार ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, The Hon'ble Minister has just now stated that Shri Rishikesh Mukherjee, who is a good Director, has been included in the Board which has been constituted. Shrimati Teji Bachan has also been included in the Board, so I want to know that whether there would not be any difficulty for the Board in taking any decision in regard to applications regarding films connected with Shri Rishikesh Mukherjee and Amitabh Bachan who is a good actor? Secondly whether it is a fact that cinema halls, are not available for the exhibition of films which are produced with the assistance of loans, if so, the action proposed to be taken by the Government to solve this problem ?

Mr. Speaker : This question should be raised later on separately.

श्री आई० के गुजराल : मैं दूसरी बात को पहले लूंगा । मैं अवश्य ही इस बात की सराहना करता हूं । मुझे आशा है कि आप एक बता की सराहना करेंगें, बेशक अच्छी फिल्मों के लिए फिल्म निगम द्वारा धन की व्यवस्था की गयी, किन्तु दुर्भाग्यवश प्रदर्शन की दृष्टि से हमें कठिनाई अनुभव हो रही है । और इसी कारण से हम दो बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तो यह कि फिल्म वित्त निगम के अपने सिनेमाघर होने चाहिये जहां इन फिल्मों का प्रदर्शन किया जा सकें । वास्तव में बम्बई में हमने एक ऐसा थियेटर चालू भी किया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में है। मैंने प्रश्न को उस भाग की अनुमति नहीं दी थी।

श्री आई० के० गुजराल : मुझे खेद है, श्रीमान् जी।

अध्यक्ष महोदय : यदि एक बार आप ऐसा करते हैं तो कई दूसरे अनुपूरक प्रश्न उठ खड़े होंगें। अतः आप सब अपने आप को प्रश्न के सबद्ध भाग तक ही सीमित क्यों नहीं रखते ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अतः, आप मेरे प्रश्न के बाद वाले भाग की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिये आप को एक पृथक सूचना देनी चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो उन्हें मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही।

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक उनके प्रश्न के पहले भाग का संबध है, श्री ऋषिकेष मुखर्जी द्वारा आश्वासन दिया जा चुका है। यही कारण है कि हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि उन्होंने ऋण के लिये न तो प्रार्थना पत्र दिया है और न ही इसके लिये कहा है।

जहां तक श्रीमती बच्चन का सबंध है, हमें ऋण के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं मिला है और न ही उनकी इसमें रुचि है।

अध्यक्ष महोदय : श्री लक्कपा शुरु से ही अधीर हो रहे हैं।

श्री के० लक्कपा : अध्यक्ष महोदय श्रीमान् जी दक्षिण भारत के राज्यों में काफी रोष व्याप्त है कि जहां तक कन्नड़, तेलगु तथा तामिल भाषाओं में क्षेत्रीय चलचित्रों के साथ भेदभाव बरता गया है। मैं देख रहा हूं कि इसमें दक्षिणी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यही कारण है कि इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। अतः मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। इन बातों को देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय महोदय दक्षिण भारत के चलचित्रों के लिये वित्तीय नियतन करने के लिये दक्षिणी राज्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखेगी।

श्री आई० के० गुजराल : श्रीमान् जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताने का प्रयास किया है कि अब तक अपने वित्तीय साधनों के अनुसार फिल्म वित्त आयोग द्वारा अनेक क्षेत्रीय फिल्मों के लिये वित्त की व्यवस्था की गयी है। मैंने इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व के संबंध में उत्तर पहले ही दे दिया है। श्री वासुदेवन नायर पहले ही उसके सदस्य हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर को देखते हुये मैं यह जानना चाहूंगा कि फिल्म निगम द्वारा कितनी बंगला फिल्मों को वित्त दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उसके लिये पृथक प्रश्न पूछिये। यह प्रश्न बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में है। यह प्रश्न इस से उत्पन्न नहीं होता है। यह बेहतर है कि आप इसके लिये पृथक सूचना दें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर को देखते हुये अनुपूरक प्रश्न संगत है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मुझे यहां नहीं होना चाहिये । यदि आप ने उत्तर देना है, तो संगत प्रश्न तक ही अपने आप को सीमित रखें । अन्यथा यदि इस प्रश्न की परिधि से बाहर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं उनकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं संगत प्रश्न पूछूंगा । तीन कन्नड़ फिल्मों को फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता दी गयी है । यदि मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछूं कि कितनी बंगला फिल्मों को इस निगम द्वारा वित्त की व्यवस्था की गयी है, तो इसमें क्या हानि होगी । यदि हां, तो क्या फिल्म वित्त निगम अन्य भाषाओं में रूपान्तरित करने के हेतु क्षेत्रीय फिल्मों को वित्त की स्वीकृति प्रदान करने के लिये विचार करेगा ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं केवल विभिन्न भाषाओं की उन फिल्मों की सूची सभा पटल रख सकता हूं, जिन्हें फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता दी गयी ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान फिल्म उद्योग की इस शिकायत की ओर गया है कि माने हुये और प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है जबकि अन्य निर्माताओं को, जिन्होंने निम्नस्तर की सामाजिक एवं सांस्कृतिक फिल्मों का निर्माण किया है, इस प्रकार की वित्तीय सहायता दी गयी है । यदि हां, तो प्राप्त अनुभव को देखते हुये सरकार फिल्म वित्त निगम को पुनर्गठित करने के लिये कौन कौन सी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री आई० के० गुजराल : मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि वे लोग जिन्हें मेरे माननीय मित्र ने प्रतिष्ठित लोग कहना पसन्द किया है . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक बहुत ही संगत प्रश्न पूछना चाहता हूं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न ।

प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की समस्यायों का पता लगाने हेतु कार्यवाही समितियां

*445. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी**
श्री दिनेश सिंह } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों को कुप्रभावित करने वाली समस्याओं का पता लगाने तथा इस सम्बन्ध में उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिये केन्द्रीय परामर्श दात्री परिषद् ने कार्यवाही समितियां बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी समितियां बनायी गयी हैं और सरकार को इनके निष्कर्ष कब तक प्राप्त हो जायेंगे ;

(ग) ऐसी समितियां बनाने का औचित्य क्या है जबकि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों ने सरकार को अपनी प्रमुख समस्याओं से बार-बार अवगत कराया है; और

(घ) क्या ऐसी समितियां बनाने तथा उनके प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही से उस अतिआवश्यक कार्यवाही में और विलम्ब होगा जो इन समितियों की सिफारिशों के बिना भी समस्याओं को सुलझाने के लिये की जा सकती थी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

औद्योगिक विकास मंत्री ने परिषद् के अध्यक्ष की हैसियत से उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की 10 नवम्बर, 1973 को हुई पिछली बैठक में यह सुझाव दिया था कि परिषद को वर्ष की अन्तिम तिमाही अर्थात् जनवरी से मार्च, 1974 में कुछ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में सुधार करने सम्बन्धी अभ्युपायों पर विचार करना चाहिये । उन्होंने सदस्यों की इन उद्योगों के सम्बन्ध में राय मांगी थी तथा यह सुझाव दिया था कि परिषद् को इन उद्योगों के लिये लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये तथा इस सम्बन्ध में 15 दिसम्बर, 1973 तक की जाने वाली कार्यवाही का निश्चय लिया जाना चाहिये । अन्त में यह निश्चय किया गया था कि ऊपर सुझाये गये तरीके से शुरू में छः उद्योगों अर्थात् अल्युमिनियम मोटर गाड़ियों और साइकिलों के टायरों, और ट्यूबों, कपड़ा सीमेंट, उर्वरक और मशीन उद्योगों में कार्यवाही आरम्भ की जानी चाहिये । यह भी निश्चय किया गया था कि इस अल्पकालीन कार्यक्रम के पश्चात् प्रमुख उद्योगों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के लिये भी पहल की जा सकती है ताकि पांचवी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन में वृद्धि की जा सके । मंत्री ने यह भी सुझाव दिया था कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही वाणिज्य और उद्योग मण्डलों द्वारा की जानी चाहिये ।

इस मामले पर भारतीय वाणिज्य और उद्योग, मण्डल संघ से और आगे चर्चा की गई थी तथा उसने ऊपर बताये गये उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने और उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही का निर्धारित करने के लिये प्रारम्भिक तौर पर अल्पकालिक आधार पर अर्थात् जनवरी से मार्च 1974 की अवधि में कार्य शुरू कर दिया है । इस मामले में और आगे कार्यवाही इन उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्ट मिलते ही की जायेगी । उद्योगों की विशिष्ट समस्यायें जब कभी सरकार को प्राप्त होती है तो उनकी जांच की जाती है और इन कठिनाइयों को सुलझाने के लिये प्रयास किये जाते हैं । भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट से सरकार की जानकारी में आई सामान्य अथवा विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु की जाने वाली कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बाधा अथवा बिलम्ब होने की सभावना नहीं है ।

श्री दिनेश सिंह : सदन के सभा-पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि इन समितियों के गठन का विचार मंत्री महोदय द्वारा स्वयं व्यक्त किया गया था । प्रश्न के (घ) भाग में समितियां

बनाने का कारण पूछा गया था परन्तु उसका उत्तर विवरण में नहीं दिया गया है। कहा गया है कि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में से कुछ उद्योगों का चयन किया गया है। इन उद्योगों का चयन करने के क्या कारण हैं ? यदि ग्राम उपभोग की वस्तुओं अथवा कम सप्लाई वाली वस्तुओं के उत्पादन और वितरण से सम्बन्धित उद्योगों को चयन करने का प्रस्ताव होता तो कारण समझ में आ सकता था परन्तु आम उपभोग की वस्तुओं का चयन नहीं किया गया; प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की वस्तुओं का चयन नहीं किया गया; उर्वरकों के अतिरिक्त अन्य चुने गये उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त उद्योग नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये अव्यावश्यक वस्तुएं हैं। अतः इन उद्योगों के चयन के विशेष कारण क्या हैं ? आम धारणा यह है कि इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने के बहाने ही ये समितियां बनाई गई हैं क्योंकि ऐसी कोई अन्य समस्या नहीं है जिसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं दिलाया गया।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में विकास की दर नहीं बढ़ी और हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या कम से कम इस वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में विभिन्न उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में मैंने कहा था कि समस्या को सामूहिक रूप से देखने में कोई लाभ नहीं। हम उद्योगवार समस्याओं पर विचार कर सकते हैं और वास्तव में उद्योग-वार ही नहीं बल्कि एककवार भी विचार कर सकते हैं और अन्तिम तिमाही के लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य पूर्ति के साधनों को जानने के प्रयत्न कर सकते हैं। इस बारे में यदि सरकार की सहायता अपेक्षित हुई तो ठोस सुझाव प्राप्त होने पर हम अवश्य उन पर विचार करने के लिये तत्पर रहेंगे। काम शुरू करने के उद्देश्य से मैंने कुछ उद्योगों के चयन के लिये कहा था। केवल मात्र इतना करना ही हमारा उद्देश्य नहीं। यदि हमारा कार्यक्रम सफल रहा तो अन्य उद्योगों को चयन किया जाएगा। अतः इनका तदर्थ चयन किया गया है। उदारणार्थ, वस्त्र उद्योग का तदर्थ चयन किया गया है। यह उद्योग आम उपभोग की वस्तुओं से सम्बन्धित है। इसी प्रकार साइकिल उद्योग भी आम लोगों के उपभोग की वस्तुओं से सम्बन्धित है। अतः इन उद्योगों का चयन और समितियों का गठन मूल्यों में वृद्धि कराने की दृष्टि से नहीं किया गया। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मूल्यों में वृद्धि करने के लिये ऐसा कभी नहीं किया जाएगा हमारा उद्देश्य उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना और उत्पादन बढ़ाना है। समितियों की पहले ही बैठकें हो चुकी हैं और कुछ ही दिनों में प्रतिवेदन प्राप्त करने की आशा है और देखें इसके क्या परिणाम निकलते हैं। मेरा मुख्य विचार यह है कि इन उद्योगों की समितियां बनें और इनमें, विशेष कर, अन्तिम तिमाही में, उत्पादन में वृद्धि हो।

श्री दिनेश सिंह : माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि उक्त उद्योग उतना उत्पादन नहीं कर रहे जितना उन्हें करना चाहिये। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में यह सच नहीं है क्योंकि उदाहरण के लिये कपड़ा उत्पादन में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा उपभोग वस्तुओं के उत्पादन का ही उदाहरण ले लीजिये। सीमेंन्ट के उत्पादन को ही लीजिये। यह विचार था कि सरकार स्वयं देश में सीमेंट का मुख्य रूप से उत्पादन करेगी और सरकारी क्षेत्र में सीमेंट उत्पादन करने वाली परियोजनाएं आरम्भ की जानी थी। वास्तव में सरकारी क्षेत्र में सीमेंट परियोजनाएं आरम्भ करने का उद्देश्य था। सरकारी क्षेत्र में

परियोजनाएं आरम्भ करने की बात का क्या बना ? क्या इस उद्योग में अब गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने का ही विचार है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : जैसे उर्वरक उद्योग ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है मैं उस बारे में प्रश्न का विस्तार से उत्तर दे चुका हूं । हमने इसकी नई क्षमता के बारे में ध्यान दिया है जो पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान 100 से 120 लाख टन होगी । पहले हमने सरकारी क्षेत्र में स्थित सीमेंट निगम में क्षमता का पता लगाने का प्रयास किया था । हमने सर्व प्रथम सरकारी क्षेत्र में सीमेंट निगम में उत्पादन करना आरम्भ किया । दूसरी प्राथमिकता राज्य औद्योगिक विकास निगम को दी गई और हमने उसे उसके लिये क्षेत्र में उसकी क्षमता के अनुसार सीमेंट की सप्लाई की और हमने उसी आधार पर लाइसेंस दिये हैं । सीमेंट का वितरण गैर-सरकारी क्षेत्र में किया गया और इस मामले में नये और मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्राथमिकता दी गई । इसके बाद ही बकाया सीमेंट का वितरण बड़े औद्योगिक गृहों को, विशेषकर विस्तार और "स्लैग" पर आधारित सीमेंट के उत्पादन के लिये किया गया । अतः यह सच नहीं कि हम सरकारी क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं के स्थान पर गैर-सरकारी क्षेत्र को इसका वितरण करते हैं । हम उनके पास तभी जाते हैं जब या तो सरकारी क्षेत्र में स्थित निगमों अथवा राज्य सरकार क्षेत्र के लिये ऐसा करना सम्भव नहीं होता । कागज के संम्बध में यही नीति अपनाई गई थी अतः सरकारी क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है ।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्रालय द्वारा उर्वरक के मामले में चयन करते समय कीटनाशी दवाइयों के उत्पादन पर विचार क्यों नहीं किया गया । कृषि को सहायता देने के लिये यह भी आवश्यक है क्योंकि अनेक उर्वरकों के प्रयोग से फसलें कीड़ों द्वारा नष्ट कर दी जाती है अतः इन दोनों बातों पर साथ साथ विचार किया जाना चाहिये था ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जैसा मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं यह महत्वपूर्ण उद्योगों की विस्तृत सूची नहीं है । हम तदर्थ आधार पर छः उद्योगों का चयन करेंगे और इस बात का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि इसके क्या परिणाम निकले और इस समय अपनाई जा रही पद्धति के आधार पर हम अन्य उद्योगों का भी चयन करेंगे । मैं इस बात से सहमत हूं कि कीटनाशी दवाइयों का विशेषरूप से कृषि में, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है ।

श्री के० गोपाल : प्रश्न के भाग (ग) के संदेंभ में प्रो० नार्थकोट पार्किन्सन के अनुसार समिति की प्रक्रिया ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति स्नानगृह जा रहा हो एक बैठक हुई उसमें रिपोर्ट दी गई और अन्त में मामला समाप्त कर दिया गया । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समस्याओं को शीघ्रता से हल किया जाये, मामलों को समितियों को सौंपने की बजाय क्या मंत्री महोदय स्वयं निर्णय लेंगे जिससे इस मामले में कोई विलम्ब न हो ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मेरा निर्णय लेना इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना उद्योग द्वारा अधिक उत्पादन किया जाना । अतः मैंने सोचा है कि इस मामले में उद्योगपतियों को भी शामिल किया जाये जिससे वे अधिक उत्पादन करने का वचन दे सकें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक बहुत सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में किन एक उद्यम जिसे देश के सब संसाधन प्राप्त है और जिसे सरकार से भी सहायता प्राप्त है एक गैर सरकारी उद्यम की तुलना में चाहे वह सीमेंट उद्योग हो अथवा उर्वरक उद्योग हो, अच्छी प्रकार कार्य क्यों नहीं कर सकता ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उर्वरक को सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में शामिल किया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सीमेंट के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उक्त उद्योग सरकारी क्षेत्र तक ही सीमति नहीं है । प्रश्न यह है कि इसका उत्पादन बढ़ाने में क्या रुकावटें हैं और उन्हें अल्पावदि में किस प्रकार दूर किया जा सकता है । नि:सन्देह हम यह कह सकते हैं कि पांचवीं योजना में उत्पादन को बढ़ाने के लिये बहुत सी परियोजनाएं आरम्भ कर रहे हैं और अनेक उपाय कर रहे हैं । लेकिन मैं इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि क्या इन तीन महीनों की अल्पावधि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किये गये । यदि वे सफल होते हैं, तो ठीक है; यदि वे सफल नहीं होते, तो इससे हमें अधिक हानि नहीं होती ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इससे मैं यह सोचने पर मजबूर होता हूँ कि सरकारी क्षेत्र की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक संसोधन उपलब्ध हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप यहां बहस नहीं कर सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बात मुझे असंतोषजनक और हास्यप्रद प्रतीत होती है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी कैसे की ।

सीमा सुरक्षा दल में पदोन्नतियां

*446. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा दल में ई सी-3 और ई सी-4 ग्रुपों के कुछ एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की ई सी-1 और ई सी-2 ग्रुपों के अधिकारियों की जो उनसे काफी वरिष्ठ हैं उपेक्षा करके डिप्टी कमाण्डेंट के तौर पर पदोन्नति कर दी गई है ; और

(ख) ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नारायण चन्द पराशर : क्या तत्संगत विभागीय वर्ष में कोई पदोन्नतियां की गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे अपने को मूल प्रश्न तक ही सीमित रखें। मूल प्रश्न श्रेणियों के बारे में है जिसका मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दे दिया था।

श्री नारायण चन्द पाराशर : यदि हमें यह पता लग जाये कि कोई पदोन्नतियां हुई हैं, तो हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : पदोन्नति सम्बन्धी समिति के अनुसार प्रतिवर्ष पदोन्नतियां की जाती हैं। वह पदोन्नतियों तथा अन्य प्रबन्धों के बारे में शिफारिशें करती हैं।

श्री नारायण चन्द पाराशर : उत्तर बहुत स्पष्ट और निश्चित नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस वित्तीय वर्ष में कोई पदोन्नतियां हुई थीं और यदि हां, तो कितनी जिससे हम इस बात का सत्यापन कर सकें कि क्या कुछ मामलों में उचित व्यक्तियों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया ?

श्री राम निवास मिर्धा : वास्तव में यह होता है कि जब पदोन्नत सम्बन्धी समिति की बैठक होती है तो यह एक "क" सूची तैयार करती है इसका अभिप्राय यह होता है कि इस सूची में आये व्यक्ति बहुत अच्छे अथवा योग्य हैं और इनको शीघ्र पदोन्नत कर दिया जाये। इसके पश्चात् वह "ख" सूची तैयार करती है जिसका अभिप्राय: यह होता है कि इस सूची में रखे गये व्यक्तियों को अपने कार्य के अतिरिक्त स्थापन्न नियुक्तयां अथवा डिप्टी-कमाण्डर के रूप में नियुक्तियां की जाती हैं ये दोनों सूचियाँ समिति द्वारा तैयार की जाती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं माननीय सदस्य वास्तव में क्या जानकारी चाहते हैं।

हरियाणा से पंजाब को सीमेन्ट ले जाने पर प्रतिबन्ध

* **447. श्री भान सिंह भौरा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने सूरजपुर और दादरी कारखानों से पजाब को सीमेन्ट ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध के कारण पंजाब में होने वाली कमी को पूरा करने हेतु भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : श्री भौरा आपने हरियाणा से पंजाब को सीमेन्ट की सप्लाई के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन दोनों नगर एक ही देश में हैं।

Shri B.S. Bhaura : I want to know whether the hon. Minister is not aware that there is a great shortage of cement in Punjab and the cement is being sold in black market at the rate of 30 Rupees per bag. On the other hand cement is easily available in Haryana and is being sent to Punjab at high prices. I want to know whether the Punjab Government has written to him in this connection and if so, what action has been taken in this regard ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : वास्तव में सीमेन्ट की कमी है और अनेक बार कमी की मात्रा का उल्लेख किया जा चुका है तथा यह भी उल्लेख किया जा चुका है कि इसके कारण हमें क्या कठिनाई हो रही है। जहां तक पंजाब को सीमेन्ट की सप्लाई का प्रश्न है हमने 1 जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 तक सीमेन्ट की मात्रा का आवंटन किया है। आवंटन के अनुसार, पंजाब को 50,000 टन औसत प्रतिमास सीमेन्ट सप्लाई की गई है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूँ कि सितम्बर को समाप्त होने वाले तिमाही में सीमेन्ट की सप्लाई 50,000 टन प्रतिमास रही हैं। जनवरी से मार्च यह 50,000 टन, अप्रैल से जून तक 49,300 टन और जुलाई से सितम्बर तक सीमेन्ट की सप्लाई 52,300 टन रही है। जहां तक इसके विनिर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का सम्बन्ध है, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी सीमेन्ट कारखानों में रुचि रखता हूं लेकिन मैं इस प्रश्न को तत्संगत बनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

Shri B.S. Bhaura : I want to know the demand of Punjab for cement and the quantity of cement supplied to Punjab and whether the requirement of Punjab will be fulfilled from that quantity ?

Secondly, there is no cement factory in Punjab whereas raw material is available there. I want to know whether any cement factory will be established in Punjab and if so, when ?

अध्यक्ष महोदय : यदि भाग (क) का उत्तर 'हां' में है तो दूसरा भाग हां है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी राज्य अधिकारी ने पहले हरियाणा सरकार की मांग को पूरा करने और बाकी सीमेन्ट को पंजाब सरकार को देने के बारे में दादरी और सूरजपुर कारखानों का निरीक्षण किया था और क्या पंजाब सरकार ने उक्त मामला केन्द्रीय सरकार के सामने रखा है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने का यह उचित तरीका है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : पंजाब और हरियाणा को आवंटन हरियाणा स्थित कारखानों द्वारा किया जाता है। हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चिय करने के लिये कि हरियाणा को माल वरीयता के आधार पर भेजा जाये सीमेंट के कारखाने में एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की है? हमने इस पर आपत्ति की तथा कहा कि माल भेजने का काम सीमेंट नियंत्रक के सुपुर्द रहना चाहिये। और यदि वहां राज्य सरकार का अधिकारी नियुक्त किया गया तो इससे कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं और इसीलिये राज्य सरकार ने कुछ दिन बाद अपना अधिकारी सीमेंट के कारखाने से वापस बुला लिया। इसके बाद माल भेजने का कार्य सीमेंट नियंत्रक ने संभाल लिया और अब कोई परेशानी नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार से हमसे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। हरियाणा को कितनी सीमेंट आवंटित होती है और हरियाणा के दो कारखानों में सीमेंट का कितना उत्पादन होता है ? इस के उत्तर से स्पष्ट हो जायेगा कि आवंटन न्यायोचित है अथवा नहीं और पंजाब को उसका समुचित भाग मिलता है या नहीं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उपमंत्री महोदय पहले ही बता चुके हैं कि पंजाब के लिये निर्धारित पूरा कोटा दिया जा चुका है। वहां कोई कमी नहीं है। वस्तुत: विशिष्ट रूप से मांगे जाने पर हमने आपात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुछ अधिक भी दिया है। ऐसा सदा ही होता है जब विशेष अभ्यावेदन किये जाते हैं तो आपात स्थिति को देखते हुए विशेष कोटा दिया जाता है।

Setting up of Industries in Bihar during Fifth Plan

*448. **Shri G.P. Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Bihar is the most industrially backward State in India ; and

(b) if so, the names of the new industries proposed to be set up in Bihar during the Fifth Five Year Plan ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्यों के पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Shri G.P. Yadav : In reply to part (a) the hon. Minister has said 'No' where as Bihar is totally a backward State from economic point of view although there are some industries in South Bihar. Do the Government therefore, propose to establish some industries in North Bihar, or whether the Government of Bihar has recommended that there is plenty of Jute at Saharga, Purnia and Katihar districts and jute industry should be set up there ? In the end also the hon. Minister has said that the plan has not yet been finalised . I would , therefore like to know as to when that would be finalised ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : प्रश्न के पहले भाग में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह सबसे अधिक पिछड़ा राज्य नहीं है। परन्तु इसका अभिप्राय: यह नहीं है कि बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं है। यह तुलना का प्रश्न है। जहां तक बिहार के कुछ क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने की बात है कि इस राज्य संबधी पांचवीं योजना के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं पर अभी विचार किया जा रहा है, राज्य सरकार ने भी हमें तथा योजना आयोग को कुछ सुझाव दिये हैं। इन सब बातों पर अभी अन्तिम रूप से निर्णय होना शेष है।

Shri G.P. Yadav : My question is whether or not the Government has recommended setting up of certain industries in Poorvanchal area of North Bihar ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन चीजों पर विचार किया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय सदस्य ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अभी विचार किया जा रहा है । वे क्या चीजें हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही कह चुके हैं कि इन पर चर्चा की जा रही है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किन चीजों पर चर्चा की जा रही है ?

Shri G.P. Yadav : I have asked whether the Govt. of Bihar have recommended the establishment of certain industries in North Bihar since lot of jute is produced there ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह हां या नहीं कहें ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या उत्तर बिहार में कोई उद्योग स्थापित किये जायेंगे । पांचवी योजना में बिहार राज्य में क्या उद्योग स्थापित किये जायेंगे यह प्रश्न अभी विचारणीय है । जब यह तय हो जायेगा तब यह भी निश्चय हो जायेगा कि उत्तर बिहार तक अन्य क्षेत्रों में क्या कुछ समझा जायेगा । इस सबंध में निश्चय ही हम राज्य सरकार की सिफारिशों के मार्ग दर्शन प्राप्त करेंगे । शायद इस सबंध में वही निश्चय करेंगे कि किन स्थान पर क्या उद्योग स्थापित किया जाये ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : Perhaps the hon. Minister is aware that the per capita income in Bihar is the lowest. Formerly this State was at No. 3 but now it is at 13. The only reason is that there is no major industry for 3 crore people of North Bihar. That is why I would like to know whether there is any proposal to set up some major industry there .

Mr. Speaker : For that only he has given a reply.

Shri Yamuna Prasad Mandal : I want to know about the whole of North Bihar.

Mr. Speaker : He too was asking for North Bihar. Is there any separate North Bihar exclusively for Shri Y.P. Mandal ?

Shri Yamuna Prasad Mandal : I mean entire North Bihar and not Purvanchal or Vindhanchal etc.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक प्रति व्यक्ति आय का संबंध है यह सच है कि वे 15–20 वर्षों में तीसरे स्थान से 13वें स्थान पर पहुंच गये हैं हालांकि वहां बहुत से बड़े बड़े उद्योग तथा सार्वजनिक उद्योग हैं । एक रांची सयंत्र समूह है । बोकारो इस्पात कारखाना बन रहा है । जमशेदपुर कारखाना भी वहां है । इससे स्पष्ट है कि केवल कुछ बड़े उद्योग होने से ही किसी क्षेत्र का सम्पूर्ण आर्थिक विकास नहीं होता है । इसीलिये हमें आर्थिक विकास संबंधी अन्य पहलुओं पर ध्यान देना पडता है जिनके संदर्भ में पंजाब एक प्रमुख उदाहरण है ।

अध्यक्ष महोदय : पंजाब में अभी तक कोई सार्वजनिक उपक्रम नहीं है तो भी इसे उन्नत समझा जाता है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इसीलिये मैंने कहा कि पंजाब डाक प्रमुख उदाहरण है ।

Shri Madhu Limayee : Plannig Commission's list of backward district include Bhagalpur also and the Government of Bihar had formulated an intensive scheme for drought hit areas of Bihar in which some five sub-division's like Jusuri, Banka etc. But to day I have received a letter saying that since no congress candidate could win from that area, so that intensive scheme has been given up. Is it because of that that Bhagalpur too has been dropped from the list of backward districts ? If that is not the intention of the hon. Minister . Would he ask the Government of Bihar that due care should be taken in respect of industrialisation of the drought hit areas of the backward districts of Bhagalpur and Banka sub-division ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सबंध है हमने पाण्डेय समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक राज्य में कुछ जिलों की सूची तैयार की है किसी भी क्षेत्र को पिछड़े जिलों की सूची से इस आधार पर नही निकाला गया है कि वहां के चुनाव में कोई उम्मीदवार जीता है या पराजित हुआ है ।

Shri Madhu Limaye : The intensive scheme for backward districts and their drought hit areas has been dropped. I have got the information to that effect.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न तो सर्वथा भिन्न है । यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट जिले के सबंध में विस्तृत ब्यौरा चाहते हैं तो वह प्रथक से प्रश्न पूछें ।

Shri Ishwer Chaudhry : In 1934 Bihar was at No 4 whereas it is now at No. 18. The hon. Minister has said that it is at No. 13. that is the specific reason that despite having ample industrial assets this State is economically so much backward. I therefore want to know the specific and effective steps being taken during the Fifth Five year Plan to benefit Bihar.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हम पहले ही कह चुके हैं कि वे बातें अभी विचाराधीन हैं । वह योजना को सभा पटल पर दिये जाने के समय तथा उस पर चर्चा होने तक प्रतीक्षा करें । तब वह मान सकेंगे कि बिहार के विकास के लिये क्या क्या योजनायें हैं ।

ओंकार सिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस के आचरण के विरुद्ध की गई टिप्पणियां

*449. **श्री चन्द्रशेखर सिंह**
श्री भागीरथ भवर } : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा, दिल्ली में ओंकार सिंह की हत्या के मामले में हाल ही में हुए निर्णय में अपराधियों को बचाने के प्रयासों के लिये पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों तथा दिल्ली के सी० आई० डी० विभाग के विरुद्ध गम्भीर टिप्पणियां की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पुलिस अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध टिप्पणियां की गयी हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क), (ख) तथा (ग) अतिरिक्त सेशन जज, दिल्ली के निर्णय में शाहदरा, दिल्ली में ओंकार सिंह की मृत्यु से उत्पन्न मामले की जांच पड़ताल से सम्बन्धित प्रतिकूल टिप्पणियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। निर्णय में किसी पुलिस अथवा अन्य अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं है। फिर भी मुकदमा अभी न्यायाधीन है।

Shri Chandra Shekhar Singh : May I know from the hon. Minister whether it is a fact that the strictures have been passed against the conduct of senior police and CID officials for their efforts to save the culprits involved in a recent Omkar Singh murder case of Delhi Shahadra ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has said that it is correct.

Shri Ram Niwas Mirdha : I have said that Additional Sessions Judge, Delhi has made certain remarks regarding the inquiry of the case. But there is no mention of the name of any officer whether he is a police officer or an officer in any other department the remarks have been made against the way the inquiry has been conducted. Since the matter is still subjudice, it is not proper for me to go in to the details at this moment. Appeal of the case is being filed in High Court and therefore, it is not proper to discuss the matter now.

Shri Chandra Shekhar Singh : May I know from the hon. Minister the number and names of the officers involved in this case and the number of those against whom strictures have been passed and whether those strictures are correct.

Mr. Speaker : The Minister has said that the matter is subjudice.

Shri Bhagirath Bhanwar : The hon. Minister has said that there is not mention of any name. People had lodged certain complaints with the Government and the High Officials and it is after that the proceedings of the case were made and judgement was given by the Session Judge. May I know whether there is any reference to some high official or any other of the Police Station and if so, the names of the officers against whom complaints were made by the people and by the Omkar Singh family ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The Police had registered the case before there was a demonstration by the people in Shahadra. I dont know about the complaints the hon. Member is referring to. The case was registered with the police on the complaint made by the father of Shri Omkar Singh, the matter was investigated and after that the court prosecuted and convicted several people including certain police officers. As regards the decision given by the Sessions

Judge, there is no mention to any officer. I can not say anything more in this regard because the matter is still subjudice. Appeal of the case is being filed in High Court. Therefore, the action will be taken after the High Court pronounced their decision.

Shri Bhagirath Bhanwar : May I know as to who was involved either Sub-inspector or Circle Inspector or DSP or SP in the complaint made by the father of late Shri Omkar Singh and against whom there was a demonstration by the people ? There would have been mention of names. The people submitted a representation but against whom ? The hon. Minister has agreed that there was a demonstration and agitation by the people. If there was a compliant from the people and from the father of late Shri Omkar Singh, there will definitely be a mention of names.

Shri Ram Niwas Mirdha : It is not clear as to which complaint the hon. member has referred to. There was a demonstration by the people. Shri Tilk Ram father of Shri Omkar Singh had lodged a complaint with the police and got the case registered. Investigation was made about that complaint and the matter was referred to higher authorities. I am not aware of any other complaint except this.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस मामले की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये आयोग का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है और यदि हां, उस पर कब और क्या कार्यवाही की गयी ।

श्री राम निवास मिर्धा : जी हां, जांच आयोग का प्रतिवेदन सरकार को 30 अप्रैल, 1973 को प्राप्त हो गया था परन्तु चूंकि अतिरिक्त सैशन जज के न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और क्योंकि मुकदमे का तथा जांच का विषय एक ही था, इसलिये प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ; क्योंकि मामला विचाराधीन था इसलिये प्रतिवेदन को ऐसे ही रखा रहने दिया गया ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, the hon. Minister has said that Inquiry Commission was appointed and the report of the Commission was received on 30th April, but the report was not presented to the House as the matter was Sub-judice. The Government was well aware of the fact that the matter is to go to the Court and even then they appointed the inquiry Commission. May I know whether the Commission was appointed to hold back its report ? The Commission of inquiry was also aware of the fact that certain political leaders alleged involvement of CIA into the disturbances of Shahdra. May I know whether the Commission also looked into it and if so, the Commission's findings in this regard ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The particulars of all the investigations and the divisions of the Commission may be known when the report is presented to the House. As regards delay in presenting the report to the House, we were advised that since both the matters are the same and the matter is sub-judice, it is not desirable to produce the report in the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The matter may go to Supreme Court. It may take another several years.

Mr. Speaker : The hon. Minister has given factual information. The hon. member need not argue.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Who has advised the Government ? The Commission has got nothing to do with matter under trial. Why the report of the Commission is not being presented ?

Mr. Speaker : Why do you argue ? Ask Question.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has said that the government have been advised like this. I wanted to know as to who has advised them.

Shri Ram Niwas Mirdha : Ministry of Law.

Shri Jharkhande Rai : May I know whether the attention of the hon. Minister has been drawn to the remark of the Sessions Judge that had there been no violent agitation by the people and had the officers not been compelled to take action, the matter would have been hushed up ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Yes, Sir, I am aware of it.

श्री बी० एन० रेड्डी : सरकार ने पुलिस अधिकारियों के व्यवहार के बारे में जांच क्यों नहीं करायी है ? क्योंकि यह .. (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में तर्क नहीं होना चाहिये। सीधा प्रश्न पूछिये और उत्तर प्राप्त कीजिये। प्रो० मधु दंडवते।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय ने आरम्भ में बताया है कि न्यायालय ने पुलिस के व्यवहार पर टिप्पणी की है परन्तु कोई नाम नहीं लिया गया है। इस तथ्य के बावजूद भी कि पुलिस अधिकारियों के व्यवहार के विरुद्ध टिप्पणियां की गई हैं और बहुत से संगठनों ने पुलिस अधिकारियों पर स्पष्ट आरोप लगाये हैं तब मंत्री महोदय नाम बताने की स्थिति में क्यों नहीं हैं ? क्या वह कुछ नामों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। उन पुलिस आधिकारियों के नाम क्या हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : किसी भी नाम को छिपाने की कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने सदन को बताया है, निर्णय में कोई नाम न तो बताया गया है, परन्तु कुछ टिप्पणियां की गई हैं। मामले पर निर्णय हो जाने के बाद हम उन टिप्पणियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर टिप्पणियां की गयी हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : किसी के भी विरुद्ध हों . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : हम किसी को भी बचाना नहीं चाहते। मामले पर निर्णय हो जाने के बाद हम पूरी कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विभाग को उन अधिकारियों के नाम बताने चाहियें जिनके विरुद्ध टिप्पणियां की गयी हैं । मंत्री महोदय को उनके नाम बताने चाहियें । उन्हें सदन को विश्वास मे लेना चाहिये । यदि वह उन्हें बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं । वास्तव में सरकार ऐसा ही कुछ कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : नाम छुपाने की कोई बात नहीं है । मंत्री महोदय ने बताया है कि मामला न्यायालय में चल रहा है और जैसे ही निर्णय होगा, नाम बता दिये जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दो सप्ताह का समय बीत चुका है, सदन को अब जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है । यह बहुत गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : कैसी भी गम्भीरता क्यों न हो, जब तक निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उस सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

Shri Jyotirmoy Bosu : How they can hold back the names and their designations. They will have to disclose.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बता चुके हैं कि कोई नाम नहीं लिया गया है । पुलिस के बारे में सामान्य विचार धारा व्यक्त की गयी है । यदि आप यह जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की टिप्पणी की गयीं है तब यह अलग बात है । परन्तु आप नाम पूछ रहे हैं जो बिल्कुल दूसरी चीज है ।

श्री मधु लिमये : इसके निर्णयाधीन होने का प्रश्न ही नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : जब नागरवाला का मामला न्यायालय में चल रहा था तब नाम बताये गये थे । इसके लिये पूर्वादाहरण उपलब्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बतायें कौन से नाम बताये गये थे जिस से कि मैं उनसे पूछ सकूं ।

श्री मधु लिमये : उन्हें नाम याद नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, the hon. Minister has agreed that strictures have been passed against the conduct of Police Officials. Is it not the duty of the Government to know the names of those officers against whom strictures have been passed ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Does he not know his name ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि मामला अभी न्यायालय के सामने है ।

The Minister of Home Affairs (Shri Umashankar Dixit) : We shall get their names. We shall have to see because the strictures are in general terms and besides this the matter is sub-judice. We will have to examine...

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं नहीं ।

Shri Umashankar Dixit : We will have to see as to who is the officer against whom the strictures have been passed. To tell the names without examining the matter is not proper.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें बहुत समय लग गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इन मंत्री महोदय पर यह आरोप लगाता हूँ कि वह सदन को गुमराह कर रहें हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने इस सदन का एक पूर्वादाहरण दिया है । नागरवाला का मामला जब कि मामला निर्णयाधीन होते हुए भी नाम बताये गये थे ।

Shri Atlal Bihari Vajpayee : May I know the particulars of the strictures against the conduct of the police ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जाइये । श्री लकप्पा, कृपया आप बैठ जाइये । निर्णय का वह भाग जिसमें ये बातें उल्लिखित हैं दिया जा सकता है ।

मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा हू । क्या आप किसी की बात सुनना भी चाहते हैं : अथवा आपस में लड़ते ही रहेंगे । यदि उसमें कोई नाम नहीं है, तब निर्णय का वह भाग जिसमें पुलिस के विरूद्ध टिप्पणियाँ की गयी हैं सदन के पटल पर रखी जा सकती हैं ।

श्री उमा शंकर दीक्षित : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : अब ठीक है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय उस भाग को पढ़े । मैं यह कहना चाहता हू कि . . .

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I am not asking any name. Let the hon. Minister read out the portion in which strictures have been passed against the Police. .. (**interruptions**). Is he not having a copy of judgment ? If he has got it he may read out.

अध्यक्ष महोदय : ये सुगमता से उपलब्ध होने वाले कागजात हैं । नियमों के अनुसार सुगमता से उपलब्ध हो जाने वाले कागजातों को सदन के पटल पर नहीं रखा जाता । कोई भी जाकर उसकी प्रति ले सकता है । इसलिये मैंने सम्बद्ध भाग को पटल पर रखने के लिये कहा है ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है अथवा वादविवाद का समय प्रत्येक दिन मुझे आपस अनुरोध करना पड़ता है । आप लोग इस प्रकार प्रतिदिन समय बर्बाद करते हैं । फिर आप मुझ से मिलते हैं और कहते हैं आज इतने कम प्रश्न हो पाये हैं । आप लोग इसी प्रकार प्रश्न काल को बर्बाद करते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु उठे ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ । क्या आप प्रश्न पढ़ेंगे ? यह प्रश्न सख्या 449 है और इस प्रकार है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे ठीक प्रकार देखा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह इस प्रकार है :

"क्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध गम्भीर टिप्पणियां की गयी हैं "
और इसके उत्तर में मंत्री महोदय ने 'हां' कहा है । अतः हम नाम जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय से इस सभा पटल पर रखने के लिये कहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पटल पर क्यों ? सदन को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : यदि सुगमता से उपलब्ध कागजात में कोई सूचना दे तब प्रत्येक चीज को पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है । ये आप के अपने नियम हैं ।

Shri Madhu Limaye : What is the difficulty in telling us those names ? He knows the names.

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैंने उस भाग को पटल पर रखने के लिये कहा है । वह बहुत बड़ा हो सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध टिप्पणियों के बारे में है । हम केवल उनके पदनाम जानना चाहते हैं । उनके नाम क्या हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं रहा है । व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाइए । प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है । इसीलिये मैंने इसे पटल पर रखने के लिए कहा है । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक मिनट शेष है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप आकर इस घड़ी को देख सकते हैं । प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है । मैंने तो देख लिया है आप स्वयं आकर देख लिजिए ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री बनर्जी

श्री यमुना प्रसाद मंडल : प्रश्न सख्या 450 ।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का समय श्री बसु ने ले लिया है । अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

लघु उद्योगों के डिजाइन, अनुसंधान और विकास संबन्धी समस्यायों की जांच के लिए राज्य स्तर की समितियों की स्थापना

*443 **श्री सी० के० जफर शरीफ :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योद्गिकी विभाग ने लघु उद्योगों के डिजाइन, अनुसंधान और विकास सम्बंधी समस्याओं की जाँच के लिए राज्य की समितियों की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) याद हाँ, तो उनके गठन और कृत्य क्या हैं ? तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें वैज्ञानिक आधार पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हाँ । अनुसंधान और विकास सबंधी सतरह राज्य समितियों की स्थापना नवम्बर 1973 में की गई है ।

(ख) इन समितियों के गठन और कार्यो सम्बधी एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है । **(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०–5984/73)**

अब तक पंजाब राज्य की समिति जिसमें हिमाचल प्रदेश भी सम्मिलित है, दिल्ली की समिति जिसमें हरियाणा भी सम्मिलित है तथा मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा समितियों नें अपनी पहली बैठक कर ली है ।

तथापि, सभी समितियों को परामर्श दिया गया है कि वे यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ करदें ।

नई दिल्ली में एक ट्रेवल एजेन्सी के निदेशक की गिरफ्तारी

*450. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 नवम्बर, 1973 को नई दिल्ली में एक ट्रेवल एजेन्सी के एक निदेशक को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उसके पास से क्या आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) 16 नवम्बर, 1973 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 19 बी के अधीन प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी द्वारा एक ट्रेवल एजेन्सी के निदेशक को गिरफ्तार किया

गया था और बाद में न्यायाधीश के सामने पेश किया गया था, जिसने उसे जमानत पर छोड़ दिय उसी तारीख को गिरफतारी से पहले उक्त व्यक्ति के व्यापारिक तथा आवासीय स्थानों की तलाशिय ली गई थीं और पौण्ड 272 तथा यू० एस० डालर 400 के ट्रेवलर्स चैकों और डालर 65 की नकद राशि की विदेशी मुद्रा के अलावा, कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी पकड़े गये थे। आगे जांच चल रही है।

दादरा और नगर हवेली में उद्योगों के कार्यकरण की जाँच

***451. श्री रामूभाई रावजी भाई पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नगर हवेली में स्थापित किये गये उद्योगों के मालिक लोग उद्योग के नियमों का पालन नहीं कर रहे ह, और कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में तुरन्त जांच और उद्योगपतियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) ऐसा कोई मामला केन्द्रीय सरकार के समक्ष नहीं आया है।

राज्यों की योजनाओं में कटौती

***453. श्री एस० सी० सामन्त**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपने हाल के उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान यह वक्तव्य दिया था कि राज्यों की योजनाओं में की जाने वाली कटौतियों का पिछड़े क्षेत्रों और समुदायों संबंधी योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कटौतियां क्या हैं और इनसे कौन-सी परियोजनाए अथवा निर्माण-कार्य प्रभावित होंगे ; और

(ग) इन कटौतियों के क्या कारण हैं और राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सरकारी व्यय में कमी करने के एक उपाय के रुप में 1973-74 के दौरान राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में 100 करोड़ रुपये की कटौती करने का निर्णय किया गया था। राज्यों में कहा गया है कि केन्द्रीय सहायता में की जाने वाली कटौती के बाद उपलब्ध योजना संसाधनों को ध्यान में रखते हुऐ अपने संशोधित परिव्यय बताए। सभी राज्यों से सूचना प्राप्त हो जाने पर इन परिव्ययों की समीक्षा की जाएगी।

पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

*453. **श्री के० लकप्प**
श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या **योजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना को अन्तिम रुप देने में विलम्ब होगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या प्रस्तावों के बारे में विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श पूरा हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो विचार विमर्श का क्या परिणाम निकला है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं । राष्ट्रीय विकास परिषद् ने जिस रुप में पांचवीं पचवर्षीय योजना का प्रारुप स्वीकार किया है उसे शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) विभिन्न मंत्रालयों के पांचवीं योजना प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारुप में शामिल कार्यक्रम इस प्रकार के विचार विर्मश में जो आम सहमति थी उसके आधार पर तैयार किए गये हैं ।

दिल्ली में कुमारी प्रेम लता की मृत्यु सम्बन्धी परिस्थितियों की जांच के लिए नियुक्त प्रशासनिक समिति के निष्कर्ष

*454. **श्री हुक्म चन्द कछवाय** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच के लिए, जिनमें कस्तूरबा गांधी निकेतन दिल्ली में एक हरिजन लड़की कुमारी प्रेम लता की मृत्यु हुई थी, 1972 में एक प्रशासनिक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो समिति के प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ण क्या हैं ; और

(ग) इन निष्कणों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) कस्तूरबा बालिका विद्यालय, ईश्वर नगर, नई दिल्ली की 10 वीं कक्षा की एक हरिजन छात्रा कु० प्रेम लता की मृत्यु के परिणामस्वरुप स्कूल के होस्टल में 31-8-1972 को जन्माष्टमी उत्सव सम्बन्धी मामलों में स्कूल प्रशासन की भूमिका की जांच करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने 9 सितम्बर 1972 को तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने अपना प्रातिवेदन दिल्ली प्रशासन

को दिया । समिति ने राय प्रकट की थी कि इस संस्थान में अस्पृश्यता किसी भी रुप में कमी नहीं रही थी और प्रिंसिपल कु० पुष्पा वती के विरुद्ध, कु० प्रेमलता द्वारा दिया गया "प्रसाद" उसके हरिजन होने के कारण ग्रहण न करने का आरोप निराधार था किन्तु समिति ने अन्य टीकाएं की थीं जिनका सम्बंध घटना से नहीं था अर्थात् अध्यापकों में कोई हरिजन न होने के कारण भेदभाव का कुछ क्षेत्र बन सकता है । समिति ने स्कूल तथा सम्बद्ध होस्टल के कार्यकरण के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में भी सिफारिशें की थीं ।

दिल्ली प्रशासन ने जांच समिति की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों के प्रकाश में विद्यालय तथा होस्टल के कार्यकरण में सुधार करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही आरम्भ की है ।

उत्तर प्रदेश के लिये सीमेन्ट का कोटा

*455. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गये इस आशय की ओर दिलाया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश को सीमेंट के कोटे में भारी वृद्धि की गई है ;

(ख) गत 12 महीनों म उत्तर प्रदेश को सीमेंट का कितना मासिक कोटा दिया गया है ;

(ग) क्या इसको अब 100 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है तथा इसे अगामी महीने से लगभग 65 प्रतिशत और बढ़ाया जायेगा, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या अन्य राज्यों को भी ऐसा ही बढ़ा हुआ कोटा दिया जा रहा है और यदि हां, तो इसके तत्संबन्धी तथ्य क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) जुलाई 1973 से पहिले किसी भी राज्य के लिए सीमेंट सप्लाई का कोई विशेष कोटा पूर्व निर्धारित नहीं किया जाता था । बिजली की कटौती से 1972 के उत्तरार्द्ध तथा 1973 के पूर्वार्द्ध में उत्पादन में गिरावट आने के कारण यह निश्चय किया गया था कि 1 जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 की अवधि के लिए सीमेंट सप्लाई का प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित किया जाए जिससे कि गत पांच वर्षों (यथा 1968 से 1972) की औसत-खपत के आधार पर राज्यों को उपलब्ध सीमेंट का समान वितरण किया जा सके उत्तर प्रदेश के लिए 17.60 टन का कोटा निर्धारित किया गया था, परन्तु राज्य सरकार कोटे में सशोधन के लिए लगातार अनुरोध कर रही है । औद्योगिक विकास मंत्री के अगस्त, 1973 में लखनऊ दौरे के समय राज्यपाल ने भी इस पर जोर दिया था । यह बताया गया था कि 1973-74 के दौरान उनकी आवश्यकताएं लगभग 30 लाख टन की होंगी ।

इन अनुरोधों की जांच करने पर ऐसा महसूस किया गया कि इस राज्य के वार्षिक कोटे में वृद्धि किए जाने का औचित्य है। तदनुसार उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त आवंटन का निश्चय किया गया। 10 लाख टन के अतिरिक्त आवंटन का निश्चय किया गया है तथा आगामी महीनों में इसे उत्तर प्रदेश को भेज दिए जाने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में किया गया अतिरिक्त आवंटन कोई अलग मामला नहीं है।

अन्य राज्यों को अतिरिक्त आवंटन उनके वार्षिक कोटे पर पुनर्विचार करते हुए उनसे प्राप्त अभ्यावेदनों और गुणावगुणों के किये गये थे। अन्य राज्यों को किये गये अतिरिक्त आवंटन निम्न प्रकार हैं :—

राज्य का नाम	मूल कोटा (मी० टनों में)	अतिरिक्त कोटा	पुनरीक्षित कोटा
1. हिमाचल प्रदेश	44,000	36,000	80,000
2. पश्चिम बंगाल	8,60,000	59,000	9,19,000
3. आसाम	1,50,000	25,000	1,75,000
4. मेघालय	29,000	5,000	34,000
5. मणिपुर	11,000	9,000	20,000
6. नागालैण्ड	12,000	8,000	20,000
7. त्रिपुरा	13,000	12,000	25,000
8. जम्मू और काश्मीर	64,000	36,000	1,00,000
9. दिल्ली	3,97,000	2,63,000	6,60,000
10. पाण्डेचेरी	21,000	7,000	28,000
11. अण्डमान एण्ड निकोबार आईलैण्डस	8,000	2,000	10,000

Age Concession for released short service Commissioned and emergency Commissioned Officer for appearing in U. P. S. C. Examinations

***456. Dr. Govind Das Richhariya :**

Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 40 on 21-2-73 regarding the extension of age limit from 25 to 30 for Government jobs and state :

(a) whether age concessions have been given to the released Short Service Commissioned and Emergency Commissioned Officers of the Defence Services as are applicable to the other candidates; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel : (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) The whole concept of reservation of vacancies in the civil services and posts for released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers is based on the philosophy of making good to them the chances of finding suitable appointments, which they missed by volunteering to join the Army during the previous emergency from 1st November, 1962 to 10th January, 1968. Accordingly, under the orders reserving posts for released Emergency Commissioned/Short Service Comissioned Officers and Emergency Commissioned/Short Service Commissioned officer should not have attained, on the crucial date on which he joined the pre-Commission training or got the Commission, where there is only post-Commission training, the upper age limit obtaining for the servic or post at that time. It would not, therefore, be appropriate to enhance the upper age limit for the Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers, on the analogy of the enhanced upper age limits prescribed for general candidates in respect of the services/posts mentioned in the reply given to Starred Question No. 40 on 21-2-1973.

पटना में नये सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज

*457. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 नवम्बर, 1973 को पटना स्थित नये सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज को आग लगा दी गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने इस घटना की जांच करवाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 14 नवम्बर, 1973 को पटना स्थित नये सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज को आग लगा दी गई थी। इस संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 448/435 तथा राष्ट्रीय सम्मान तिरष्कार निरोध अधिनियम 1971, की धारा 2 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था और जांच की जा रही है। दोषी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों को व्यक्तियों का प्रव्रजन

458. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों को व्यक्तियों के प्रव्रजन पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में रेलवे डाक-सेवा कर्मचारियों द्वारा बारी-बारी से भूख हड़ताल

*459. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अक्तूबर, 1973 में रेलवे डाक-सेवा कर्मचारियों द्वारा बारी-बारी से भूख हड़ताल किए जाने की ओर दिलाया गया है ,

(ख) यदि हां, तो उनके भूख हड़ताल करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) जी हां ।

(ख) निर्धारित नियमों के अनुसार रिकार्ड कार्यालय के विभिन्न अनुभागों के कर्मचारियों की ड्यूटियों की आपस में अदला-बदली हर छह महीने में कर दी जानी चाहिये । इन स्थायी हिदायत का पालन करने के लिए जो आदेश जारी किए गए थे उनके विरूद्ध कुछ कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल करने की सूचना मिली थी ।

(ग) इन कर्मचारियों की शिकायत जायज नहीं थी क्योंकि किसी भी कर्मचारी का तबादला दिल्ली से बाहर नहीं किया गया था ।

टैलीफोन आपरेटरों तथा एल०एस०जी० मानीटरों के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण

*460. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटना ट्रंक तथा पटना आटो एक्सचेंज के एल०एस०जी० मानीटरों तथा टेलीफोन आपरेटरों के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा शिक्षण आरम्भ करने के लिए निदेश जारी किए ;

(ख) यदि हां, तो इन परीक्षणों तथा ऐसे प्रशिक्षण के उद्देश्य और प्रक्रिया क्या है तथा पटना के अतिरिक्त अन्य किन स्थानों पर यह कार्यक्रम चल रहा है ; और

(ग) वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 में अक्तूबर, 1973 तक ऐसे परीक्षणों तथा मनोवैज्ञानिकों के प्रशिक्षण और आने-जाने पर कितना व्यय हुआ ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) पटना टेलीफोन्स या किसी दूसरे एक्सचेंज के आपरेटरों और मानीटरों के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण/प्रशिक्षण देने के संबंध में कोई हिदायतें नहीं है । तथापि, टेलीफोन आपरेटरों के प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम

में कुछ सामग्री शामिल करने हेतु हिदायतें जारी की गई है जिससे कि उपभोक्ताओं के साथ वार्तालाप करते समय उनके व्यवहार और बर्ताव में सुधार हो सके। पूना और बम्बई के टेलीफोन जिलों के आपरेटरों को इस प्रकार का प्रशिक्षण पहले से ही दिया जा चुका है। पटना टेलीफोन जिले में यह प्रशिक्षण देने के लिए "इंस्टीट्यूट आफ सोशल स्टडीज" की मदद ली गई थी।

(ग) पटना टेलीफोन जिले में ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में वर्ष 1973-74 में 2,678 रु० खर्च हुए। वर्ष 1972-73 में इस संबंध में कोई खर्च नहीं हुआ।

उड़ीसा में पुलिस-नक्सलवादी सांठ-गांठ

***461. श्री आर० एन० बर्मन**
श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उड़ीसा में पुलिस-नक्सलवादी सांठ-गांठ सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया अथवा दोषी ठहराया गया ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) उड़ीसा राज्य सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। समझा जाता है कि नक्सलवादी हमदर्द जाने जाने वाले व्यक्तियों के साथ सम्पर्क बनाये रखने के लिये पुलिस दल के दो सदस्य ध्यान में आये थे। किन्तु, उड़ीसा पुलिस और नक्सलवादियों के बीच किसी सांठ-गांठ का कोई प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार के अनुसार पुलिस दल का मनोबल संतोषजनक है और दल में अनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए समझी गई गतिविधियों के विरूद्ध एक प्रैस टिप्पणी के माध्यम से जारी की गई चेतावनी का सभी सम्बन्धित व्यक्तियों पर वांछनीय प्रभाव हुआ है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कड़ी निगरानी रख रही हैं।

Industries in Vilages on the pattern of China and Japan

***462. Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up industries in the villages similar to those in China and Japan to manufacture various components which will be assembled in cities ;

(b) whether it will be beneficial to both the villages and the cities; and

(c) If so, the difficulties and objections Government have in framing such an industrial policy and adopting this process ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C Subramaniam) : (a) to (c) There is no specific proposal as mentioned in (a). But Government attach importance to a dispersed and decentralised pattern of development for our industries. Public sector undertakings are also being induced to farm out as much of their requirements of ancillaries and components to smaller units. The Licensing Policy statement of February 1973 has also reaffirmed that the licensing decisions will conform to the requirements of balance regional development and development of backward areas.

नैशनल मैटालर्जिकल लैबोरेटरी, जमशेदपुर में अधिकारियों की मुअत्तिली/नौकरी समाप्ति

4342. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनफेडरेशन आफ नेशनल मैटालर्जिक्ल लेबोरेटरी एम्पलाईज़, जमशेदपुर के संयुक्त सचिव श्री डी० आप्पा राव, अध्यक्ष श्री बी० एन० लाहरी तथा संयुक्त सचिव श्री आर० सी० बनर्जी को सेवा से मुअत्तिल कर दिया गया/निकाल दिया गया था और अन्य सत्रह कर्मचारी सदस्यों को चेतावनी पत्र दिये गये थे ; और

(ग) यदि हां , तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सर्व श्री डीन अप्पा राव और आर० एन० लाहरी को विशेष दुराचरणों के लिए सेवाओं से मुअत्तिल कर दिया गया था ।

श्री आर० एन० बनर्जी अस्थाई मैकेनिक को उनके दुर्व्यवहार, अभद्र आचरण और उपयोगिता न होने के कारण नौकरी से अलग कर दिया गया था । तीनों कर्मचारियों द्वारा उनके दुराचरण के लिये भविष्य में अच्छा व्यवहार करने का अपुष्ट एवं अस्पष्ट आश्वासन प्राप्त होने के बाद ही उन्हे निलम्बन और पदच्युत करने के आदेश निकाले गये थे । निर्दिष्ट दुराचरण जैसे धिराव में भाग लेना कर्मचारियों को डराना-धमकाना, और सेवाओं पर अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर रहने के लिये, कुछ मामलों में सावधानी बर्तने के ज्ञापन और चेतावनी पत्र दिये गये थे ।

मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरीबी से नीचे स्तर पर जीवन यापन कर रहे व्यक्ति

4343. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) मध्य प्रदेश में गरीबी से नीचे के स्तर पर जीवन यापन करने वालों की जिलेवार प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) गरीबी उन्मूलन के विचार से किसी सीमा तक उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अ थवा उठाने का विचार है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये चौथी योजना की अवधि में किन योजनाओं का प्रस्ताव किया गया तथा उनके क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) गरीबी के स्तर से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले लोगों के बारे में जिलेवार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। यह सब जानते ही हैं कि छोटे तथा नाममात्र के किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पियों और अनुसूचित जनजातियों व अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित लोग गरीबी के स्तर से नीचे रहते हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए अनेक उपाय अपनाए गए। इनमें ये शामिल थे :

(क) छोटे किसानों (46 जिलों/क्षेत्रों में) तथा नाममात्र के किसानों तथा कृषि श्रमिकों (41 जिलों/क्षेत्रों में) के लिए अभिकरणों की स्थापना। मध्यप्रदेश राज्य में छोटे किसानों के विकास अभिकरण तीन जिलों/क्षेत्रों तथा नामामात्र के किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिए दो जिलों/क्षेत्रों में स्थापित किए गये।

(ख) 54 जिलों/क्षेत्रों में सूखा प्रवृत कार्य क्रम शुरू किए गये। इनमें मध्य प्रदेश के चार जिले भी शामिल हैं।

(ग) प्रत्येक जिले में 1,000 लोगों को रोज़गार देने के लिए ग्रामीण रोज़गार की त्वरित स्कीमें।

(घ) आदिम जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए दूसरी योजना में आरम्भ किए गये कार्यक्रमों को स्थायित्व प्रदान करना।

(ङ) चुने हुए जिलों में आदिम जाति विकास अभिकरण शुरु करना।

इनके अलाव, जनसंख्या के इन वर्गों को सामान्य कार्यक्रमों, खास कर कृषि, शिक्षा, कल्याण और समाज सेवाओं आदि क्षेत्रों से भी लाभ पहुंचा। इन विशेष कार्यक्रमों से कितना लाभ हुआ, इसकी मात्रा अभी बताना संभव नहीं है।

गरीबी का उन्मूलन पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इस योजना अवधि में जिस कार्यनीति को अपनाने का प्रस्ताव है, वह गरीबी के उन्मूलन पर सीधा प्रहार करेगा और इस प्रकार गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को उठायेगा। यह है :

(क) उत्पादन का ढांचा खाद्य और आम उपभोग की अन्य चीज़ों के अनुरूप परिवर्तित किया जायेगा।

(ख) न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ करना ताकि जनसंख्या के असुविधा वाले क्षेत्र तथा वर्ग आधारभूत मदों के सामाजिक उपभोग के मामले में अन्य लोगों के बराबर आ जायें तथा उनके विकास में कारगर ढंग से काम करना।

(ग) सूखा प्रवृत आदि जाति तथा पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम जारी रखना तथा उसे सहायता पहुंचाना ।

(घ) भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से सूक्षम आदि जाति क्षेत्रों के लिये विशेष योजनाएं तैयार करना, ताकि

(i) आदिम जाति क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों के मध्य जो खाई है सके ;

(ii) आदिम जाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, और

(iii) आदिम जाति के लोगों की समाज के अन्य वर्गों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित की जा सके ।

राज्यों में यूरेनियम के निक्षेप

4344. श्री पी० के० जाफर शरीफ : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में अनेक स्थानों पर यूरेनियम के अज्ञात निक्षेपों का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और परमाणु ऊर्जा विभाग में इन निक्षेपों के विदोहन के लिए क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, हां ।

(ख) इसका ब्यौरा परमाणु ऊर्जा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों में दिया जाता है तथा ये प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के लिए प्रचारित किये जाते हैं तथा उनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

मध्य प्रदेश के बाण सागर बांध का परियोजना प्रतिवेदन

4345. श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को बाण सागर बांध का परियोजना प्रतिवेदन मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग का उसके लिए पांचवीं योजना में कितनी राशि रखने का विचार है; और

(ग) क्या परियोजना प्रतिवेदन न मिलने पर उसके लिए कोई राशि नहीं रखी जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) बाणसागर परियोजन के लाभों और लागत के बारे में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के मध्य जिस अंतर्राज्य इकरारनामें पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसे ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार पांचवीं योजना के दौरान इस परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट तथा वांछित परिव्ययों का ब्यौरा तैयार कर रही है। राज्य से संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इस बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

रीवा, गोविन्दगढ़ के श्वेत शेरों (टाईगर) पर डाक-टिकट

4346. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में रीवा, गोविन्दगढ़ के विश्व विख्यात श्वेत शेरों (टाईगर) पर एक डाक टिकट निकालने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ;

(ग) ऐसे डाक टिकट की मुख्य बातें क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) अगले वर्ष जब वन्य-जीवों पर बहुरंगी डाक-टिकट निकालने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, तब श्वेत टाइगर के चित्र वाला एक डाक-टिकट निकालने के प्रस्ताव को ध्यान में रखा जाएगा।

रीवा (मध्य प्रदेश) में आकाशवाणी केन्द्र

4347. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र, रीवा के प्रसारण कब तक आरम्भ हो जायेंगे ?

(ख) इसके निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या यह प्रसारण केन्द्र, (रिले स्टेशन) होगा अथवा एक स्वतंत्र यूनिट ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) : ट्रांसमिटर के 1974–75 में और स्टूडियों के 1975–76 में मुकम्मल हो जाने की आशा है जब तक स्टूडियो तैयार नहीं हो जाते, ट्रांसमीटर आकाशवाणी, भोपाल से कार्यक्रम रिले करेगा।

(ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :–

(1) ट्रांसमिटर : सिविल निर्माण कार्य छत्त तक पहुंच चुका है। ट्रांसमिटिंग उपकरण प्राप्त हो गये हैं। मास्ट के लिये आर्डर दे दिया गया है।

(2) स्टूडियो : स्थान ले लिया गया है। भवन प्रावकलनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। उपकरणों के लिए आर्डर दे दिये गये हैं।

(ग) जब **ट्रांसमिटर** और **स्टूडियो** मुकम्मल हो जायेंगे, रीवा आकशवाणी का एक स्वतन्त्र केन्द्र हो जायेगा।

रोवा और सिधी में उद्योगों की स्थापना हेतु आवेदन-पत्र

4348. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रोवा और सिधी नामक पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिये कितने आवेदन पत्र मिले हैं ?

(ख) किन-किन उद्योगों के लिये ये आवेदन-पत्र मिले हैं तथा प्रत्येक आवेदन-पत्र कब मिला ;

(ग) कितने आवेदनपत्रों पर मन्जूरी दी गई है तथा कब-कब ; और

(घ) जो आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं उन पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) उपलब्ध जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश रोवा जिले में आक्सीजन और एसिटिलीन का उत्पादन करने हेतु नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए 14 अगस्त 1972 को एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। आवेदन पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस आवेदन को यथा शीघ्र निपटाने के प्रयास किये जायेंगे ।

अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों को स्थायी बनाना

4349. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **संचार** मंत्री अस्थायी टेलीफोनों को स्थायी बनाने के सम्बन्ध में 8 अगस्त , 1973 के अतारांकित प्रश्न सख्या 2409 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) इस समय प्रस्ताव की स्थिति क्या है ; और

(ख) उस पर कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) इस सुझाव की जांच की जा चुकी है कि जो अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन कुछ समय तक काम करते रहे हों उन्हें स्थायी बना दिया जाए। फिलहाल, ऐसे अस्थायी टैलीफोन कनेक्शनों को स्थायी कनेक्शन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मूल विज्ञानों में अनुसंधान कार्य

4350 **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मूल विज्ञानों में अनुसधान कार्यों के लिये एक अलग निकाय बनाने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्षेत्र तथा कृत्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : विज्ञान में मूल और अन्तःअनुशासनिक अनुसंधान की मदद के लिए एक निकाय की स्थापना के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। यह प्रस्ताव अभी भी प्रारम्भिक स्तर पर ही है।

विदेशी फर्मों की तुलना में भारतीय फर्मों को लाइसेन्स देना

4351. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री उद्योगों में विदेशी सहयोग तथा विदेशी निवेश के प्रतिविरोध के सम्बन्ध में 14 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में नये उत्पादों के लिये लाइसेन्स देते समय भारतीय फर्मों को प्राथमिकता दी जायेगी ; और

(ख) क्या विदेशी फर्मों को ऐसे लाइसेन्स देने मे विदेशी सहयोग करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप लाभ, लाभांश आदि के रुप में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : फरवरी, 1973 की लाइसेंस नीति के अनुसार अधिक विदेशी हिस्से वाली कम्पनियों को उन 19 उद्योग क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी गई है जो पूंजी प्रधान है और अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिकता प्राप्त है। इन उद्योग क्षेत्रों में भी यदि उपयुक्त छोटे तथा मझोले उद्यमियों के आवेदनों को विदेशी बहुल कम्पनियों और बड़े घरानों के आवेदनों को तरजीह दी जाएगी। अभी अधिक विदेशी हिस्से वाली कम्पनियां से जो अपना विस्तार करना चाहते हैं अथवा कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहती है यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार द्वारा निर्धारित फार्मुला के अनुसार वे विदेशी स्वामित्व को कम करें इसके साथ ही प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं निर्यात सभावनाओं और भुगतान सतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों के विशेष सन्दर्भ में विदेशी कम्पनियों के पूंजी निवेश प्रस्तावों की जांच की जाती है।

सी०ओ०बी० लाइसेन्स जारी करने का आधार

4352. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी फर्मों के विस्तार के लिये आशयपत्र जारी करने के सम्बन्ध में 14 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 438 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जारी किये गये कुछ अनुमति/अनापत्ति पत्रों में क्षमता का उल्लेख नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सी० ओ० वी० लाइसेन्स जारी करते समय इन अनुमति/अनापत्ति पत्रों को ध्यान में रखा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सी० ओ० बी० लाइसेन्सो के प्रयोजनार्थ अनुमति/अनापत्ति पत्रों की क्षमता किस आधार पर निश्चित की गयी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) जारी किये गये अनुमति पत्रों/अनापत्ति पत्रों के ब्यौरे के बारे में कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रख गये हैं। कार्य जारी रखने (सी० ओ० बी०) के लाइसेंस उपक्रमों द्वारा वास्तविक उत्पादन किये जाने अथवा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंसिंग उपबधों से छूट की अवधि के दौरान उनके द्वारा इस प्रकार का उत्पादन करने के लिए उठाये गये कदमों को ध्यान में रखने के पश्चात् दिये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश में निर्मातोन्मुख उद्योगों का विकास

4353. **श्री अम्बेश** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 में उत्तर प्रदेश में निर्मातोन्मुख उद्योगों के विकास पर कुल कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : निर्यातोन्मुख उद्योगों की स्थापना सहित निर्यात सवर्द्धन के सरकारी प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। किसी राज्य का इन प्रयासों में भाग लेना उस राज्य के सामर्थ्य तथा राज्य में विद्यमान उद्योगों पर निर्भर होता है। निर्यात योग्य अतिरिक्त माल पैदा कर सकने वाले कारखानों की स्थापना के लिए धनराशि पंचवर्षीय योजनाओं के अंश के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। उ० प्र० की 1972-73 की वार्षिक योजना में स्वीकृत परिव्यय बड़े व मझोले उद्योगों के लिए 351 करोड़ रू० ग्रामीण व लघु उद्योगों के लिए 350 लाख रु० तथा खनिज विकास के लिए 35 लाख रु० है।

Hide Industry in M.P.

4354. Shri G.C. Dixit :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to utilise raw hides available in Madhya Pradesh ; and

(b) the number of Panchayat industries engaged in the hide industry in Madhya Pradesh ?

The Depusty Minister inthe Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee)

(a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Pending Applications from Madhya Pradesh for Industrial Licences

4355. Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of applications for industrial licences pending consideration with the Central Government as on June, 1973 which had been recommended by the Government of Madhya Pradesh ; and

(b) the time by which the necessary licences are likely to be issued ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee):

(a) As on 1st July, 1973, 128 industrial licence applications for setting up industrial undertakings in Madhya Pradesh were pending.

(b) Every effort is being made to dispose of those applications.

Issue of Licences/Letters of Intent for Setting up Industries in Chattisgarh Area, M.P.

4356. Shti G.C. Dixit :

Will the Minister of **Industries Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of licences/letters of intent issued for medium and big industries in Chattisgarh area of Madhya Pradesh district-wise: and

(b) the facilities being provided for setting up industries there keeping in view of the backwardness of the area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee):

(a) The number of Industrial Licences/Letters of Intent issued during 1970, 1971 1972 and 1973 (January-August) for location of industries in the backward districts in Chattisgarh area of Madhya Pradesh are as follows :—

Serial No.	Name of District	1970 number of ..		1971 Number of		1972 Number of		1973 (Jan-Aug.) Number of	
		Letter of intent	Licence	Letter of intent	Licence	Letter of intent	Licence	Letter of intent	Licence
1.	Raipur ..	—	—	1	1	1	—	2	—
2.	Raigarh	—	—	—	1	—	—	—	—
3.	Bilaspur	3	—	2	—	—	—	—	—
4.	Bastar	—	—	1	1	1	1	—	—
	Total ..	3	—	4	3	2	—	2	—

(b) Certain incentives have been provided for establishment of industries in the backward areas. Five backward districts, viz., Baster, Surguja, Bilaspur, Raigarh and Raipur are eligible for concessional finance from the financial institutions like the Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation and Industrial Credit and Investment Corporation of India Twelve blocks from the district of Bilaspur and Raipur (6 each) and five blocks from the district of Surguja have been selected for 15% central subsidy. The central subsidy as well as the concessions from financial institutions are in addition to the incentives and facilities offered by the Madhya Pradesh Government.

Vacant Posts of Linesmen in Madhya Pradesh Circle

4357. Shri. G.C. Dixit :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of vacant posts of linesmen in the Posts and Telegraph Department in Madhya Pradesh Circle;

(b) the action proposed to-be taken by Government to fill all these vacancies;

(c) the minimum wage paid to the women and casual labourers working in the telephone district of Madhya Pradesh Circle; and

(d) whether there is discrimination against them in the matter of wages and, if so, the reasons thereof ?

Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur):

(a) Fifty.

(b) Necessary action for the recuritment of lineman in Madhya Pradesh Circle has already been taken and selections made.

(c) There is no Telephone District in Madhya Pradesh Circle. Minimum wage amounting to Rupees two and eighty-five paise is being paid to women and casual laboureres in Madhya Pradesh Circle.

(d) There is no discimination against them in the matter of wages.

देश में अपने स्वैच्छिक दल चलाने वाले राजनैतिक दल

4359. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन कौन से राजनैतिक दल अपना स्वैच्छिक दल चला रहे हैं तथा दल के सदस्यों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ख) क्या कुछ स्वैच्छिक दलों को घातक हथियारों के प्रयोग का भी प्रशिक्षण दिया जाता है और यदि हां, तो क्या उनके प्रयोग के लिये सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है और कितने मामलों में ऐसी अनुमति दी गई है ; और

(ग) प्रत्येक दल के स्वेच्छिक दल की सदस्य संख्या क्या है और ऐसे प्रत्येक स्वैच्छिक दल का उद्देश्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

काश्मीर के लिये विशेष दर्जे के सम्बन्ध में शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य

4359. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला ने काश्मीरियों को विशेषाधिकार देने के लिये काश्मीर के विशेष दर्जे के विरूद्ध वक्तव्य दिया है ; और

(ख) क्या अधिकाँश काश्मीरी इस विचार से सहमत हैं और यदि हां तो क्या सरकार काश्मीर को विशेष दर्जा देने तथा उसके अलग स्थान रखने वाले संवैधानिक प्रावधान को समाप्त करके काश्मीर राज्य को समस्त देश के निकट लाने का विचार कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख) : सरकार ने इस संबन्ध में 19 नवम्बर, 1973 के "स्टेट्समैन" में रिपोर्ट देखी है । इस सम्बन्ध में सविधान के संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

केरल की अखबारी कागज परियोजना के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा

4360. **श्री वयालार रवि :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की अखबारी कागज परियोजना के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ;

(ख) विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के लिये हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के अनुरोध की रूपरेखा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या आवश्यक विदेशी मुद्रा मन्जूर करने में विलम्ब से परियोजना के कार्य के निश्चित कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 14.89 करोड़ रु० ;

(ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने निर्बाध विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के लिये कोई विशेष अनुरोध नहीं किया है । अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, प० जर्मनी, फिनलैण्ड आदि से 14.89 करोड़ रु० के मूल्य के संयंत्र, और मशीनरी का आयात करने के लिए एक आवेदन पत्र इस महीने के शुरु में प्राप्त हुआ है और इस मंत्रालय में उसकी जांच की जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अल्वाये स्थित इंडियन रेयर अर्थ के लिए प्रस्तावित अनुसंधान प्रयोगशाला को किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करना

4361. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्वाये स्थित इंडियन रेयर अर्थ के लिए प्रस्तावित अनुसंधान प्रयोग-शाला को किसी अन्यत्र स्थापन पर स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानीक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्री मती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंडियन रेयर अर्थ के उत्पादों की ऐजेन्सियों द्वारा बिक्री

4362. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेयर अर्थ के उत्पादों की भारत में बिक्री एजेन्सियों के द्वारा हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इन एजेन्सियों को कुल कितना कमीशन दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इंडियन रेयर अर्थ के कुछ उत्पादों की गिनती दुर्लभ उत्पादों में होती है और उनकी बिक्री चोर बाजार में होती है ; और

(घ) यदि हां, तो इन उत्पादों को सीधे कम्पनी द्वारा अथवा उपभोक्त सहकारी समितियों द्वारा वितरित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री, (श्री मती इन्दिर गांधी)

(क) कम्पनी के उत्पादनों में से केवल एक उत्पादन-ट्राइसोडियम फास्फेट को भारत में एजेंसियों के माध्यम से बेचा जा रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों में एजेंसियों को दी गई कमीशन की राशि निम्नलिखित है :

1970–71	2.06 लाख रुपये
1971–72	2.49 लाख रुपये
1972–73	2.82 लाख रूपये

(ग) जहां तक सरकार को मालूम है , इंडियन रेयर अर्थ्स के उत्पादनों में से ट्राइसोडियम फास्फेट को छोड़कर किसी भी अन्य उत्पादन की सप्लाई उसकी मांग से कम नहीं है, कुछ अन्य उत्पादक भी ट्राइसोडियम फास्फेट का उत्पादन करते हैं तथा हमारी जानकारी के अनुसार वे जिस कीमत पर

माल बेचते हैं वह इंडियन रेयर अर्थ्स द्वारा लिए जाने वाले विक्रय मूल्य से अधिक है । इंडियन रेयर अर्थ्स के उत्पादकों की चोर-बाजारी होने की कोई ठोस सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Scheme to Grant Compensation to Persons of Scheduled Castes/Tribes for the loss of life and property as a result of Atrocities Committed on them

4263. Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether any proposal is under consideration to formulate a scheme to grant compensation to the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the loss of life and property as a result of atrocities committed by influencial strata of society on them; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) :

(a) & (b) No such proposal is under consideration. However, State Governments do sanction ex-gratia relief as well as rehabilitation assistance, where ever necessary.

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय

4364 **श्री दिनेश सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ग्रामीण तथा शहरी जन संख्या के जीवन स्तर का अंतर बढ़ गया है जैसा कि दीर्घावधि से लगाये जा रहे प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों से पता चलता है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) श्रीमान्, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिव्यक्ति आय के अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो में पुलिस अधिकारियो को दैनिक भत्ता दिया जाना

4365. श्री **बक्शी नायक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कार्य कर रहे पुलिस अधिकारियों को डाक/सम्मन की ड्यूटी में जाने के लिए वित्त मंत्रालय ओ० एम० नम्बर, एफ़० आई० (आई०) ई चार (बी)/72

दिनांक 4 मई, 1972 के अनुसरण में बस का वास्तविक किराया दिया जाता है जो कि केवल चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारियों (चपरासी) पर लागू होता है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए उन्हें चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी समझने के क्या कारण जबकि पुलिस कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी और उत्तरदायित्व बिल्कुल ही भिन्न है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार हैड कांस्टेबल और सहायक सब इन्सपैक्टर जैसे पुलिस अधिकारियों को दैनिक अर्द्धदैनिक भत्ता देने का है ?

गृह मंत्रालल तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) वित्त मंत्रालय के ओ० एम० नम्बर–एफ़०1 (I)–ई–IV(बी)/72, दिनांक 4 मई, 1972 के अनुसरण में केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कार्य कर रहे कांस्टेबलों को डाक सम्मन ड्यूटी में जाने के लिए वास्तविक बस किराये की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

(ख) भर्ती नियमों के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कांस्टेबलों के पदों को चतुर्थ श्रेणी (अराजपत्रित) पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । कांस्टेबलों द्वारा सम्मन देने या डाक वितरण के लिए बाहर जाते समय की गई ड्यूटियां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा की गई डाक ड्यूटियों के समान ही हैं ।

(ग) आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, हैड कांस्टेबलों तथा सहायक सब-इन्सपैक्टरों को डाक सम्मन ड्यूटी नहीं सौंपी जाती है । ऐसे मामलों में उन्हें नियमों के अधीन स्वीकार्य यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते दिये जाते हैं ।

परमाणु खनिज डिवीजन को दिल्ली से हैदराबाद स्थानान्तरित करना

4366. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज डिवीजन को, जो कि दिल्ली में लगभग 25 वर्षों से कार्य कर रहा है, अब हैदराबाद स्थानान्तरित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसको स्थानान्तरित करने में कितना व्यय आयेगा ;

(ग) इसके स्थानान्तरण से अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कौनसी विभिन्न श्रेणियां प्रभावित होंगी ; और

(घ) कर्मचारियों के हैदाराबाद स्थानान्तरण में सरकार का विचार उन्हें क्या सुविधा देने का है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) : परमाणु उर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग का मुख्यालय शीघ्र ही नई दिल्ली से हैदराबाद को स्थानान्तरित किया जा रहा है ।

(ख) वर्तमान में, परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु के खनिज प्रभाग का मुख्यालय तथा उसकी प्रयोगशालायें दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं, जबकि इस प्रभाग का क्षेत्र-कार्य देश के सभी भागों में फैला हुआ है। मुख्यालय तथा प्रयोगशालाओं को एक ही स्थान पर केन्द्रित करने के लिए तथा क्षेत्र-कार्य पर और अधिक प्रभावशाली नियंत्रण रखने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि इस प्रभाग के मुख्यालय को हैदराबाद ले जाया जाये, जो कि उपरोक्त कार्य की दृष्टि से एक केन्द्रीय स्थान पर स्थित है। इसके अतिरिक्त, राजधानी में जगह की वर्तमान तंगी को ध्यान में रखते हुए इस प्रभाग के मुख्यालय की बढ़ती हुई गतिविधियों के अनुरूप कार्यालय के लिए तथा कर्मचारियों की रिहायश के लिए अतिरिक्त स्थान राजधानी में पा सकना कठिन होगा। साथ ही साथ, परमाणु खनिज प्रभाग के मुख्यालय को हैदराबाद में रखने से ना केवल राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के साथ लाभप्रद सम्पर्क प्राप्त हो सकेगा अपितु परमाणु ऊर्जा विभाग के इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा नामकीय ईंधन सम्मिश्र; जो कि हैदाराबाद में ही स्थित हैं, के साथ भी और अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित किया जा सकेगा। हैदराबाद में नाभकीय ईंधन सम्मिश्र के निर्माण स्थल के साथ उपलब्ध भूमि पर स्थायी कार्यालय को बना सकना अपेक्षाकृत कम खर्चीला पड़ेगा तथा वहां पर निर्माण कार्य अपेक्षाकृत सस्ता होने तथा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा हैदराबाद में नामकीय ईंधन सम्मिश्र तथा इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंण्डिया लिमिटेड के लिये प्रदान की गई सुविधाओं तथा व्यवस्था में साझीदार बनने से कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टि से बचत ही होगी।

परमाणु खनिज प्रभाग के मुख्यालय के रिकार्ड, स्टोर तथा उपकरणों को नई दिल्ली से हैदराबाद ले जाने पर लगभग एक लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) परमाणु खनिज प्रभाग के मुख्यालय के सभी वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों एवं तकनीकी, प्रशासनिक तथा सहायक कर्मचारियों का मुख्यालय हैदराबाद को स्थानान्तरित करना पड़ेगा।

(घ) इन्हें वही सुविधाएं प्रदान की जायेंगी जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारयों को उनका मुख्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित करने पर दी जाती हैं।

एल्यूमीनियम कंडक्टरों की क्षमता

4367. **श्री राम प्रकाश** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के डी० जी० टी० डी० और विकास आयुक्त, एस० एस० आई० के पास दो पारी प्रणाली पर आल एल्युमीनियम कंडक्टर और एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइनफोर्सड कंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स की निर्धारित क्षमता कितनी पंजिकृत है।

(ख) क्या क्षमता के निर्धारण के पश्चात् और क्षमता पैदा की गई है ;

(ग) क्या वर्तमान क्षमता पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपेक्षित क्षमता से अधिक हैं ; और

(घ) क्या निर्धारित क्षमता के लिए ई० सी० ग्रेड एल्युमीनियम देश में उपलब्ध होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) : सरकार ने 19 स्ट्रैण्ड तक के ए० ए० सी० ए० सी० एस० आर० कण्डक्टरों का विकास लघु उद्योग क्षेत्र

के लिये आरक्षित कर रखा है। संगठित क्षेत्र की लाइसेंस प्राप्त क्षमता करीब 112.650 लाख मी० टन है। विकास आयुक्त, लघु आयुक्त द्वारा 1970 में दिये गये आकलन के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र की क्षमता 3,39,600 लाख मी० टन है। हां, आकलन के बाद लघु उद्योग क्षेत्र में कुछ और अतिरिक्त क्षमता स्थापित की गई है।

पांचवी योजना में केवलों की होने वाली मांग को पूरा करने के लिये विद्यमान क्षमता पर्याप्त होगी ऐसी आशा है। ई० सी० ग्रेड अल्मीनियम की विद्यमान देशीय क्षमता इस उद्योग की कुल मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होगी।

आवश्यक वस्तुओं के लिए दोहरी विपणन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव पांचवीं योजना में शामिल करना

4368. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए दोहरी विपणन व्यवस्था लागू करने संबंधी योजना आयोग का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना प्रारूप में सुझाव दिया गया है कि खाद्यान्न, चीनी और खाने वाले तेलों जैसे आम उपभोग की कतिपय आवश्यक जिन्सों तथा "आधारभूत" क्षेत्र के कतिपय उत्पादनों के सम्बन्ध में दोहरी मूल्य प्रणाली अपनाने के बारे में सुझाव दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने यह सुझाव सिद्धान्तरूप से स्वीकार कर दिया है।

Broadcasting of Special Features of Fifth Plan

4369. Shri Shrikrishna Agrawal :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to broadcast special features on various aspects of Fifth Five Year Plan, so that the message can reach all the educational institutions in the country ; and

(b) if not the measures comtemplated by Government to disseminate special features of Fifth Plan to the common masses ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha)

(a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

आयकर विभाग और ज्वाइंटसाइफ़र ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकरियो को उनके संबंध में संरक्षण देने के निलंबित मामले

4370. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग और ज्वाइन्ट साइफर ब्यूरो (रक्षा मंत्रालय) में अपने कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन पाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के मामले कार्मिक विभाग में निर्णय हेतु विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) क्या वरिष्ठ अधिकारियों को उनके वेतनमान के संबंध में संरक्षण देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है :

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में निर्णय ले लिया गया है और इस निर्णय को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि अब तक कोई निर्णय नही लिया गया है तो वेतन में इस असमानता को दूर करने के लिए कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभागों में न तो आयकर विभाग के अधिकारियों का मामला ही और न ज्वाइन्ट साइफर ब्यूरो के अधिकारियों का कोई मामला ही लम्बित है। फिर भी, आय विभाग में अपने कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन पाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को निर्धारित करने का प्रश्न, संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था योजना के अधीन स्थापित वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाया गया विषय है। यह मामला विभागीय परिषद् द्वारा गठित एक समिति के जांचाधीन है, जिसमें कर्मचारी पक्ष तथा सरकारी पक्ष दोनों ही के प्रतिनिधि शामिल हैं। चूंकी ज्वाइन्ट साइफर ब्यूरो (रक्षा मंत्रालय) के मामले में उठाया गया प्रश्न, वैसा ही है जैसा कि आयकर विभाग के मामले में उठाया गया है, इसलिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने रक्षा मंत्रालय को सलाह दी थी कि वे आयकर विभाग के अधिकारियों के मामले में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करें, जो जैसा कि पहले ही सूचित किया गया था, वित्त-मंत्रालय की विभागीय परिषद् के विचाराधीन है। इन दोनों ही मामलों में अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद् में हो रहे विचारों के निष्कर्ष पर ही निर्भर करेगा।

आयोडीन युक्त नमक

4371. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोडिल रहित नमक बड़ी मात्रा में गल-गण्ड ग्रसित क्षेत्रों में अभी भी भेजा जाता है ;

(ख) क्या नमक अधिकारी आयोडिन-युक्त नमक बनाने के लिए नमक उत्पादकों से आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन राज्यों में अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है और उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) राज्य सरकारों द्वारा कानूनी रोक न लगाए जाने के कारण बिना आयोडिन वाला नमक गल-गण्ड रोग से आभान्त इलाकों में लगभग लगातार पहुंच रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) गल-गण्ड रोग से आक्रान्त निम्नलिखित इलाकों में बिना आयोडीन वाला नमक के प्रवेश को रोकने के आदेश सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अभी जारी किए जाने हैं :

	राज्य	इलाका
1.	असम	शिवसागर, लक्खीपुर, गोलपाड़ा, और कामरूप जिले
2.	अरुणाचल प्रदेश	पुरा प्रदेश
3.	बिहार	सारन, दरभंगा, मुज्जफरपुर, सहरसा और पूर्णिया जिले
4.	जम्मू तथा काश्मीर	समूचा राज्य
5.	त्रिपुरा	समूचा राज्य
6.	उत्तर प्रदेश	देवरिया जिला

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद कर्मचारी एसोसिएशन से अभ्यावेदन

4372. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् कर्मचारी एसोसिएशन ने 7 नवम्बर, 1973 को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के कार्यकारी निदेशक की मांगों के बारे में कोई ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो कमचारियों की मुख्य मांगों की बातें क्या हैं ;

(ग) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के प्रबन्धकों द्वारा अपने कर्मचारियों को पहले दिये गये आश्वासनों को अभी तक पूरा न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कर्मचारियों की मांगों को, विशेषकर तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार उनके वेतन का पुनरीक्षण, कब तक पूरा किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) राष्ट्रीयता उत्पादिकता परिषद के अधिशासी निदेशक को एन० पी० सी० एम्पलाइज एसोसिएशन की ओर से 7 नवम्बर, 1973 को इस तरह की मांग सम्बन्धी कोई भी स्मृति पत्र नहीं

दिया गया था। हां, अधिशासी निदेशक के पत्र के जबाब में एसोसिएशन द्वारा एक पत्र निदेशक को लिखा गया था । जिस में कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में पहले की गयी कार्यवाहियों तथा पत्र-व्यवहार की ओर ध्यान आर्कषित किया गया था ।

(ग) जहां तक 24 जून, 1973 के दिन दोनों पार्टियों के बीच हुए करार में प्रतिफलित कारखानों को प्रबन्ध विभागों द्वारा क्रियान्वित करने का प्रश्न है, उस के बारे में स्थिति इस प्रकार हैं :–

	कार्यवाही अथवा पालन के लिए कुल बातें :	31
1.	परिषद् द्वारा क्रियान्वित की गयी बातें	8
2.	वे बातें जिन्हें या तो भारत सरकार के विचारार्थ या राष्ट्रीय उत्पादक-क्षमता परिषद की प्रशासकीय सभा के विचारार्थ भेजा जाना है	7
3.	वे बातें जिन के बारे में एसोसिएशन के विचार 30–10–1973 को ही मिले हैं और जिन पर विचार किया जा रहा है	7
4.	वे बातें जिन के पालन के लिए कोई एक पार्टी सहमत हुई है	9
		31

(घ) क्योंकि राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद एक स्वशासी संस्था है, अतः एसोसिएशन की मांग को क्रियान्वित करने के पहले इन मांगों में निहित वित्तीय तथा प्रशासकीय उलझनों को शास्त्री सभा का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए स्पष्ट किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय उत्पादन परिषद् द्वारा मुद्रणालय का बन्द किया जाना

4373. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली बहुत शीघ्र ही अपना आफसेट मुद्रणालय बन्द कर रही है तथा इसके कर्मचारियों की छंटनी की जाने वाली है ;

(ख) इस मुद्रणालय को बन्द करने के क्या कारण हैं तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के मुद्रण सम्बन्धी कार्य बाहर से कराये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, बाहर के मुद्रकों द्वारा प्रति महीने कितने मूल्य का मुद्रण सम्बन्धी कार्य कराया गया ; और

(घ) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा अपने मुद्रणालय में मुद्रण कार्य न करा सकने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् इस समय अपने यहां के आफसेट मुद्रणालय को बन्द करने का विचार नहीं कर रही है। यह निर्णय किया गया है कि परिणाम के तौर पर इसे तीन महीने यह देखने हेतु चलाया जायेगा कि क्या वह प्रतिमास अधिक से अधिक 1,50,000 पृष्ठों की छपाई कर सकता है । इसके

पश्चात् निर्णय लेने के पूर्व शासी निकाय द्वारा मुद्रणालय की अर्थ-व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जायेगा। फिर भी, इसके बन्द करने का निर्णय लिये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारियों के कहीं पर लगाये जाने पर विधिवत् विचार कर लिया जायेगा।

(ख) और (ग) यह आफ सैट मुद्रण एकक बहुत छोटा है जो राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद द्वारा कराये जाने वाले सभी श्रेणियों के मुद्रण-कार्यों को नहीं संभाल सकता है। समस्त उच्च कोटि के प्रकाशन तथा अधिक पृष्ठों का काम यथा तिमाही जनरल तथा पुस्तकों आदि एकक के चलते भी, आवश्यक रूप से बाहर से कराने पड़ते हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों में बाहर से कराये गये मुद्रण-कार्य का व्यय इस प्रकार है :–

1970-71	99,200 रुपये
1971-72	1,10,150 रुपये
1972-73	95,300 रुपये

उपर्युक्त आंकड़ों में मुद्रणालय के रखरखाव, मरम्मत तथा कागज की लागत सहित अतिरिक्त पुर्जों के खरीदने का खर्चा भी शामिल है। मुद्रणालय में किये गये कार्य का माहवारी व्यय शीघ्र ही उपलब्ध नहीं है।

Scheme for the Construction of Rest House in Delhi for Old and Disabled Freedom Fighters

4374. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have finalised the scheme for the construction of a Rest House in Delhi for the old and disabled freedom fighters;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) the action taken by Government in this direction and the reasons for the inordinate delay in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) A scheme for establishing a home for aged, infirm and physically handicapped freedom fighters, who have no one to look after is being finalised. Pending setting up of a permanent Home it is proposed to start a temporary. Home subject to availability of suitable accommodation.

"टैक्नोक्रेटस" और "जर्नलिस्टस" के बीच असमानता

4375. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "टैक्नोक्रेट्स" में सवव्याप्त रोष, जो "जर्नलिस्ट्स" के मामले में असमानता के विरोध में उत्पन्न हुआ है, से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हाँ तो इस बारे में, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) कतिपय गैर-तकनीकी सेवाओं के वेतनमानों तथा पदोन्नति के अवसरों की तुलना में तकनीकी अधिकारियों में अपने वेतनमानों तथा पदोन्नति के अवसरों को लेकर फैली शिकायत की भावना से सरकार अवगत है। तृतीय वेतन आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं और इन की जांच की जा रही है।

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने हेतु लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिये योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब

4376. **श्री राजदेव सिंह :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने हेतु लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिये योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के विशिष्ट रोजगार कार्यक्रमों को वर्ष 1972-73 में कार्यान्वयन में कोई भी विलम्ब नहीं हुआ है। चौथी योजनावधि में यहां तक लघु और ग्रामोद्योगों का सम्बन्ध है, वास्तविक परिव्यय योजनाओं को अन्तिम रूप देने और स्वीकार करने तथा संस्थाओं को सशक्त और संगठित करने तथा इन उद्योगों को विभिन्न प्रकार से सहायता और सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्था करने में लगने वाले समय के कारण अनुमानित नियोजित परिव्यय की तुलना में कम रही हैं।

Committee appointed on the Development of Bundelkhand

4377. Dr. Govind Das Richhariya : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the progress made in the work of the Committee appointed in connection with the development of the Bundelkhand region;

(b) the terms of reference of the Committee;

(c) the number and dates of the meetings held by the Committee so far and

(d) whether the Committee has invited suggestions from Members of Parliament from the Bundelkhand region; and if not, the kind of cooperation sought from them ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) to (d) On the suggestion of the Central Zonal Council made in its meeting held on July 10, 1972 a Joint Coordination Committee for Bundelkhand Area consisting of the officers of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh

was set up under the Chairmanship of the concerned Programme Adviser of the Planning Commission. This Committee has been assigned the responsibility of assisting the two States in the drawing up of an integrated plan and strategy of development for Bundelkhand Area.

The Joint Coordination Committee met on December 1, 1972 and recommended the constitution of Groups for examining the problems relating to (a) crop pattern, soil conservation and animal husbandry, and (b) water resource development for irrigation and power.

In addition the Committee also suggested the collection and analysis of socio-economic data so as to lay a firm foundation for the preparation of an integrated development plan for the Bundelkhand Area. The Group on Crop Pattern, Soil conservation and Animal Husbandry has completed the its deliberations and a draft report has been prepared. Steps are being taken to process its recommendations before these are discussed in the next meeting of the Joint Coordination Committee. Work of the Group on Water Resource Development as well as the analysis of socio-economic data is in progress.

Suggestions from the Members of Parliament as also from the other sections of population for the accelerated development of Bundelkhand Area will be appreciated.

श्रृंगार सामग्री तथा साबुन तेल आदि में हेक्साक्लोरोफीन के प्रयोग पर रोक

4378. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रृंगार सामग्री तथा साबुन तेल आदि में हैक्साक्लोरोफीन के प्रयोग पर रोक लगाने सम्बन्धी जनता तथा विशेषज्ञों की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने साबुन, शेविंग क्रीम और ट्वायलेट पाउडर बनाने वालों को हेक्साकलोरोफीन का प्रयोग बन्द कर देने की सलाह दी। बताया जाता है कि अधिकांश निर्माताओं ने इस अनुरोध को मान लिया है। ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स रूलस में समुपयुक्त संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Plans prepared by Fuel Research Institute, Dhanbad for producing Energy

4379. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Fuel Research Institute, Dhanbad (Bihar) has prepared the blue-print of all the there schemes for producing energy which will help in the proper utilisation of coal in Bihar and contribute largely towards the production of energy in the country ;

(b) if so, the main objection of the Central Government in according sanction to these schemes proposed to be taken up during the Fifth Plan;

(c) whether the Central Government have taken into consideration all the aspects of these schemes ; and

(d) if not, the reasons therefore ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) The Central Fuel Research Institute (CFRI), Jealgora has outlined three Resource—Energy—Development schemes for utilisation of the coal—fields in the Upper Damodar Valley comprising the districts of Hazaribagh, Palamau and Ranchi.

(b), (c) & (d). The schemes have been referred to National Coal Development Corporation who are examining the proposals.

दिल्ली में बन्दियों के लिये श्रेष्ठतर रहन-सहन तथा काम करने की दशाओं की योजना

4380. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में बन्दियों के लिये श्रेष्ठतर रहन-सहन तथा काम करने की दशाओं की कोई योजना तैयार की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय जेल तिहाड़ में पंखे और पानी की कमी को दूर करने के लिए हैण्ड पम्प लगाकर अपराधियों के लिए सुखसुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है और इस प्रयोजन के लिए 40,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। अब तक 20 हैंड पम्प लगाये जा चुके हैं और 50 छत के पंखों की व्यवस्था की जा रही है। केन्द्रीय जेल में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए प्रशासन ने कम से कम दो अतिरिक्त जेलों की स्थापना के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। इस प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सीमांकन करने के उपाय किये जा रहे हैं।

Reservation of Posts in Government Offices for Educated Unemployed Handicapped Persons

4331. Shri R.V. Bade : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to reserve a certain percentage of posts for educated unemployed handicapped persons in the Government Offices ;

(b) if so, the outlines of the scheme; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home and in the Department of Personnel : (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Supreme Court have held that reservation of posts in excess of 50% of the vacancies arising in a year would be unconstitutional. Since the reservations already provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ex-servicemen and released Emergency Commission/Short Service Commissioned Officers, along with the carried forward vacancies of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have already reached or are very close to the maximum permissible limit of 50% of the vacancies arising in a year, in the various categories of posts, it is not possible to make any further reservations for the physically handicapped. However, the physically handicapped persons are granted Priority III in the matter of appointment in Class III and IV posts filled through the employment exchange. For this purpose, the blind, deaf-mute and orthopaedically handicapped persons are also allowed a relaxation of the upper age limit prescribed for Class III and IV posts, by five years. In order to facilitate the rehabilitation of the physically handicapped, the Director General of Employment and Training has also set up Vocational Rehabilitation Centres. Special Employment Exchange for the physically handicapped has also been set up by the Director General of Employment and Training to assist the physically handicapped in finding the right job and those who are unable to secure employment in competitive industry, are provided employment in sheltered workshops.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा राज्य निगमों द्वारा चलाई जाने वाली कपड़ा मिलों के श्रमिकों की बकाया मजूरी का भुगतान

4282. **श्री सोमचन्द सोलंकी**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा राज्य निगमों द्वारा संचालित कपड़ा मिल कितनी हैं ;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा राज्य निगमों द्वारा संचालित कुल कपड़ा मिलों से कितना कपड़ा मिलों ने अब तक बकाया मजूरी का भुगतान कर दिया है ; और

(ग) श्रमिकों को मजूरी का भुगतान न करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 103 कपड़ा मिलों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है फिर भी अदालती मुकदमों की वजह से 6 मिलों को अपने कब्जे में नहीं लिया जा सका है। सरकारी प्रबन्ध में वर्तमान 97 मिलों में से 93 मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा राज्य कपड़ा निगमों की मार्फत चलाया जा रहा है तथा शेष चार मिलों को व्यक्तियों/व्यक्तियों के निकाय द्वारा चलाया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मन्त्रियों के दौरों पर किये गये व्यय में राज्य सरकारों का हिस्सा

4383. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, राज्यवार, देश के मन्त्रियों के दौरे पर किये गये व्यय में राज्य सरकारों का कितना हिस्सा है ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : राज्य सरकारों को केन्द्रीय मंत्रियों के दौरों के सम्बन्ध में यात्रा भत्ते दैनिक भत्ते पर किये गये व्यय में हिस्सा देने की आवश्यकता नहीं होती है। जब मंत्री राज्यों के दौरे करते हैं तो राज्य सरकारें सुरक्षा तथा विधि और व्यवस्था बनाये रखने के प्रबन्ध करती है। सरकार को इन मदों पर किये गये व्यय के बारे में कोई सूचना नहीं है।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि

4384. **श्री समर गुह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में समान दर से वृद्धि नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970 से 1972 तक कुल राष्ट्रीय उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) भिन्न-भिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की दर अलग-अलग होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) देश क भिन्न-भिन्न भागों में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में संतुलित वृद्धि को प्रोत्साहन देने हेतु अपना कृषि सम्बन्धी नीति तथा औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सकल राष्ट्रीय आय की वृद्धि सम्पूर्ण देश में समान दर से नहीं हो रही है।

(ख) राज्य घरेलू उत्पाद (राज्य आय) के अनुमान संबद्ध राज्य सरकारों के प्राधिकार के अधीन राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा तैयार और प्रकाशित किए जाते हैं। संलग्न विवरणों में वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक की अवधि के लिये प्रचलित और स्थिर भावों के आधार पर शुद्ध घरेलू आय के उपलब्ध राज्यवार अनुमान दिए गए हैं। (**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-5985/73**) तथापि, संकल्पनाओं, रीतिविधान, श्रोत सामग्री और आधार वर्ष में (स्थिर भावों के मामले में) विभिन्नताओं के कारण विभिन्न राज्यों संबंधी अनुमान तुलना करने के लिये सर्वथा अनुरूप नहीं हैं।

(ग) वृद्धि-दरों में घटबढ़ प्राकृत-भौगोलिक परिस्थितियों की विविधता, प्राकृतिक सम्पत्ति, समाजार्थिक स्थितियों, और विशेष रूप से कृषि आदि के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे विविध घटकों के कारण हुई है ।

(घ) छोटे किसानों के लिए विकास अभिकरणों की स्थापना, उपान्त कृषकों और कृषि मज़दूरों के लिए परियोजनाएं, कृषि संबंधी ऋणों के लिए और अधिक प्रावधान, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, और अधिक रोजगार अवसरों की सर्जना, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास और भूमि सुधार जैसे योजना कार्यक्रम असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए मुख्य कदमों में से कुछ हैं। जैसा कि औद्योगिक प्रगति के लिए किया गया, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों की परियोजनाओं के स्थान निर्धारित करने में केन्द्र द्वारा, अनुपात रूप में कम विकसित क्षेत्रों और प्रदेशों के दावों को ध्यान में रखा गया है। औद्योगिक रूप में पिछड़े हुए चुनींदा जिलों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रियायती दरों पर वित्त की व्यवस्था करना एक और महत्वपूर्ण कार्यवाही है। अधिकांश राज्य सरकारें भी अपने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कतिपय प्रोत्साहनों की व्यवस्था कर रही हैं।

विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

4385. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी बैंकों सहित विदेशी नियंत्रण वाली कितनी कम्पनियों, उनकी शाखाओं और सहायक कम्पनियों पर विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) प्रत्येक पर क्या आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) प्रत्येक के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी विदेशी बैंक पर विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने का आरोप नहीं लगाया गया है। फिर भी, तीन वर्षों की इस अवधि के दौरान रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सहमति के बिना खोले गये एक विदेशी बैंक जिसे बाद म बन्द कर दिया गया था, के एक खाते में बकाया राशि के उसी बैंक जिसे अनियमित माना गया था, के एक अन्य खाते में हस्तानान्तरण से संबंधित एक मामले में रिजर्व बैंक द्वारा उक्त बैंक के महाप्रबन्धक को कड़ी चेतावनी दी गई थी। भारत में विदेशी कम्पनियों की बहुत सी शाखाएं और सहायक कम्पनियां हैं, जिनमें से कुछ के भारत में कई कार्यालय हैं। अतः यदि माननीय सदस्य उन विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और सहायक कम्पनियों के नामों का उल्लेख करें, जिनके सम्बन्ध में वे सूचना चाहते हैं तो अपेक्षित सूचना को एकत्रित करके दे दिया जाएगा।

Per Capita Income in Backward Districts of Eastern U.P.

4386 **Shrimati Savitri Shyam** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the names and population of backward Districts of Eastern Uttar Pradesh ;

(b) the per capita income in these Districts during 1972 ; and

(c) the increase or decrease in the per capita income in these Districts during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a), (b) & (c) The data needed for working out precise annual estimates of income at district level are not presently available. The State Planning Institute (Economics & Statistics Division) of Uttar Pradesh have, however, recently made efforts to work out rough estimates of income at district level for the year 1968-69. The annexed table gives the estimates of per capita income in the eastern Districts of Uttar Pradesh for 1968-69 along with population. Other information is not available as the estimates have been worked out only for the year 1968-69.

STATEMENT

Per capita income of districts in Eastern Uttar Pradesh for 1968-69.

(at current prices)

Districts	Per capita income (Rs.)	Population (1968-69) ('000)
1. Mirzapur	528	1,465
2. Gonda	434	2,245
3. Varanasi	416	2,703
4. Allahabad ..	411	2,805
5. Gorakhpur ..	407	2,915
6. Bahraich ..	400	1,670
7. Faizabad	383	1,850
8. Deoria	367	2,698
9. Ballia	366	1,521
10. Pratapgarh	366	1,381
11. Basti	365	2,889
12. Sultanpur	350	1,583
13. Ghazipur	325	1,490
14. Jaunpur	323	1,932
15. Azamgarh	280	2,745
UTTAR PRADESH	476	84,491

Source : 'Estimates of District Income in Uttar Pradesh for 1968-69 (at district current prices),—State Planning Institute, Economics & Statistics Division, Uttar Pradesh.

दिल्ली में विदेशी मुद्रा की जालसाजी करने वाले गिरोह

4387. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में विदेशी मुद्रा की जालसाजी करने वाले एक गिरोह का पता लगाया है और यदि हां, तो कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई ;

(ख) क्या इस सबंध में कुछ गिरफ्तारियां की गई; और

(ग) क्या इस बारे में की गई जांच पड़ताल से उनका अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों से सबंध होने का पता लगा है ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां श्रीमान्। 10-11-73 को डिफेंस कालौनी पुलिस थाने में दर्ज किये गये एक मामले में लगभग 3.67 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद की गई थी और 18-11-73 को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में दर्ज किये गये मामले में 1 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद की गई थी ।

(ख) जी हां, श्रीमान । इन दो मामलों में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

चुने गये पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार की योजना

4388. **श्री मधु दंडवते** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे देश में चुने गये पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना अथवा प्रसार को प्रोत्साहन देने हेतु कुछ विशेष रियायतें देने की घोषणा की थी ;

(ख) क्या इस योजना के क्रियान्वयन के लिये वर्ष 1969 से 1974 की अवधि निर्धारित की गई थी ;

(ग) क्या कोई सुझाव मिले हैं कि क्रियान्वयन और रियायत देने की योजना की अवधि 1979 तक बढ़ा दी जाये ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) परिवहन राज सहायता योजना 1971, 15 जुलाई, 1971 से लागू हुई थी तथा पांच वर्षों की अवधि तक चलेगी । चुने हुए पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थगित किये जाने वाले उद्योगों के लिये केन्द्रीय सीधाअनुदान अथवा राजसहायता योजना, 1971, जो 20 अगस्त, 1971 से लागू है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक अथवा और आगे भी तब तक चालू रहेगी जब तक के लिये भारत सरकार निश्चय करेगी ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय राजसहायता योजना को पांचवी पंचवर्षीय योजना में चालू रखने के सुझाव योजना आयोग को भेज दिये गये हैं तथा इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना है ।

Housing Scheme for Harijan Families

4389. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of Harijan families benefited as a result of loans given for housing schemes during 1972-73, State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Sh. F. H. Mohsin). The information is being collected from the State Government / Union Territories and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

भंडारण जलाशयों के बारे में सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट, नागपुर द्वारा किया गया अध्ययन

4390. **श्री डा० डी० देसाई** : क्या **विज्ञान और प्राद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंडारण–जलाशयों के बारे में सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इस्टीच्यूट, नागपुर द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि जल दूषण का प्रभाव पन-बिजली सस्थानों पर पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ? और

(ग) संस्थानों को ऐसी क्षति से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा सिफारिश की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां । भद्रा पन-बिजली पावर प्रौजेक्ट, मैसूर, केरल में साबरीगिरी पन-बिजली प्रौजेक्ट और तमिलनाडु में कुंडा पन-बिजली पावर प्रौजेक्ट पर सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट (सी० पी० एच० ई० आर० आई०) नागपुर और सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टीच्यूट (सी० पी० आर० आई०) बैंगलौर ने एक अध्ययन आयोजित किया था ।

(ख) किये गये अनुसंधानों से पता चला है कि दूषण द्वारा कुछ धातुओं का क्षरण हुआ हैं ।

(ग) सरकार ने सेन्ट्रल पावर रिसर्च इस्टीच्यूट, बैंगलौर से एक अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त की है । अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

Policy not to set up Separate Hostels and Separate Colonies for Harijans

4391. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are following a policy not to set up separate hostels, construct separate colonies and run separate educational institutions for Harijans or Adivasis in order to eradicate untouchability in the country; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in Ministry of Home Affairs (Sh. F. H. Mohsin): (a) and (b) Government's view is that there should be no segregation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The setting up of exclusive institutions for these classes is discouraged, and in the institutions meant primarily for them, 10% of the seats are generally available to non-Schedulded Castes/Tribes.

भारी जल के उत्पादन के लिए परियोजनाओं की स्थापना करना

4392. **श्री के० एम० मधुकर**
श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 300 मीटरी टन भारी जल के उत्पादन के लिये 4 परियोजनाओं के गठन की योजना बनाई है और यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की कितनी परियोजनाएं स्थापित की जानी हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) आजकल चार भारी पानी सयंत्र निर्माणाधीन हैं। इन सयंत्रों के सम्बन्ध में प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है :–

क्रम सं०	सयंत्र का नाम	क्षमता (मीटरिक टन'/वार्षिक)	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	सयंत्र चालू होने की सम्भावित तारीख (वर्ष)
1	भारी पानी सयंत्र, बड़ौदा	67.2	1968.23	1974
2	भारी पानी संयत्र, तूतीकोरन	71.3	2132.00	1975
3	भारी पानी सयंत्र, कोटा	100.0	3579.07	1976
4	भारी पानी सयंत्र, तलचर	62.7	2110.10	1976

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना में, नये भारी पानी सयंत्र की स्थापना करने के लिये फिलहाल कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

भूमिगत अणु विस्फोटों के माध्यम से शिला-तेल (शैल आयल) का उत्पादन

4393. श्री रानेन सेन
श्री भान सिंह भौरा } : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिला-तेल के उत्पादन के लिये भूमिगत अणु विस्फोटों का प्रयोग किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक होगा ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) तेल-शैलों के निक्षेपों से तेल निकालने के लिये अमरीका में भूमिगत सीमित परमाणु विस्फोटों का प्रयोग करने के बारे में विचार किया गया है। प्रस्तावित प्रयोग में तेल-शैलों की सरचना के आधार-स्थल पर परमाणु विस्फोट किया जायेगा तथा उसके बाद "स्वस्थाने रिटार्टिग" नामक प्रक्रिया अपनायी जायेगी। जहां तक हमें विदित है, न तो अब तक यह निश्चित हुआ है कि उपरोक्त विधि आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त है अथवा नहीं तथा न ही ऐसा कोई विस्फोट किया गया है।

"मैगनेटो-हाइड्रोडाइनेमिक्स" पर आधारित बिजली उत्पादन की प्रक्रिया

4394. श्री रानेन सेन : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "मैगनेटो-हाइड्रो-डाइनैमिक्स" पर आधारित बिजली-उत्पादन करने की नई प्रक्रिया में भारत के साथ भागदार बनने के लिये सोवियत-विज्ञान अकादमी से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो सोवियत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बिजली उत्पादन करने की इस नई प्रक्रिया की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) बड़ा अनुकूल।

(ग) मैग्नेटो-हाइड्रो-डाइनैमिक्स विद्युत सयंत्रों को कोयले, तेल, गैसे तथा परमाणु ऊर्जा जैसे ताप के विभिन्न श्रोतों की सहायता से चलाया जा सकता है। वर्तमान सकेतों के अनुसार, इन्हें तापीय विद्युत सयंत्रों के साथ चलाने पर थर्मल ऐफिसैंसी या ताप को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने की विद्युत सयंत्र की क्षमता में 35 से 50% तक की वृद्धि की जा सकती है। सोवियत संघ ने प्राकृतिक गैस का प्रयोग करके, बिजली पैदा करने के इस तरीके पर व्यापक रूप से परीक्षण किये हैं। भारत में यही परीक्षण कोयले का इस्तेमाल करके दोहराने का प्रस्ताव है।

न्यूक्लीय तथा तापीय सयंत्रों की तुलना में मैग्नेटो-हाइड्रो-डाइनैमिक्स सयंत्रों के लिये अपेक्षाकृत कम शीतल जल की आवश्यकता होती है तथा वे तापीय, रेडियोसक्रिय तथा वायुमंडलीय संदूषणों से मुक्त होते हैं ।

समुद्री जल के खारेपन को दूर करना

4395. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री डी० सी० जदेजा : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री जल के खारेपन को समाप्त करने के लिये कोई प्रयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) न्यूक्लीय ऊर्जा की सहायता से जल के खारेपन को समाप्त करने के लिये किये जाने वाले अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यों के अन्तर्गत, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र इस विषय पर परीक्षण करने, विशेषत: समुद्री पानी के खारेपन को दूर करने के लिये वाष्पन की प्रक्रिया को काम में लाने के एक कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रहा है, लौंग ट्यूब वर्टिकल एवेपोरेशन प्रोसैस की सहायता से परीक्षण करने के लिये एक सयंत्र लगाने का काम इस वर्ष पूरा किया गया है । मल्टी-स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन प्रोसैस की सहायता से अपक्षारीकरण करने वाले एक और सयंत्र की स्थापना विचाराधीन है । इन सयंत्रों को लगाने का उद्देश्य प्राचलिक अध्ययन करना है । अपेक्षाकृत बड़े सयंत्रों का डिजायन बनाने का काम इन प्रोयोगिक सयंत्रों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के परिणामों पर निर्भर करेगा ।

Setting up of Industries in Eastern U.P.

4396. **Shrimati Savitri Shyam :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of new factories set up in Eastern Uttar Pradesh during the last three years ;

(b) the number among them, which were set up in public sector and of those which were set up in private sector; and

(c) whether, in view of very small number of factories in this area, Government will provide special incentives for setting up factories there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) According to data available, 7 industrial licences were issued for the establishment of new undertakings in Eastern U.P.

(b) Of these, on industrial licence was issued to a Public Sector and six to Private Sector.

(c) The Government have already provided Central Outright Grant or Subsidy to industries being set up in industrially backward districts/areas. Under current Import Trade Control (1973-74) imports for small scale units in such areas have also been liberalised.

दिल्ली प्रशासन में टंकण प्रशिक्षकों, आशुलिपि प्रशिक्षकों, कनिष्ठ तथा वरिष्ठ लेक्चरारों के वेतनमानों में विषमता

4397. **श्री दलीप सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्यिक प्रक्रियाएं संस्थान, मोरी गेट तथा वाणिज्यिक एवं सचिवालय संस्थान, अरब की सराय, नई दिल्ली में काम करने वाले टंकण प्रशिक्षकों, आशुलिपि प्रशिक्षकों, कनिष्ठ लेक्चरारों तथा वरिष्ठ लेक्चरारों के वेतनमान क्या हैं ;

(ख) उक्त वेतनमानों में विषमता होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान हाल ही में कब से पुनरीक्षित किये गये थे ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) इन संस्थाओं में हाल में किसी वेतनमान में संशोधन नहीं किया गया है । किन्तु, तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमानों में सशोधन किये जाने की सम्भावना है ।

विवरण

भाग (क) पद का नाम	वेतनमान			
	सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्था	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था	वाणिज्यिक व्यवसाय संस्था, मोरी गेट	वाणिज्यिक तथा सचिवालय संस्था अरब की सराय
1	2	3	4	5
	रु०	रु०	रु०	रु०
टाइपिंग और/अथवा	350—25—575 (हिन्दी)	210—425	260—500	210—425
आशुलिपि प्रशिक्षक (हिन्दी तथा अंग्रेजी)	350—900 सहायक निदेशक (अंग्रेजी)			
कनिष्ठ प्राध्यापक	शून्य	शून्य	350—650	350—700
वरिष्ठ प्राध्यापक	शून्य	शून्य	400—950	शून्य
उप-निदेशक (शिक्षण)	900—1250	शून्य	शून्य	शून्य

भाग (ख)

पद के लिये निर्धारित अर्हताएं तथा अनुभव और कार्य का स्वरूप प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न है ।

देश में तार कार्यालय

4398. श्री सी० के० जाफरशरीफ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार ऐसे कितने तार कार्यालय हैं जिनमें समाचार प्राप्त करने तथा भेजने की सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(ख) सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कितने कितने नये तार कार्यालय खोलने की योजना बनायी है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सूचना अनुबन्ध I में दी गई है ।

(ख) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध II में दी गई है ।

विवरण I

देश में राज्यवार तारीख 15–11–73 को काम कर रहे तार घरों की संख्या :

क्रम संख्या	राज्य का नाम	काम कर रहे कुछ तार घर
1	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	24
2	आन्ध्र प्रदेश	1056
3	अरुणाचल प्रदेश	19
4	असम	368
5	बिहार	991
6	चडीगढ़	19
7	दादरा और नागर हवेली	1
8	दिल्ली	104
9	गोवा, दिव और दमण	57
10	गुजरात	647

क्रम संख्या	राज्य का नाम	काम कर रहे कुछ तार घर
11	हरियाणा	267
12	हिमाचल प्रदेश	175
13	जम्मू तथा कश्मीर	110
14	केरल	797
15	लक्का दिव, मिनिक्वाय और अमीनदिव द्वीपसमूह	9
16	मध्य प्रदेश	727
17	महाराष्ट्र	1053
18	मणिपुर	[illegible]22
19	मेघालय	28
20	मैसूर	1586
21	मिजोरम	5
22	नागालैंड	11
23	उड़ीसा	576
24	पंजाब	381
25	पांडिचेरी	28
26	राजस्थान	766
27	तमिलनाडु	1376
28	त्रिपुरा	58
29	उत्तर प्रदेश	1285
30	पश्चिम बंगाल	621
	योग	13167

विवरण II

क्रम संख्या	राज्य (राज्यों) का नाम	उन तारघरों की संख्या जिन्हें चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोलने की योजना है।
1	आन्ध्र	184
2	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा	96
3	बिहार	86
4	दिल्ली	2
5	गुजरात, दादरा और नागर हवेली	89
6	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चडीगढ़	80
7	जम्मू तथा कश्मीर	6
8	केरल, लक्कादीव, मिनिक्वाय और अमीनदिव द्वीपसमूह	135
9	मध्य प्रदेश	103
10	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दिव	132
11	मैसूर	240
12	उड़ीसा	63
13	राजस्थान	140
14	तमिलनाडु और पांडिचेरी	270
15	उत्तर प्रदेश	207
16	पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43
	योग	1876 .

श्रीनगर में हुए उपद्रवों में पाकिस्तानी एजेन्टों का हाथ होना

4399. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी
श्री कमल मिश्र मधुकर } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का साक्ष्य मिला है कि हाल ही में काश्मीर की शिक्षण संस्थानों में हुए उपद्रव तथा छात्र उपद्रवों को पाकिस्तानी एजेन्टों ने भड़काया था;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी एजेन्टों की कार्य प्रणाली क्या है; और

(ग) क्या किसी एजेन्ट को पकड़ा गया और दण्ड दिया गया है तथा ऐसे तत्वों के प्रभाव से घाटी को मुक्त करने के लिये अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सीमा सुरक्षा बल में अधिकारियों का स्थायी बनाया जाना

4400. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल में काम कर रहे कुछ अधिकारी दस वर्ष से अधिक समय की सेवा के बाद भी स्थायी नहीं बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके स्थायी बनाये जाने के मामलों पर कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल 1 दिसम्बर, 1965 में ही बना और इस संगठन में विभिन्न वर्गों के पदों को केवल 1969 तथा 1970 वर्षों में स्थाई किया गया है । कोई भी अधिकारी सीमा सुरक्षा बल में 10 वर्ष से सेवा में नहीं है । किन्तु वे अधिकारी जो सीमा सुरक्षा बल में आने से पूर्व अन्य कार्यालयों तथा संगठनों में सेवा में थे उनको वर्तमान नियमों के अनुसार पहले ही स्थाई करने के लिये विचार किया जा रहा है ।

जहां तक असैनिक कर्मचारियों (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) जिन्होंने अन्य विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों सहित 10 वर्ष की सेवा की है, का संबध है उनकी उन पदों के भर्ती नियमों जिनके लिये उन्हें सीमा सुरक्षा बल में नियुक्त किया गया था, को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् स्थाई कर दिया जायगा ।

चिन्तपुरनी (हिमाचल प्रदेश) में टेलीफोन एक्सचेंज

4401. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में चिन्तपुरनी में एक टेलीफोन एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा डाक-तार प्राधिकारियों द्वारा ये आवेदन पत्र किस तिथि/तिथियों को प्राप्त किये गए ; और

(ग) एक्सचेंज कब तक मंजूर हो जाने और इसके कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) चिन्तपुरनी में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये 18 अर्जियां आई हैं । इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

क्रम संख्या	अर्जियों की संख्या	अर्जियों की तारीखें
1	3	22–12–72
2	2	27–12–72
3	2	5–2–73
4	1	17–3–73
5	1	17–4–73
6	1	25–6–73
7	4	4–7–73
8	1	24–8–73
9	1	29–9–73
10	1	15–11–73
11	1	भार वाईन पी०सी०ओ० से दिया गया एक एक्सटेंशन कनेक्शन पहले से ही काम कर रहा है ।

(ग) अम्बाला के पोस्टमास्टर जनरल चिन्तपुरनी में 25 लाइनों का एक छोटा आटोमैटिक एक्सचेंज खोलने के प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं । यदि यह एक्सचेंज खोलना तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हुआ तो यह प्रस्ताव मंजूर कर दिया जाएगा । टेलीफोन एक्सचेंज की मंजूरी देने के बाद एक्सचेंज के चालू होने में करीब दो साल का वक्त लग जाता है ।

पंजाब सर्किल में टेलीफोन एक्सचेंज

4402 श्री नारायण चन्द्र पाराशर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में (जनवरी से दिसम्बर तक) पंजाब सर्किल के किन-किन जिलों में किन किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज मंजूर किये गये हैं ।

(ख) उनमें से किन किन स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर दिये गये हैं ; और

(ग) शेष स्थानों पर किस संभावित तिथि तिथियों तक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाएंगे ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) पंजाब सर्किल में कैलेंडर वर्ष 1973 के दौरान निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंज स्वीकृत किए गये हैं :

स्थान का नाम	जिला
1. बानूर	पटियाला
2. मोहाली	रूपड़
3. जयसिंहपुर	कांगड़ा
4. भवरना	कांगड़ा
5. निहालसिंह वाला	फरीदकोट
6. झांसा	कुरुक्षेत्र

(ख) मोहाली ।

(ग) उम्मीद है कि शेष स्थानों में टेलीफोन एक्सचेंज वर्ष 1974–75 में खोल दिए जाएगें ।

प्रधान मन्त्री द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन

4404. श्री भान सिंह भौरा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि जनसंघ की दिल्ली शाखा के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के बारे में नई दिल्ली पुलिस से शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) शिकायत में आरोप है कि 5 नवम्बर, 1973 को प्रधान मंत्री अपने निवास से अपने कार्यालय तथा वहां से वापस घोड़ा गाड़ी बग्गी में गयीं जिससे निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ और इस प्रकार बम्बई पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध किया गया ।

(ग) प्रधान मंत्री ने उस दिन टमटम का प्रयोग किया था। यह उस प्रकार का वाहन नहीं है जिस पर दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 16-10-1963 को दिए गये आदेश में समाहित प्रतिबन्ध लागू होते हों, जिसके अनुसार दिल्ली के कुछ मार्गो पर धीमी गति वाले वाहनों की कुछ श्रेणियों के निर्दिष्ट समय के दौरान चलने पर रोक है ।

Overseas Communication Centre in Greater Kailash, Delhi

4405. Shri G.P. Yadav : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether due to the Overseas Communication Centre in Greater Kailash Delhi the person having television sets have to face great difficulties, as neither the film nor the sound is clear on the television set ;

(b) whether in view of these difficulties, Government will shift this Centre to some other place ; and

(c) if so, by which time and if not, the reasons therefor and the steps being taken by Government to remove the difficulties experienced by the people ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) Complaints have been received from some residents of Greater Kailash, about interference to T.V. reception from the OCS Transmitting Station at Kalkaji in New Delhi.

(b) & (c) : There are no plans to shift the OCS Transmitting Station at Kalkaji due to technical and financial considerations. Government are, how ever, seized off the problem and have already taken certain measures to reduce the incidence of interference to TV reception, e.g., specially designed stub impedance matching circuits have been installed on the aerial system, low pass filters have been incorporated on several transmitters. These steps have brought down the level and zone of interference. A watch on the effectiveness of the measures taken is being maintained.

श्रोंकार सिंह हत्या काण्ड में कुछ पुलिस अधिकारियों को मृत्यु दण्ड

4406. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

श्री श्रोंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा, दिल्ली के हाल के श्रोंकार सिंह हत्याकाण्ड में कुछ पुलिस अधिकारियों को मृत्यु दण्ड तथा अन्य कठोर दण्ड दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिये गये दण्ड का व्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त निर्णय को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) और (ख) : जी हां श्रीमान् । सहायक उपनिरीक्षक बक्सीश सिंह को मृत्यु दंड दिया गया है बशर्ते कि उच्च न्यायालय द्वारा अभी उसकी पुष्टि कर दी जाये । हैड कान्सटेबल सुजान सिंह तथा कान्सटेबल धर्मपाल को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया है ।

(ग) सहायक उप-निरीक्षक बक्सीश सिंह के मृत्यु दण्ड की दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होनी है । अभियुक्त ने भी मुकदमें के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की है । हैड कान्सटेबल सुजान सिंह तथा कान्सटेबल धर्मपाल कारावास की सजा भुगत रहे हैं । जांच पड़ताल करने वाली एजेन्सी के विरुद्ध अतिरिक्त सेशन जज द्वारा की गई कटु आलोचना को निकालने के लिए दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय किया है ।

पुलिस तथा अन्य विभागों को हत्या के मामलों की जांच करने में सतर्क रहने सम्बन्धी आदेश

4407. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

श्री श्रोंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शाहदरा, दिल्ली के श्रोंकार सिंह हत्याकाण्ड पर हाल के निर्णय में पुलिस तथा अन्य विभागों की अपराधियों को बचाने के प्रयासों के लिए हुई कटु आलोचना को देखते हुए दिल्ली तथा देश भर की पुलिस तथा अन्य सम्बद्ध विभागों को हत्या तथा अन्य ऐसे मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने और ऐसे मामलों में सतर्क और सावधान रहने के कोई आदेश, निर्देश तथा परिपत्र जारी किये है या करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और यदि नहीं , तो क्यों ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) और (ख) : अतिरिक्त सेशन जज, दिल्ली द्वारा सेशन मुकदमा 1973 के नं० 55 में जांच-पड़ताल करने वाली एजेंसी के विरुद्ध अपने निर्णय दिनांक 16 नवम्बर, 1973 में की

गई कटु आलोचना को निकालने के लिए दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के उच्च न्यायालय में अपील कर का निर्णय किया है। इस स्थिति में इस कटु आलोचना के आधार पर आदेश, निर्देश तथा परिपत्र जारी करन का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती का अधिकार संघ लोक सेवा आयोग से ले लेने का प्रस्ताव

4408. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती का अधिकार संघलोक सेवा आयोग से ले लेने का कोई प्रस्ताव है : और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्। यदि यह संदर्भ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कृषि वैज्ञानिकों के पदों से है तो यह कहा जा सकता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन यह रस्टिर्ड सोसाइटी होने के नाते इसके अधीन आने वाले पद पहले से ही संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान और तारापुर बिजली घरों से दी गई बिजली की प्रति यूनिट दर में भिन्नता

4409. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु बिजली घर से परमाणु बिजली की प्रति यूनिट दर 10 पैसे प्रति यूनिट है जबकि तारापुर परमाणु बिजली घर की बिजली की दर केवल 6 पैसे प्रति यूनिट है, और

(ख) यदि हां, तो इस भिन्नता के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) तथा (ख) : तारापुर परमाणु बिजली घर तथा राजस्थान परमाणु बिजली घर के पहले यूनिट से पैदा होने वाली बिजली की प्रति यूनिट लागत क्रमश: 6.34 पैसे तथा 10.38 पैसे बैठती है। पुंजीगत लागत के अपेक्षाकृत अधिक रहने तथा निर्माण-कार्य में अधिक समय लागने के परिणामस्वरुप राजस्थान परमाणु बिजली घर के पहले यूनिट से पैदा होने वाली बिजली अपेक्षाकृत अधिक मंहगी पड़ी है।

दादरा और नगर हवेली के कलक्टरों के कर्त्तव्य

4410. श्री आर० आर० पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दादरा और नगर हवेली में कलक्टरों के मुख्य कर्त्तव्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

दादरा और नगर हवेली में कलक्टर के मुख्य कार्य भूराजस्व तथा काश्तकारी के मामलों के प्रयोजनों के लिए कलक्टर के रूप में तथा संघ राज्य क्षेत्र में विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करना है। पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन वह पुलिस महा निरीक्षक, आबकारी आयुक्त, उद्योग निदेशक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा संघ क्षेत्र राज्य में सभी कार्यालयों और विभागों के विभागाध्यक्ष के रुप में भी कार्य करता है।

बढ़ती हुई आर्थिक विषमता

4411. श्री मूल चन्द डागा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार पंचवर्षीय योजनाएं पूरी होने के बावजूद आर्थिक विषमता बढ़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :

(क) और (ख) : योजना अवधियों में अलग अलग समय पर वर्गों के आकार के अनुसार आय वितरण के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार को देश में व्याप्त गरीबी और आर्थिक असमानता की समस्या की जानकारी भली प्रकार है, और गरीबी हटाने और असन्तुलन मिटाने के लिए हर संभव उपाय अपनाए जा रहे हैं।

Curb on Economic Power of large Industrial Houses

4412. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Capital and Income of the large industrial houses have been increasing continuously for the last few years though Government have taken many measures to curb their economic power; and

(b) if so, the nature of the measures taken and whether these measures are needed to be modified or to be enforced firmly ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) : Government have taken a series of inter-related steps to curb concentration of economic power through the industrial licensing system which demarcates the fields of industry available for participation to the large industrial houses; the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act which requires proposals for expansion of such houses and of dominant undertakings to be tested against the consideration of public interest ; through public financial institutions which can secure participation in management and equity of undertakings belonging to the large house; through other regulatory mechanisims such as the Companies Act; and through a variety of positive measures intended to broad base entrepreneurship. The expansion of the large industrial houses has, therefore, been defined and limited within the ambit of these regulatory measures and restricted to specified fields of industry where public interest will be served by such expansion.

पांचवीं योजना में संसाधनों का उपयोग

4413. श्री के० लकप्पा :
श्री पी० गंगादेव :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पांचवी योजना में देश के संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है, यदि हां, तो उनकी रुपरेखा क्या है ;

(ख) क्या पांचवी योजना में लघु उद्योगों पर पूंजी निवेश का सुनियोजित कदम उठाने पर विचार किया जाएगा ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में गतिरोध, बढ़ते मूल्यों और अभावों में जन-साधारण का बजट बिगड़ गया है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पांचवीं योजना में क्या कदम उठाए जाएंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मोहन धारिया :

(क) जी, हां। पांचवीं योजना के विकास की कार्य नीती इस प्रकार तैयार की गई है जिससे आधारभूत उद्देश्यों यानी गरीबी का उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, को ध्यान में रखते हुए देश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। पांचवीं योजना के दौरान जिस कार्रवाई का अनुसरण करने का प्रस्ताव है, उसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्ररुप के दस्तावेज में दर्शाया जाएगा। इस दस्तावेज की प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में, लघु उद्योगों के प्रोत्साहन पर काफी महत्व दिया गया है और लघु उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी निवेश दोनों में काफी वृद्धि की कल्पना की गई है।

(ग) 1971-72 और 1972-73 में व्यापक सूखा पड़ने के कारण विभिन्न कृषि-आधारित जिन्सों की कम उपलब्धि हुई और औद्योगिक उत्पादन में ढिलाई आ गई। इन तथा अन्य कारणों से जो मूल्य बढ़े उनसे निस्संदेह आम आदमी के बजट पर बोझ पड़ गया है। इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए पांचवीं योजना में जिन कदमों की परिकल्पना की गई है, वे हैं (1) आम आदमी और मुख्यत: जनसंख्या के निम्नतम 30% की आय और उपभोग स्तरों मे वृद्धि, (2) कृषि और औद्योगिक उत्पादन खासकर आम उपभोग की चीजों की वृद्धि, (3) स्पीतिकारक प्रभाव को रोकना तथा मूल्यों में विपरता बनाए रखना; खाद्य और अन्य आवश्यक उपभोग सामान के लिए कारगर सार्वजनिक तथा वितरण प्रणाली का गठन करना, और (4) ऐश्वर्य के सामान के उपभोग पर रोक लगाना।

Expenditure on Space Schemes

4414. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Space** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on Space Schemes during the last two years; and

(b) the expenditure proposed to be incurred thereon during the financial year 1973-74 ?

The Prime Minister , Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The expenditure incurred on Space Schemes during 1971-72 and 1972-73 was Rs. 1,111·95 lakhs and Rs. 1,409·53 lakhs respectively.

(b) The expenditure proposed to be incurred in 1973-74 is Rs. 1,911·46 lakhs.

Payment of Overtime Allowance to the Employees in the Ministry of Information and Broadcasting during the Year 1972-73

4415. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) Whether the amount of Overtime Allowance paid during the financial year 1972-73 to the employees working in his Ministry has considerably increased as compared to that paid during the year 1970-71 and 1971-72; and

(b) if not, the year-wise amount of expenditure incurred on Overtime Allowance during the said financial years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha)

(a) & (b) : So far as the Main Secretariat of this Ministry is concerned the amount of Overtime Allowance paid during the financial year 1972-73 was less than the amount paid during the years 1971-72 but it was slightly more in comparison with the amount paid during 1970-71. The details are given below :—

Year		Amount
		Rs.
1970-71	..	1,07,429·00
1971-72		1,19,594·31
1972-73	..	1,18,807·00

The information in respect of the Attached and Subordinate Officers under this Ministry is being collected and will be paid on the Table of the House.

Temporary employees in the Ministry of Industrial Development

4416. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the number of employees in his Ministry who are still temporary even after rendering more than five years of service ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : There are sixty-two employees.

दिल्ली पुलिस में सब-इन्सपैक्टरों की पदोन्नति

4417. श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पुलिस महानिरीक्षक ने पदोन्नति आदि के मामलों में पुलिस के अनेक सब-इन्सपैक्टरों की वरिष्ठता की उपेक्षा की है ;

(ख) क्या जिनकी वरिष्ठता की उपेक्षा की गई है उनमें कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनका रिकार्ड प्रशंसनीय है और उनकी अपेक्षा ऐसे अधिकारियों को तरजीह दी गई है जिनके खिलाफ जांच चल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि चयन बोर्ड, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक और दो उप महानिरीक्षक हैं, ने 322 वरिष्ठ पुसिल उपनिरीक्षकों के नाम निरीक्षकों के पदों में पदोन्नति के लिए 'एफ' सूची में प्रविष्ट करने पर विचार किया। चयन बोर्ड ने 84 उपनिरीक्षकों को इस सूची में प्रविष्ट करने के लिए चुना और शेष 238 को निकाल दिया।

(ख) तथा (ग) चयन किये गये उप निरीक्षकों में से केवल एक उप निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच निलम्बित है, जो उच्च न्यायालय में फाइल किये गये एक शपथ पत्र में कड़ी भाषा के प्रयोग से सम्बन्धित हैं। ये चयन, दिल्ली में लागू पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.1(1) में निर्धारित मानदण्ड पर किये गये थे, जो इस प्रकार है :–

एक पद से दुसरे पद में तथा एक ही पद के एक ग्रेड से दूसरे में पदोन्नति, वरिष्ठता के क्रम से चयन द्वारा की जायेगी। दक्षता तथा इमानदारी चयन के मुख्य आधार होंगे। विशिष्ट योग्यता, चाहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की हुई हो अथवा प्रयोगात्मक अनुभव के स्वभाव की हो, प्रत्येक मामले पर सावधानी से विचार किया जायगा। जब दो अधिकारियों की योग्यतायें अन्यथा समान हों तो वरिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की जायगी। यह नियम समय मापक्रम में वेतन वृद्धियों को प्रभावित नहीं करता है।

मैसर्ज केडबरी एण्ड कम्पनी, हिन्दुस्तान लीवर, यूनियन कार्बाइड और सिंगर मशीन कम्पनी का मुख्य कारोबार

4418. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही विदेशी कम्पनियों (एक) केडबरी एण्ड कम्पनी (दो) यूनियन कार्बाइड, तथा (तीन) सिंगर स्विग मशीन कम्पनी का मुख्य कारोबार क्या है ;

(ख) 1965 में प्रत्येक कम्पनी की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी थी ;

(ग) क्या इन कम्पनियों ने सरकार की पूर्वानुमति से अपनी स्थापित क्षमता में वृद्धि की ;

(घ) क्या सरकार ने उन्हें आवश्यक मजूरी दी थी और यदि हां, तो किस आधार पर ; और

(ङ) क्या इन कम्पनियों को विविधीकरण के नाम पर अपनी शाखाओं के रुप में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाले नए कारखाने लगाने की अनुमति दी गई है और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक बिकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) से (ख) : तीनों कपनियों के बारे में उपलब्ध जानकारी नीचे दी जाती है। अतिरिक्त जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल रख दी जाएगी।

केडबरी एण्ड कम्पनी : सभवत : मै० केडबरी फ्राई (इण्डिया) लि० का उल्लेख किया गया है। यह एक उद्योग (विकास तथा विनियम), अधिनियम, 1951 के अधीन पंजीकृत है तथा इसका बोर्नविटा की क्षमता 1008 मी० टन, कोक चूर्ण की 300 मी० टन तथा खाद्य चाकलेट की 500 मी० टन है। फिर भी फर्म का यह दावा है कि 500 मी० टन की क्षमता एक पाली के आधार पर थी तथा तीन पालियों के आधार पर इसकी क्षमता बोर्नविटा के लिए 3000 मी० टन, कोका चूर्ण के लिए 900 मी० टन तथा खाद्य चाकलेट के लिए 1500 मी० टन मान ली जानी चाहिए। फिर भी, क्षमता के विषय में फर्म के दावे को उसी तक सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। यूनियन कार्बाइड: मै० यूनियन कार्बाइड के पास ड्राई सेलों की 2900 लाख, मिडगेट इलैक्ट्रोड की 2500 लाख, सिनेमा आर्क कार्बन की 60 लाख जोड़ी, तथा 1965 में फलेश लाइट केलेज की 60 लाख लाइसैंसीकृत पंजीयित क्षमता थी। बाद में फर्म को मद्रास के लिए ड्राई सेलों की 720 लाख तथा कलकत्ता के लिए ड्राई सेलों की 400 लाख क्षमता का सी० और बी लाइसेंस दिया गया है। सरकार की मजूरी से चीनी आक्रमण के पश्चात् 720 लाख की क्षमता अधिष्ठापित की गई थी। अतः सी ओ बी लाइसेंस देकर इस क्षमता को विनियमित किया गया था। वर्ष 1967–68 में ड्राई सेलों की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए इस फर्म को कलकत्ता में 400 लाख ड्राई सेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सन्तुलन उपकरणों के लगाने की अनुमति दी गई थी। 1969 में 2500 मी० टन की क्षमता में उन्हें इलैक्ट्रोलाइटिक मैगनीजडाई आक्साइड बनाने के लिए लाइसैंस दिया गया था। तथा वर्ष 1971 में प्रतिवर्ष 6000 मी० टन क्षमता में जिंक स्ट्रिप्स केलाट तथा प्लेटें बनाने का लाइसेंस दिया गया है। इस कम्पनी को एक सी ओ बी लाइसेंस वर्ष 1971 में प्रतिवर्ष 350 मी० टन क्षमता में कारबोराइल हाई फेसिंग राड तथा इलैक्ट्रोडस बनाने के लिए एक नई वस्तु बनाने का लाइसेंस 50 मी० टन की क्षमता तक हार्ड फेसिंग ट्यूब राड तथा स्टेलाइट का कास्टिग्स तथा क्रमशः 40 मी० टन और 20 म० टन के सी ओ बी लाइसेंस कम्पनी को दिए गए थे, फिर मी, फर्म ने बताया है कि सिनेमा आर्क कार्बन तथा फलेश लाइट केसेज का उत्पादन बढ़ा है और जैसा कि फर्म ने दावा किया है उसने बिना अतिरिक्त क्षमता स्थापित किए ही यह उपलब्धि प्राप्त की है।

सिंगर सिलाई मशीन: मै० सिंगर सिविंग मशीन क० के बारे में बताया गया है कि वह तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पजीयित नहीं है और न ही वह सिलाई मशीन बनाते हैं। फिर भी वे भारतीय फर्मो से सिलाई मशीनें खरीदते हैं तथा मेपिट के नाम से बेचते हैं। निर्माण संबंधी गति-विधियों के लिए कोई भी लाइसेंस मंजूर नहीं जान पड़ता है।

'वाई अनसाल्व्ड क्राइम-इट इज एलिमेंट्री : नो रियल स्लूथ इन दिल्ली' शीर्षक से समाचार

4419. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 अक्तूबर, 1973 के एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित विषय लेख की ओर दिलाया गया है जिसका शीर्षक 'वाई अनसाल्वड क्राइम-इट इज एलिमेंट्री : नो रियल स्लूथ इन दिल्ली' है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) जी हां, श्रीमान् । लेख 18 व 19 अक्तूबर, 1973 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ था ।

(ख) लेख में अपराध रिकाडो को बनाये रखने तथा आसूचना प्रणाली और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में कर्मचारियों की नियुक्ति तथा कार्यकरण में कमियों के बारे में कुछ सामान्य कथन समाहित था । दिल्ली प्रशासन को उपलब्ध पुलिस दल की पर्याप्त संख्या तथा गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस तथा न्यायालय के बीच संबधों के बारे में सामान्य टीकाटिप्पणी भी की गई है । ये सभी कथन तथा टीकाटिप्पणियां बिल्कुल ठीक हैं, नहीं कहा जा सकता । दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति की समय समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है दिल्ली पुलिस के कार्यकरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते है ।

उपरोक्त लेख में मुख्य आलोचना दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की प्रक्रिया दक्षता के बारे में है । यद्यपि यह सत्य है कि अपने अथक परिश्रम करने के बावजूद वे कुछ मामलों का पत्ता लगाने में असमर्थ रहे परन्तु उन्होंने उल्लेखनीय मामलों का पता लगाने तथा बरामदगी में सफलता पाई है ।

गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस व न्यायालय के बीच संबंधों के बारे में यह कहना सही नही है कि उनमें कटुता विद्यमान है । दिल्ली मे विधि तथा व्यवस्था से संबंधित सभी एजेन्सियां पूर्ण सहयोग तथा एक दूसरे के साथ ताल मेल से कार्य करते है ।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए बिहार से प्राप्त आवेदन

4420. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में केन्द्र को बिहार सरकार ने कुल कितने आवेदन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रेरित किए हैं ; और

(ख) इनमें से कितने आवेदन केन्द्र के पास निपटाने हेतु अभी तक विचारधीन हैं और क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :

(क) वर्ष 1973 के दौरान (31-10-73 तक) औद्योगिक लाइसेसों के लिए बिहार से 52 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) इन में से 45 आवेदनों पर अभी कार्यवाही की जानी है । इन आवेदनों को निपटाने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है ।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का सेवा के हित हेतु प्रशिक्षण

4421. श्री एम रामगोपाल रेड्डी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सेवा में (इन सर्विस) रहते हुए प्रशिक्षण देने हेतु पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण अवधि और पाठ्य-क्रम क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय स्थापित किया है परन्तु यह निदेशालय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सेवा में प्रशिक्षण नहीं देता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार सर्किल के टेलीग्राफ इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सा बिलों का भुगतान

4422. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बतानें को कृपा करेंगें कि :

(क) बिहार सर्किल के टेलीग्राफ इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों ने (इंजीनियरिंग डिवीजनवार) अप्रैल से अक्तूबर, 1973 तक कितने और कितनी राशि के चिकित्सा बिल प्रस्तुत किए और प्रथम अप्रैल, 1973 को ऐसे कितने और कितनी राशि के बिल भुगतान के लिए बकाया थे ;

(ख) अप्रैल से अक्तूबर 1973 तक की अवधि में टेलोग्राफ इंजीनियरिंग विभाग के डिवीजनल अधिकारियों (यूनिटवार) द्वारा कितनें और कितनी राशि के चिकित्सा बिलों का भुगतान किया गया और कितने (डिवोजन-वार) अस्वीकृत किए गए और प्रथम नवम्बर 1973 को कितनें बिल भुगतान के लिए बकाया हैं और उनकी राशि क्या है ; और

(ग) भुगतान अस्वीकृत और लम्बित रखनें में अत्याधिक बिलम्ब क्यों होता है और क्या चिकित्सा बिलों को अस्वीकृत के कारण संबंधित कर्मचारियों को नियंत्रक अधिकारियों या भुगतान प्राधिकारियों कें द्वारा बताए जाते हैं और यदि नहीं, तो क्यों ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) से (ग) : मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर यथा शीघ्र रख दिया जाएगा ।

पटना टेलोफोन डिस्ट्रिक्ट में टेलीफोन कनेक्शन

4423. श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट की स्थापना-तिथि को तथा 31 अक्तूबर, 1973 को टेलीफोन के कितने सीधे कनेक्शन, उनके कितने एक्सटेन्शन, कितन सी० बी० एक्स तथा पी० बी० एक्स के कितने एक्सटेंशन थे ;

(ख) उक्त डिस्ट्रिक्ट की स्थापना के समय उसमें कितने राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारी थे ;

(ग) वर्ष 1970-71 और 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 में, अक्तूबर, 1973 तक एक्सट्रेक्ट (1) मैंटनेंस, एम कंटीन्जैंसीज के अन्तर्गत कितना व्यय हुआ : और

(घ) पटना टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट की स्थापना से पूर्व और उस की स्थापना के बाद के व्यय और टेलीफोन कनक्शनों के आंकड़ो को देखते हुए उसकी स्थापना के बाद कम विकास और अधिक व्यय होने के क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क)	पटना टेलीफोन जिले के निर्माण की तारीख अर्थात 22-2-72 के आंकड़े	31-10-73 के आंकड़े
(i) सीधे टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या	9572	9973
(ii) एक्सटेंशन कनक्शनों की संख्या	612	718
(iii) प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंजों की संख्या	45	57
(iv) प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंजों से दिए गए एक्सटेंशन कनेक्शनों की संख्या	704	908

(ख)	राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या	अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या
टेलीफोन जिले के निर्माण की तारीख	10	851

(ग)	एक्सट्रैक्ट 'I' मेंटिनैंस के अतर्गत खर्च		एम कंटि-जंसीज के अन्तर्गत खर्च	
	नकद	साज-समान	नकद	साज-समान
1970–71	3,04,735	2,05,782	1,41,012.	–
1972–73	9,08,156	4,27,248	2,62,273	–
1973–74 (अक्तूबर 1973 तक)	2,71,600	4,44,367	1,48,690	–

(घ) खर्च में बढ़ोतरी आंशिक रुप से साज-सामान की बढ़ी हुई कीमतों और मजदूरी पर ज्यादा खर्च तथा आंशिक रुप से रखरखाव में सुधार लाने के लिए चलाए गए अभियान की वजह से हुई है। रखरखाव में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एक्सचेंजों के कार्य-चलान में सुधार लाने के लिए सभी एक्सचेंजों में वातानुकूलन उपस्कर लगाए गए हैं। अनेक खुले तार वाली लाइनों की जगह जमींदोज केबिल लाइनें बिछाई गई हैं। दूसरे कई तकनीकी सुधार भी किए गए हैं। इनमें केबिल डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंटों और उपभोक्ता कार्यालयों की रिफिटिंग और रिवायरिंग भी शामिल है। इस विशेष अभियान के फलस्वरूप कालें फेल होने की दर में काफी कमी आई है। 1970–71 के दौरान जहां कालें फेल होने की दर 10 से 12 प्रतिशत थी, अब यह 1.5 से 4 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार प्रति 100 टेलीफोनों पर प्रतिमास खराबियों की संख्या जहां 60 से 65 थी, अब यह घट कर 35 से 40 हो गई है। रखरखाव में सुधार लाने का गहन अभियान निरन्तर जारी है।

बिहार सर्किल में टेलीफोन आपरेटरों के पदों पर नियुक्तियां

4424. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल में टेलीफोन आपरेटरों के रुप में नियुक्ति के लिए भर्ती किए गए अनेक उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्ति के बावजूद बेकार बैठें हैं ;

(ख) बिहार सर्किल में इस प्रकार फालतू टेलीफोन आपरेटरों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सर्किल कार्यालय में अतिरिक्त टेलीफोन आपरेटरों के पदों के सृजन के लिए प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी देन में बहुत विलम्ब किया जाता है ;

(घ) वर्ष 1972–73 में अब तक डिवीजन बार टेलीफोन आपरेटरों के कितने पद बनाए गए और 1973–74 में अब तक डिवीजन वार टेलीफोन आपरेटरों के रुप में नियुक्ति के लिए किनने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया ; और

(ड) बिहार सर्किल में 1973–74 और 1972–73 में कितने उम्मीदवार चुने गए जिन्हें अभी टेलीफोन आपरेटरों का प्रशिक्षण दिया जाना शेष है और उन्हें शीघ्र काम देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और उन को किस तारीख तक नियुक्त कर दिया जाएगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) से (ड) यह सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर यथाशीघ्र रख दिया जाएगा ।

फिल्म समारोह निदेशालय और टी०वी० फिल्म प्रोड्यूसिंग केन्द्र

4425. श्री आर० एन० बर्मन :

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फिल्म समारोह निदेशालय तथा अनेक टी० वी० फिल्म प्रोड्यूसिंग केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके निदेश पद क्या होंगे और इन में किस तारीख तक कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :

(क) तथा (ख) : फिल्म समारोह निदेशालय ने 15 मई, 1973 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है ; इसके मुख्य कार्य ये हैं :–

(1) विदेशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों तथा उनके साथ किए गए विशेष प्रबन्धों के अन्तर्गत भारत में विदेशी फिल्मों के तथा विदेशों में भारत की फिल्मों के समारोहों की व्यवस्था करना ;

(2) हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन करना ;

(3) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत के भाग लेने की व्यवस्था करना; और

(4) भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह तथा समारोहों का समारोह आयोजित करना ।

टेलीविजन फिल्मों के निर्माण के लिए 4 केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

एशियन इलैक्ट्रानिक्स मेला :

4426. श्री आर० एन० बर्मन : क्या इलैक्ट्रानिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियन इलैक्ट्रानिक्स मेले में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ख) मेले की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु, ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)

(क) एवं (ख) : दिसंबर, 1973 में नई दिल्ली में आयोजित किये जा रहे सातवें एशिया इलैक्टोनिक्स सम्मेलन तथा एशिया इलैक्टोनिक्स यूनियन को तीसरी सामान्य सभा के सहयोजन में, इलैक्टोनिक्स विभाग द्वारा 5 दिसंबर से 18 दिसंबर, 1973 तक एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत द्वारा की गयी प्रगति को दर्शाना इस प्रदर्शनों का उद्देश्य है। प्रदर्शनी के भागीदारों में राज्य तथा केन्द्रीय सरकार अभिकरण सरकारी क्षेत्र उपक्रम, इलैक्टोनिक उद्योग संस्थाए तथा संगठित निजी क्षेत्र की लगभग 20 फर्में शामिल हैं। प्रदर्शनी में अनेक लघ क्षेत्र उत्पादक भी भाग ले रहे हैं। इलैक्टोनिक्स के महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय कौशलों का एक समग्र चित्र सर्वप्रथम एक प्रांगण में दिखाया जा रहा है। देश में अनुसंधान, अभिकल्प एवं विकास से संबन्धित तथा उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिक्स एवं व्यावसायिक इलैक्ट्रोनिक्स के दोनों क्षेत्रों से संबन्धित उपकरणों एवं प्रणालियों, सामग्रियों एवं घटकों का एक व्यापक संग्रह प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है।

कृष्णनगर के मुख्य डाकघर में एक राजनितिक बैठक

4427. श्री आर० एन० बर्मन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि कृष्णनगर स्थित मुख्य डाकघर में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के एक कार्यकर्ता द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैठक के लिए उस डाकघर के मुख्य पोस्टमास्टर को पूर्व अनुमति ले ली गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस अवैध बैठक के लिए अनुमति देने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) तारीख 11-7-1973 को केन्द्रीय और राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों ने, जिनमें डाकघर के कर्मचारी भी शामिल हैं पांच मिनट तक एक सभा की थी, जिसमें उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों से यह आग्रह किया कि वे बढ़ती हुई कीमतों और वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध मे अगले दिन टाउन हाल मैदान में होने वाली सभा में भाग लें। यह मालम नहीं है कि वे साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल से संबद्ध थे या नहीं।

M/(D)11LSS—6

(ख) जी हां। पोस्टमास्टर ने इसके लिए अनुमति दी थी।

(ग) सक्षम अधिकारी ने इस सबंधं में उचित कार्यवाही की है और पोस्टमास्टर का इस स्थान से तबादला किया जा रहा है।

Constitution of a Judicial Authority to look into Reservation and Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services

4428. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government propose to constitute a judicial authority to provide for the promotion and reservation of post for the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all Services including those in the private sector undertakings and to consider matters regarding their appointments and personal complaints; and

(b) if so, the time by which it will be constituted ?

The Minister of State in the Ministry of Home and in the Department of Personnel : (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Setting up a Finance Corporation for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

4429. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a proposal is under consideration to set up a Finance Corporation with and initial capital of Rs. 1,000 crores for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to provide them with the opportunities to take up business, trade and industries and to give them assistance for agriculture and building houses; and

(b) if so, the broad outline thereof and the time by which it will be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) No such proposal is under consideration in this Ministry.

(b) Does not arise.

केरल न्यूजप्रिंट परियोजना

4430. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** :

श्री वयालार रवि :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्धक निदेशक ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा है कि केरल न्यजप्रिंट परियोजना केवल 1978 में ही आरम्भ होगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के साथ किये गये ठेके, जिससे राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने इस परियोजना को तीन वर्षों में चालू करने की जिम्मेदारी ली थी, के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इसको चालू करने में अनुमानित विलम्ब के क्या कारण है ; और इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक ने एक प्रेस सम्मेलन में यह बताया कि केरल अखबारी कागज परियोजना 1977–78 में उत्पादन आरम्भ कर सकती है।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय औद्यौगिक विकास निगम ने तीन वर्ष में परियोजना के चालू करने की ज़िम्मेदारी नहीं ली है। उपकरण तथा मशीनों की डिलिवरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम और हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के बीच इस समय बात-चीत चल रही है । संयंत्र के शीघ्र चालू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस सुधारों सम्बन्धी गोरे समिति का प्रतिवेदन

4431. श्री एम० सुदर्शनम :

श्री जगन्नाथ मिश्र

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पुलिस सुधारों सम्बन्धी गोरे समिति में की गई सिफारिशों की धीमी क्रियान्विति के बारे में प्रेस रिपोर्टों की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) राज्य सरकार से परामर्श करके गोरे समिति की सिफारिशों का अध्ययन तथा उन्हें शीघ्र लागू करने का प्रयास किया जा रहा है । कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा किर्यान्वित की गई हैं।

Discovery made by Research Insitutute, Jodhpur on use of Solar Energy

4432. **Shri M. S. Purty** : "Will the Minster of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Research Institute, Jodhpur has discovered that Solar Energy can be utilised for heating water, in agricultural production, to run transistors and radios and to light the houses;

(b) whether the scientists have also decided to make use of solar radiation to generate power keeping in view the shortage of coal and kerosene as also the power crisis ; and

(c) if so, the outlines thereof? "

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) No, Sir. The Central Arid Zone Research Institute, Judhpur, has , however, designed, developed and installed a proto-type solar water heater. This heator can supply 90 litres of warm water at 52 to 55 degrees C. in winter afternoon at Jodhpur. From this heater, warm water for taking bath would become available within two hours after sun-rise during winter. Research work, however, continues for utilisation of solar energy in arid zone though no other device has yet been evolved by this Institute.

(b) Research project to generate power for substituting coal and kerosene has not yet been taken up by the Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur although this has drawn the attention of the Scientists.

(c) Does not arise.

कागज निर्यातात्रों के लिये, समूचे संयंत्र और उपकरण, के आयात पर प्रतिबंध

4433. **श्री एम० एस० पुरती** :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज निर्यातात्रों के लिए 'समचे संयंत्र तथा उपकरण' के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कागज निर्यातात्रों की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)

(क) जी, हां ।

(ख) कागज उत्पादक धीरे धीरे इन आवश्यकतात्रों का अनुकूलन करते जा रहे हैं ।

कूच बिहार के मुख्य डाकघर के लिए इमारत

4434. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री 14 जुलाई 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4832 के प्रश्न के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार मुख्य डाकघर को वर्तमान इमारत, जिसमें इस समय यह डाकघर कार्य कर रहा है, पश्चिम बंगाल सरकार से खरीद ली गई है जिसके लिए मंजूरी दो वर्ष पूर्व मिल चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और उक्त खरीद कितनी जल्दी की जाएगी और उक्त भूमि तथा इमारत पर और सुधार कब किए जायेंगे ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) :

(क) कूच बिहार मुख्य डाकघर की इमारत पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से खरीदी जा चुकी है ।

(ख) मुख्य डाकघर के अहाते में जो जमीन फालतू पड़ी हुई है उसका उपयोग करके उसमें टेलीफोन एक्सचेंज की एक इमारत बनाने का प्रस्ताव है ।

सीमा सुरक्षा दल के कमांडेंट का कूच बिहार शरणार्थी सेवा से सम्बद्ध होना ।

4435. श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या गृह मंत्री कूच बिहार शरणार्थी सेवा से सीमा सुरक्षा दल के कमांडैंट के सम्बद्ध होने के बारे में 25 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 498 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से तथ्यों का पता लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) और (ख) उड़ीसा सरकार से तथ्य मालूम किए गये हैं ।

उड़ीसा पुलिस का एक पुलिस उप-अधीक्षक सीमा सुरक्षा दल में कमान्डेंट के पद पर प्रति-नियुक्ति पर आया था, सेवा निवृत होने पर वह अधीक्षक के पद पर कूच बिहार शरणार्थी सेवा में नियुक्त किया गया था । यह सिद्ध करने वाली कोई सूचना नहीं है कि जब वह सेवा में था तो उसका उक्त संगठन से कोई अवैध सम्पर्क था ।

असैनिक सेवा विनियम के नियम 531(ख) की शर्तों में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी द्वारा स्वीकार की गई सेवा व्यापारिक सेवा न हो । इसलिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं थी । अतः मामले में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

पश्चिम बंगाल में दलखोला में ताप बिजली परियोजना

4436. श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **योजना मंत्री** पश्चिम बंगाल में दलखोला के स्थान पर ताप बिजली परियोजना के बारे में 22 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3918 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा उत्तर बंगाल में दलखोला के स्थान पर ताप बिजली परियोजना पर अंतिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :

(क) स्कीम विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देवनहाटा में पब्लिक काल श्राफिस

4437. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **संचार** मंत्री 11 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7675 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में देवनहाटा में एक पब्लिक काल ग्राफिस को दो वर्ष पूर्व मंजूरी दी गई थी ;

(ख) क्या प्रस्तावित काल ग्राफिस खोल दिया गया है ग्रौर व्यक्तिगत ग्रावेदन कर्त्ताओं के लिए ग्रन्य टेलीफोन कनेक्शन मंजूर कर दिए गए हैं ; ग्रौर

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) देवनहाट में सार्वजनिक टलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव 30-8-72 को मंजूर किया गया था । सार्वजनिक टलीफोन घर खोलने का कार्य शुरु भी कर दिया गया था। लेकिन जनता ने यह मांग की कि इस सार्वजनिक टेलीफोन घर को दीनहाटा की बजाय कूच बिहार से जोड़ा जाय । शुरु में इसे दीनहाटा से ही जोड़ने की योजना बनाई गई थी । इस सार्वजनिक टेलीफोन का संशोधित प्रस्ताव तारीख 2-11-73 को मंजूर किया गया ।

(ख) ग्राशा है कि प्रस्तावित सार्वजनिक टेलीफोन घर का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोल दिया जाएगा। ग्रभी तक टलीफोन कनेक्शनों के लिए कोई ग्रर्जियां नहीं ग्राई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये व्यापारियों की सहायता

4438. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **ग्रौद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग इस्पात स्थापित करने के इच्छुक व्यापारियों को सभी प्रकार की सहायता देने सम्बन्धी केन्द्र सरकार के निदेश को राज्य सरकार द्वारा किस हद तक क्रियान्वित किया गया है ; ग्रौर

(ख) इस बारे में ग्रब तक क्या कार्रवाई की गई है ग्रौर इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सीधा अनुदान अथवा राजसहायता योजना के अधीन उड़ीसा से लगभग 4 लाख रुपये की सहायता के लिये 49 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 15 एककों को अनुदान अस्वीकृत हो चुका है। तेजी से पूरा करने हेतु उड़ीसा राज्य को लिखा जा रहा है। कुछ समय व्यतीत होने पर ही इन योजनाओं के परिणाम को देखा जा सकेगा।

औद्योगिक तोड़ फोड़ की घटनाएं

4439. **श्री पी० गंगादेव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में औद्योगिक तोड़फोड़ की घटना का कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जायगी।

चौथी योजना में आणविक बिजली उत्पादन में कमी

4440. **श्री सत्येन्द्र नारायन सिन्हा** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना की अवधि में आणविक बिजली उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न हो सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) विशिष्ट किस्म के कच्चे माल (मिश्र धातु स्टील, स्पेशल स्टेनलैस स्टील) के उपलब्ध न होने, जटिल उपकरणों आदि के निर्माण तथा संभरण की विशेषीकृत आवश्यकताओं को पूरा करने में भारतीय उद्योग के असमर्थ रहने जैसे विभिन्न कारणों से चौथी पंचवर्षीय योजना में बिजली के उत्पादन का कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्य से पिछड़ गया है।

दृश्य, श्रव्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन बजट में कटौती

4441. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मितव्ययता के तौर पर दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन बजट में कटौती कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि छोटे समाचार-पत्रों की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सूचन और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रभाव मामूली है। स्थिति में सुधार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

चांदनी चौक, दिल्ली में एक हरिजन को चाय न देने पर व्यक्तियों की गिरफ्तारी

4442. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अगस्त, 1973 को चांदनी चौक क्षेत्र (दिल्ली) में हरिजनों को चाय न बेचने पर चार व्यतियों को अस्पृश्यता (अपराध) निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहिसिन) : (क) जी हां, श्री मान्। चार व्यक्तियों को 17–8–73 को गिरफ्तार किया गया था।

(ख) अस्पृश्यता अधिनियम की धारा 4/22/55 के अधीन मामले पर न्यायालय में विचारण होना है।

औद्योगिक लाइसेंस देने के बारे में परामर्शदाता और औद्योगिक विकास सेवा की रिपोर्ट

4443. **श्री मधु दण्डवते** :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों को बताते हुए औद्योगिक विकास सेवाओं के परामर्शदाताओं की एक रिपोर्ट सरकार के पास है जो औद्योगिक लाइसेंस देने में विलम्ब के मुख्य द्योत है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसको सभा पटल पर रखेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) परिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

पांचवी योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन

4444. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों और उनकी कमी को दृष्टिगत रखते हुए पांचवी योजना में इन वस्तुओं के उत्पादन को सरकारी क्षेत्र में करने पर बल दिया जायेगा ; और

(ख) क्या इन वस्तुओं के थोक व्यापार का सामाजिकरण किया जायेगा ताकि वे उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर मिल सकें ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने विशेषत: जन उपभोग, मध्यवर्ती तथा निवेशजन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से पांचवी योजना के प्रारुप में उल्लिखित नीति निर्धारित की गयी है ।

(ख) सरकार ने सार्वजनिक प्राप्ति तथा वितरण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने का निश्चय किया है ताकि उन उपभोग की कतिपय आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को, समुचित मात्रा में अपेक्षाकृत कम मूल्यों पर सुनिश्चित किया जा सके । तदनुसार पहले से ही कुछ उपाय कर लिए गए हैं ।

कोटा (राजस्थान) में सीधी डायल घुमाकर टेलीफोन करने की पद्धति

4445. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा, राजस्थान में सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था कब तक हो जाएगी ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई अड़चन है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कोटा के मैनुअल एक्सचेंज को वर्ष 1975–76 तक आटोमैटिक बनाए जाने की संभावना है ।

(ख) जी नहीं ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय के उपक्रमों में समान मंजूरी

4446. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय के अधीन सभी सरकारी उपक्रमों में समान मजूरी देने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन एककों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी के माध्यम से उर्दु को लोकप्रिय बनाना

4447. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी के माध्यम से उर्दू को लोक प्रिय बनाने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) आकाशवाणी से प्रतिदिन साढ़े नौ घण्टे के लिए उर्दू सेवा प्रसारित होती है। उर्दू में समाचार बुलेटिन तथा समाचार समीक्षाएं भी नियमित रुप से प्रसारित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी के कई केन्द्र उर्दू में नियमित आधार पर भाषित्त कार्यक्रम भी प्रसारित करते हैं। उर्दू में मुशायरे आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अक्सर होते रहते हैं। उर्दू गीत, आकाशवाणी के कतिपय केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संगीत कार्यक्रमों के नियमित अंग होते हैं। आकाशवाणी के केन्द्रों से प्रसारित होने वाले उर्दू कार्यक्रमों में सुधार करने तथा उनका विस्तार करने के बारे में बराबर पुर्नविलोकन किया जाता है। हाल ही में बम्बई, बंगलौर और लखनऊ केन्द्रों के उर्दू कार्यक्रमों की अवधि में वृद्धि की गई है। धारवाड़ केन्द्र अब उर्दू में बंगलौर केन्द्र से कार्यक्रम रिले करने के स्थान पर, मूल रूप से 30 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। एक उर्दू सलाहकार समिति भी बनी हुई है जो उर्दू कार्यक्रमों के बारे में आकाशवाणी को सलाह देती है।

विद्रोही नागाओं का अपने नेता श्री फिजो के साथ सम्पर्क

4448. **श्री एस० एम० बनर्जी**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं की गतिविधियाँ कम हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां तक कम हुई हैं ; और

(ग) क्या उनका अपने नेता श्री फिजो के साथ सम्पर्क बिल्कुल नहीं रहा है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों का "यौन काडं" में कथित अन्तर्ग्रस्त होना

4449. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 नवम्बर, 1973 के बम्बई के इस समाचार की ओर गया है कि गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी यौनकांड में अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका संक्षिप्त ब्योरा क्या है ;

(ग) उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एच० एफ० मोहसिन :

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) यह आरोप था कि गृह मंत्रालय के एक संवेदन प्रभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारी नई भर्ती की गई एक महिला कर्मचारी के कथित बलात्कार के मामले में अन्तर्ग्रस्त थे ।

(ग) मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिये जांच की गई थी । आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं ।

रामपुर-बुशहर (हिमाचल प्रदेश) में मुख्य डाकघर का कार्यालय भवन

4450. श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के अन्तर्गत रामपुर-बुशहर में मुख्य डाकघर के कार्यालय-भवन निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है ;

(ख) सरकार द्वारा अब तक उसका निर्माण कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का विचार इसका कब तक निर्माण करने का है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ नाजायज हस्तक्षेप के कारण अभी इस जमीन का कब्जा नहीं लिया जा सका है । अम्बाला के पोस्टमास्टर जनरल ने राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को जमीन पर

से नाजायज हस्तक्षेप दूर करने के लिए पहले ही लिख दिया है। अम्बाला के पोस्टमास्टर जनरल ने यह भी रिपोर्ट दी है कि जमीन के मालिक ने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 को धारा 18 के अधीन भू-अर्जन कलक्टर के अधिनिर्णय (अवार्ड) के खिलाफ एक रेफ्रेंस पेटीशन दाखिल कर दी है। भू-अर्जन अधिकारी इस मामले का प्रतिवाद कर रहे हैं।

(ग) यदि निधि उपलब्ध हुई तो वर्ष 1974–75 के दौरान इमारत बनाने का काम शुरू करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

Upliftment of People Living Below Poverty Line

4451. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1494 on the 21st November, 1973 regarding people living below subsistence level and state the action taken by Government to uplift the people living below poverty level during the last three years and the results achieved ?

The Mninister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : The action taken by Government during the last three years to uplift the people living below poverty level includes : (i) stepping up of Plan outlay from year to year ; (ii) emphasis on development of agriculture, village and small industries and activities like animal husbandry, dairying, fisheries etc. to benefit the poorer sections of the community ; (iii) adoption of special programmes for small and marginal farmers, farmers in dry areas and landless labour to enable them to participate in agricultural development and share its benefits; (iv) land reforms; (v) introduction of a crash programme for rural employment; (vi) laundhing of the Drought Prone Areas Programme; (vii) adoption of an extensive programme of social services and welfare and schemes for the development of backward areas: (viii) introduction of schemes for providing employment to the educated unemployed; and (ix) strengthening and enlargement of the public procurement and distribution system.

It is difficult to indicate precisely the results achieved so far

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के अध्यक्ष का त्यागपत्र

4452. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

श्री आर० बी० बड़े :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के अध्यक्ष के त्यागपत्र के बारे में 22 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांचू जांच समिति की प्रतिकूल टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के अध्यक्ष श्री गौतम साराभाई ने गत मई के महीने में अपना त्यागपत्र दे दिया था ;

(ख) क्या गत जून महीने में उनके द्वारा अहमदाबाद में यह घोषणा करने के बावजूद अध्यक्ष के त्यागपत्र को शीघ्र ही स्वीकार कर लिया जायेगा उनका त्यागपत्र अभी तक अस्वीकार नहीं किया गया बल्कि उक्त संस्थान के साथ किसी न किसी रुप में श्री साराभाई को सम्बन्ध रखने का भी प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले का पूरा ब्यौरा क्या है और उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई ह ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) :

(क) से (ग) श्री साराभाई के विरूद्ध शिकायतों सहित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणों पर बांचू समिति के निष्कर्षो को 22 अगस्त, 1973 की लोक सभा में पूछे गये उभरांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर में दे दिया गया है।

श्री साराभाई का त्याग पत्र अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। इस मामले पर तथा संस्थान के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर निर्णय थापर समिति की विशद परिवीक्षा के उपलब्ध होने पर ही, लिया जा सकेगा।

अहमदाबाद में ट्रंक सेवाओं का कार्यकरण

4453. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1973 के अहमदाबाद से "टेलीफोन चीफ एक्सप्लेज लेपसेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अहमदाबाद के प्रधान टेलीफोन अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि अहमदाबाद में ट्रंक सेवायें असन्तोषजनक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है और इस दिशा में लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। अहमदाबाद की ट्रंक टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए विशेषतौर से जो विभिन्न कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(i) महिला कर्मचारियों को गैर-हाजिरी के कारण आपरेटरों की कमी को पूरा करने के लिए शार्ट ड्यूटी आपरेटरों को काम पर लगाने सम्बन्धी कार्रवाई कर ली गई है।

(ii) एक नई इमारत बन रही है। इस इमारत के बन जाने पर अतिरित ट्रंक बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि बढ़े हुए ट्रंक परियात कुशलता पूर्वक निपटाय जा सके।

(iii) इस नई इमारत में एक ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज भी स्थापित किया जाएगा जिससे ट्रंक कालों को शीघ्रता से निपटाया जा सकेगा और उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग योजनाओं का और आगे विस्तार किया जा सकेगा।

पूंजी निवेश में गिरावट का मूल्यों पर प्रभाव

4454. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा किये गये एक मूल्यांकन के अनुसार मूल्य वृद्धि का एक दीर्घकालीक कारण पूंजी निवेश में कमी होना है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर उनके मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये टिप्पण की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सामान्य आर्थिक स्थिति तथा औद्योगिक विकास की समीक्षा पर दिये गये टिप्पण में जो उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार समिति नई दिल्ली की 25वीं बैठक (16 नवम्बर, 73) में कार्यवाही हेतु परिचालित किया गया था, सामान्य आर्थिक तथा मूल्य संबधी स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया गया है :–

(क) वर्ष 1971–72 और 1972–73 की अवधि में अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर वृद्धि होती रही है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में लगाये नये अनुमान की अपेक्षा अधिक कम दर पर (2 प्रतिशत से भी कम) रही है ;

(ख) वर्षों की निरन्तर सूखों की स्थिति के परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में हुई अत्यधिक क्षति भी मूल्यों में गिरावट का एक प्रमुख कारण रहा है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतों तथा प्रतिबन्धित सप्लाई के कारण भी स्थिति और भी खराब होती गई है;

(ग) मुद्रा संभरण में भी काफी वृद्धि हुई थी जिससे उत्पादन में अपेक्षाकृत कम दर होनें से सूखा स्थिति की समस्या उत्पन्न हुई है;

(घ) सामान्य कीमतों के बढ़ने का एक दीर्घकालीन कारण और भी रहा है यथा वर्ष 1965–66 से 1969–70 तक विकास परिव्यय की गति में गिरावट (प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत) आना। फिर भी, वर्ष 1970–71 से 1972–73 में सौभाग्य से अधिक निवेश (वार्षिक लगभग 12 प्रतिशत) किया गया था।

सरकार ने अंवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं यथा, परिहवन तथा विद्युत की व्यवस्था करके प्रमुख वस्तुओं जैसे, इस्पात, कोयला सीमेन्ट, मोटर गाड़ियों के टायर, कागज, चीनी तथा वनस्पति का साथ साथ उत्पादन बढ़ाकर मुल्यों को बढ़ने से रोकने के अनेक तात्कालिक कदम उठाये हैं तथा टिप्पण में विगत तीन वर्षों में (1970–71 से 1972–73) में विकास पर होने वाले परिव्यय को बढ़ाने पर जोर दिया गया है ।

गुजरात के बाद प्रभावित उद्योगों की सहायता

4455. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या गुजरात के अधिकांश उद्योग बाढ़ से प्रभावित हुए थे ;

(ख) क्या उक्त उद्योग भावी उत्पादन के लिये अक्षम हो गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इन उद्योगों की सहायता करने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी, नहीं। गुजरात सरकार ने बताया है कि करीब 260 औद्योगिक एककों पर बाढ़ का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है किन्तु किसी भी एकक पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा है कि वह पुनः उत्पादन प्रारम्भ करने योग्य ही नहीं रह गया हो ।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने विशेष करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिये । एक लाख मी० टन अतिरिक्त सीमेंट के लिये निवेदन किया था । इस मांग के सदर्भ में देश में सीमेंट की कुल कमी को ध्यान में रखकर गुजरात को 20,000 मी० टन सीमेंट का अतिरिक्त आबंटन किया गया था ।

Murder of a Pujary of Balaji Temple, R. K. Puram, New Delhi,

4456. **Shri Shiv Kumar Shashtri :**

Shri Jyotirmoy Bosu :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Police has succeeded in apprehending the culprit who had murdered the priest (Pujari) of a temple in R.K. Puram on the 19th November, 1973; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) No, Sir. The investigation of the case has been entrusted to the Crime Branch of the Delhi Police and a massive drive has been launched by the Delhi Police to apprehend the culprits.

पिलानी में एक इलैक्ट्रोनिक्स संस्थान को स्थापन करने के हेतु राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की मांग

4457. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र से पिलानी में एक परीक्षण तथा मूल्यांकन केन्द्र एवं इलैक्ट्रोनिक्स संस्थान स्थापित करने के लिये आर्थिक सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां तो क्या उन्हें कोई सहायता दी गई है; और

(ग) क्या देश भर में इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग का विकास किया जायेगा, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितना व्यय होगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) इलक्ट्रोनिकी विभाग ने प्रत्येक राज्य में इलैक्ट्रोनिकी के परीक्षण एवं मूल्यांकन केन्द्रों को स्थापना के लिये एक अनुदान सहायता योजना सभी राज्य सरकारों को परिचालित की है। ऐसे केन्द्र प्रथमतः छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योग कर्त्ताओं को परीक्षण और विकास की उन सुविधाओं के सबंध में सहायता देंगे, जिन्हें स्वयं गठित करना व्यक्तिगत उद्योग-कर्त्ताओं को महंगा पड़ेगा। स्वदेशी तथा आयातित दोनों प्रकार से उपस्कर तथा मशीनरी की खरीद के लिये, विभाग परियोजना की कुल लागत के 75 प्रतिशत (25 लाख रुपये से अधिक नहीं) की व्यवस्था करेगा। इसके बदले राज्य सरकार को लागत के शेष 25 के साथ आवर्ती व्यय की भी व्यवस्था करनी होगी।

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि वह जयपुर में (न कि पिलानी में) एक परीक्षण एवं मूल्यांकन केन्द्र की स्थापना हेतु योजना में भागीदार होने की इच्छुक है। परियोजना रिपोर्ट सहित अपेक्षित आर्थिक सहायता के ब्यौरे की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) सरकार चाहती है कि पूरे देश में व्यापक रूप से विकेन्द्रित इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग का विकास किया जाय, जिससे सभी क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्रयोजन के लिये आर्थिक निहितार्थ इलैक्ट्रोनिक्स हेतु कुल योजना में शामिल किये गये हैं, योजना पंचवर्षीय योजना का, जो अब स्वीकृति के अन्तिम चरण में है, एक अंग है।

उद्योग पतियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुश्रों का वितरण

4460. **श्री श्रार० वी० स्वामीनाथन :** क्या **श्रौद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख उद्योगपतियों ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि उपभोक्ताश्रों को श्रपनी श्रावश्यकता की श्रत्यावश्यक वस्तुयें उचित मूल्यों पर मिलें श्रपनी स्वयं की वितरण व्यवस्था श्रारम्भ करने के उनके सुझाव को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है

(ख) यदि हां, तो श्रब इस सबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; श्रौर

(ग) क्या 16 नवम्बर, 1973 को हुई उद्योग संबंधी सलाहकार परिषद की बैठक में इस सुझाव पर चर्चा की गयी थी ?

श्रौद्योगिक विकास तथा विज्ञान श्रौर प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) से (ग) उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की 16 नवम्बर, 1973 को हुई बठक में, श्रौद्योगिक विकास मंत्री जी ने सुझाव दिया था कि गैर-सरकारी उद्योगों को श्रौद्योगिक वस्तुश्रों के वितरण के लिये श्रधिक सफल श्रौर युक्तिसंगत प्रणाली बनानी चाहिये ताकि उपभोक्ता को मध्यस्थों के श्रनुचित लाभ कमाये बिना सामान मिल सके। प्रस्ताव का व्यापार तथा उद्योग की विभिन्न सस्थानों के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। श्राशा है गैर-सरकारी उद्योग द्वारा इस विषय में श्रग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

हौजरानी गांव, नई दिल्ली में हरिजनों पर श्राक्रमण

4461. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 नवम्बर, 1973 को प्रकाशित इस समाचार की श्रोर दिलाया गया है कि हौजरानी गांव, नई दिल्ली में हरिजनों पर श्राक्रमण किया गया था; श्रौर

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्य मंडलों के कृत्यों पर नियंत्रण

4462. **श्री प्रियंजन** दास मन्शी : क्या **श्रौद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एसोसिएटिड चेम्बर्स श्राफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री, दी बंगाल चेम्बर्स श्राफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, इण्डियन चेम्बर श्राफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री सहित देश में विभिन्न वाणिज्य मंडलों के कृत्यों पर देश के हित में नियंत्रण करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और उपक्रमों के विकास, उनके व्यापार और वाणिज्य तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में संरक्षण हेतु सरकारी क्षेत्र के लिये एक पृथक वाणिज्य मंडल गठित करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्रास-बार प्रणाली के कारण शिकायतें

4463. श्री सरोज मुखर्जी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से सितम्बर, 1973 की अवधि में विभिन्न नगरों में क्रास-बार प्रणाली के कारण टेलीफोन अधिकारियों को लगभग कितनी शिकायतें (आंकड़े हजारों में) प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस प्रणाली के कार्यक्रम को सामान्य बनाने के लिये सरकार ने क्या अतिरिक्त कदम उठाए हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) क्रासबार एक्सचेंजों में सर्किट संबंधी कई खामियां हैं और निर्माण सबंधी कई खराबियाँ हैं । इस कारण से विभिन्न शहरों में क्रासबार एक्सचेंज उच्च स्तरीय कार्य कुशलता से काम नहीं कर रहे हैं । अधिकांश निर्माण सबंधी खाराबियां और सर्किट संबंधी खामियां जानकारी में आ गई हैं । बी० टी० एम० ने जो क्रासबार एक्सचेंज सप्लाई किये थे, उनमें सुधार लाने के लिये एक कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है । बी० टी० एम० ने जो दस एक्सचेंज हमें सप्लाई किये थे, उनमें अब संशोधन का काम किया जा रहा है । संशोधन का काम पूरा हो जाने के बाद सेवा के स्तर में काफी सुधार हो जाने की सम्भावना है ।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने जो एक्सचेंज सप्लाई किये थे, उनमें भी ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं कि उनके फेल हो जाने की घटनाएं कम हों । इसके लिये उनकी नित्यचर्या (रूटीन) तेज की जा रही है और उनके खराब पुर्जों आदि को बदला जा रहा है । ऐसा प्रस्ताव है कि इन एक्सचेंजों में भी सुधार किया जाए ताकि वे अच्छी सेवाएं दे सकें ।

बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस देना

4464. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये हाल ही में बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन से नए उद्योग स्थापित किये जायेंगे और उनकी वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता में कितनी वृद्धि करने की अनुमति दी जायेगी ; और

(ग) यह कार्यवाही इन क्षेत्रों का औद्योगिक दृष्टि से विकास करने, गरीबी, और बेरोजगारी दूर करने में कहां तक सहायक सिद्ध होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : जी, हां । वर्ष 1972 और 1973 (जनवरी-अगस्त) की अवधि में औद्योगिक लाइसेन्स नीति जांच समिति द्वारा परिभाषित बड़े गृहों द्वारा नियमित अथवा उनकी सम्बन्द्ध कम्पनियों को बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में कोयला उद्योग का पर्याप्त विस्तार करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस और सीमेंट के लिये एक अन्य कार्य-जारी रखने के लिये लाइसेंस दिया गया था । किन्तु नये उपक्रम स्थापित करने के लिये कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया था ।

(ग) इससे रोजगार के अवसरों में बढ़ौतरी होगी और क्षेत्र के औद्योगिक विकास की वृद्धि में सहायक होगा ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा नकद राशि देकर प्रोत्साहन

4465. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा नकद राशि के रूप में प्रोत्साहन दिये जाने से जटिलतायें उत्पन्न हो गई हैं तथा कुछ में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो ये जटिलतायें तथा प्रतिकूल प्रभाव किस प्रकार के हैं; और

(ग) इन्हें सरकार किस प्रकार दूर करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) ने रायेल्टी/प्रिमिआ के वितरण के तरीके से जो नकद प्रोत्साहन की योजना है, के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Difficulties Experienced by Freedom Fighters

4466. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minster of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Freedom Fighters are encountering considerable difficulties in producing Jail Certificates and other documents as required under the existing Freedom Fithters Pension Scheme ;

(b) whether freedom fighters involved in conspiracy cases had to remain underground and to live under assumed names for years ; and

(c) whether in view of the above difficulties, Government propose to amend the rules ?

The Deputy Minster in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) In case of non-availability of jail certificates, freedom fighters can produce co-prisoners certificate from a sitting MP or MLA or from ex-MP or ex-MLA specifying the jail period. If this is also not possible, their cases will be considered in the light of recommendations of State/District level committees and/or State verification reports.

(b) Those who remained underground for more than 6 months in connection with freedom movement are eligible for grant of pension provided they were declared proclaimed offenders or warrants of arrest issued against them. The scheme also contains provision that a freedom fighter who gave false name and address at the time of arrest/conviction, can produce a certificate from an MP or MLA, or an ex-MP or ex-MLA who was in jail with the freedom fighter and it will be accepted.

(c) Does not arise.

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को छूट देने का परिणाम

4468. **श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या पिछड़े अथवा अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपनाये गए बहुत से प्रोत्साहनों और छूट का आशानुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिए अन्य कौन से उपायों पर विचार किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) पिछड़े अथवा अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपनाये गये बहुत से प्रोत्साहनों और छूट के प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी समयपूर्व होगा। इन बहुत से प्रोत्साहनों के अधीन कुछ योजनाओं की प्रगति के वर्तमान आंकड़े आशापद परिणामों के द्योतक हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसे कुछ राज्यों में केन्द्रीय प्रत्यक्ष अनुदान अथवा आर्थिक सहायता की योजना के

परिणामस्वरुप निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रगति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है। अन्य राज्यों में, जहां पर कम प्रगति हुई है, इसके कारणों की जांच की जा रही है और सुधारक कदम बताये गये हैं। इस प्रकार के भी सुझाव हैं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये एक अभिकरण की रूप रेखा बनाई जाये और करीब 100 करोड़ रुपये की पूंजी से इसकी स्थापना की जाये।

तेल संकट की स्थिति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं को सौंपा गया कार्य

4469. **श्री पी नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) तेल के भारी संकट की स्थिति में हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं को क्या कार्य और प्राथमिकतायें सौंपी गयी हैं; और

(ख) क्या पांचवीं पचवर्षीय योजना में इस बारे में व्यापक और प्रभावशाली अनुसंधान का समर्थन करने के लिए उचित प्रावधान और नियतन किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) तेल की बढ़ती हुई मांग के सन्दर्भ में जिसका अधिकांश आयात किया जाता है एन० सी० एस० टी० (विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति) ने तेल के विकल्प के रूप में कोयले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने को उच्च प्राथमिकता दी है। देश के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में कार्यान्वियन के लिए कोयले के उपयोग संबंधी अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का अधिनिर्धारण किया गया है। इसका कुल परिव्यय लगभग 40 करोड़ रुपये है जिसमें खनन सर्वेक्षण, परिवहन, रासायनिक उद्योग तथा बिजली के धातुकर्मीय उपयोग और कोयले को तेल के रूप में परिवर्तित करने के कार्य सम्मिलित हैं।

विदेशी फर्मों के विस्तार में लिये आशय पत्रों के जारी किये जाने के बारे में लाइसेंस देने सम्बन्धी समिति का निर्णय

4470. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी फर्मों के विस्तार हेतु आशय पत्रों के जारी किये जाने के बारे में 14 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 438 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कभी यह जांच की गई थी कि अनुमति-पत्र/अनापत्ति पत्र न्याय संगत थे अथवा नहीं थे ;

(ख) यदि हां, तो इन पत्रों की सही कानूनी स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या सरकार उस में उल्लिखित लाइसैंस देने संबंधी समिति के निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) कारखानों के उत्पादमिश्रों के सम्बन्ध में सरकार ने समय-समय पर अनुदेश प्रचारित किए हैं जिससे कि उनके उत्पादन कार्यक्रमों में अपेक्षित लचीलापन लाया जा सके और बिना अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के उत्पादन बढ़ाना यदि सम्भव हो तो ऐसा भी किया जा सके। अधिनियम की धारा 3 (डी० डी०) में 'नई वस्तु' की परिभाषा के विषद व्याख्या की आवश्यकता पर लाइसेंस समिति की राय के सन्दर्भ में अनुमति/अनापत्ति पत्र जारी करने का निर्णय किया गया था।

विदेशी फर्मों को अनापत्ति पत्र जारी करने की अनुमति देना बन्द करना

4471. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी फर्मों के विस्तार हेतु आशय पत्रों के जारी किये जाने के बारे में 14 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 438 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनापत्ति पत्रों को जारी करने की अनुमति कब से शुरु की गई थी और कब से बन्द कर दी गई थी ;

(ख) वे परिस्थितियां कौन कौन सी हैं जिस के अन्तर्गत यह प्रथा बन्द कर दी गई थी ; और

(ग) क्या यह प्रथा इसलिये बन्द की गई थी क्योंकि इन पत्रों का कानूनी आधार नहीं था और अधिकांशतया विदेशी फर्मों का पक्ष लिया जाता था ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) अनुमति/अनापत्ति पत्र 1952 से जारी किए गए थे। 1966 में सरकार ने कुछ प्रतिबन्धों के अधीन नयी वस्तुओं का निर्माण करके उपक्रमों को अपने उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति दी थी। उपक्रमों के उत्पादन मिश्र के बारे में सरकार ने समय-समय पर अनुदश जारी किए हैं ताकि आवश्यक उदारता बरती जा सके और उन मामलों में जिनमें यह अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के बिना किया जा सकता है, अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके।

अनापत्ति पत्रों के आधार पर फर्मों द्वारा क्षमता का विस्तार

4472. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **औद्योगिक बिकास** मंत्री विदेशी फर्मों के विस्तार हेतु आशय पत्रों के जारी किये जाने के बारे में 14 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 438 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बारे में सन्तुष्ट है कि अनुमति/अनापत्ति पत्रों के जारी किये जाने के परिणामस्वरूप केवल उत्पादनमिश्रण में संशोधन के लिये ही मंजूरी दी गई थी ;

(ख) क्या इन पत्रों के प्राधिकार के अन्तर्गत सम्बद्ध फर्मों ने अपनी क्षमता में विस्तार किया जिस से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा के देश से बाहर भेजे जाने पर प्रभाव पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) अनुमति / अनापत्ति पत्र सम्बधित फर्मों के द्वारा परिशोधित उत्पादमिश्रणों के उत्पादन की स्वीकृति के रूप में थे । तथा उनकी शर्तें निम्नलिखित थीं : —

(1) इस हेतु अतिरिक्त संयंत्र तथा मशीनों की अपेक्षा नहीं होगी ;

(2) कोई रायल्टी देय नहीं होगी ;

(3) उत्पाद की बिक्री पूर्व प्रयुक्त ट्रेड मार्क के अधीन होगी ; तथा

(4) आधार भूत कच्चे माल तथा संघटकों (इंग्रेडिएन्ट) के आयात के संबंध में समय पर लागू सामान्य आयात नीति को शिथिल करके विशेष छूट नहीं दी जायेगी ।

सम्बन्धित उद्यमियों के अनुरोध पर एक मामले में अनुमति/अनापत्ति पत्र जारी किये गये थे । जारी किये गये इन पत्रों तथा उनके अनुसार की गई उत्पादन संबंधी गतिविधियों के ब्यौरों से सम्बन्धित आंकड़े केन्द्र में नहीं रखे गये हैं ।

मिराज तथा जयसिंहपुर को सांगली टैलीफोन केन्द्र में सम्मिलित करने की मांग

4473. **श्री अण्णा साहब गोटखिंडे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिराज तथा जयसिंहपुर को सांगली (महाराष्ट्र) टैलीफोन केन्द्र में सम्मिलित करने की मांग की गई है जिस से कि इन स्थानों के लोगों को सुविधा के लिए इन स्थानों को एकस्थानी एकक माना जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) मिराज और जयसिंहपुर में अलग-अलग नगरपालिकाएं हैं और इनके अंतर्गत दो अलग-अलग टैलीफोन ऐक्सचेंज हैं । ये दोनों ऐक्सचेंज एक दूसरे से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं । इन दोनों ऐक्सचेंजों का अपना अलग-अलग स्थानीय क्षेत्र है । विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार ये ऐक्सचेंज सांगली (महाराष्ट्र) टैलीफोन ऐक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र में शामिल किए जाने के लिए शर्तें पूरी नहीं करते ।

सांगली में टेलेक्स एक्सचेंज

4474. श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सांगली, महाराष्ट्र में एक टेलेक्स ऐक्सचेंज खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक खोला जायेगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) सांगली में 50 लाइनों का एक टेलेक्स ऐक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव पहले ही मंजूर किया जा चुका है। आशा है कि यह ऐक्सचेंज वर्ष 1976-77 तक चालू हो जाएगा।

महाराष्ट्र को ट्रक के टायरों की सप्लाई

4475. श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र में सांगली और कोल्हापुर जिलों में ट्रक मालिक उन जिलों को ट्रक के टायरों की बहुत ही कम सप्लाई होने के कारण अपना कार्य चलाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं तथा वहां ये टायर बहुत ही अधिक मूल्यों पर मिल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन जिलों में ट्रक के टायरों की सप्लाई में वृद्धि करने और ट्रक के टायरों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं से ट्रक के टायरों की अनुपलब्धि के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उद्योगों को इस विषय में सूचित किया गया था तथा समस्त उपलब्धि के भीतर ही जैसी कुछ भी सहायता दी जा सकती है, देने को कहा गया था। बिजली में की गई कटौती तथा श्रमिक हड़तालों आदि के कारण ट्रकों/बसों के टायरों का उत्पादन गिरा था। उद्योग के अतिरिक्त पारियों में कार्य करके सरकारी अवकाश तथा रविवारों को मजूदरों के सहयोग से कार्य करके अधिक से अधिक उत्पादन करने का अनुरोध किया गया है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित होने वाले वाणिज्यिक विज्ञापनों से होने वाली आय में से अपना हिस्सा मांगना

4476. श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार अपने राज्य में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित होने वाले वाणिज्यिक विज्ञापनों से प्राप्त होने वाली आय में से 50 प्रतिशत हिस्से पर दावा कर रही है ;

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने अपना हिस्सा कब मांगा था तथा यह मामला कब से विचाराधीन पड़ा है ;

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो उस का सारांश क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सबंध में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रार्थना प्रथमतया 1969 में प्राप्त हुई थी और यह संबन्धित विभिन्न प्राधिकारियों के परामर्श से विचाराधीन है : इस पर निर्णय समुचित परामर्श के उपरान्त लिया जाएगा।

Public Telephones which went out of Order

4477. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of public telephones in various States in the Country which went out of order during 1971-72 and 1972-73, year-wise, as also the number of those, out of them, repaired during the said period, year-wise; and

(b) the steps taken by Government to remove this inconvenience ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bhadur) : (a) The required information is not readily available and is being collected from the field units. It will be laid on the table of the Sabha as soon as received.

(b) Government have taken a number of steps to improve the working of the public telephones, (Coin Collecting Boxes)

(i) Field units have been instructed to post linemen at important places having clusters of Coin Collecting Box telephones. Test calls are now being made by these linemen on each public phone a number of times each day.

(ii) Supervisory staff and the officers have also been directed to check up functioning of these public telephones by making test calls.

(iii) The design of the Coin Box public telephone instrument is being thoroughly examined to improve its operation.

Telecast of Hindi Programmes from Amritsar T. V.

4478. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether only Panjabi and Urdu Programmes are telecast from the Television Centre at Amritsar and programmes for Hindi-speaking people are not being telecast from it; and

(b) is so, the reasons for neglecting the National Language ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) No, Sir. The programmes are telecast in Panjabi, Hindi Urdu, and English.

(b) Does not arise.

कन्नानूर में टैलीग्राफ डिवीजन

4479. **श्री सी० के० चन्द्रपन्न** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नानूर में एक नया टैलीग्राफ डिवीजन खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार को यह डिवीजन खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) एक नया तार इंजीनियरी डिवीजन बनाने के लिए तारीख 6–12–73 को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस डिवीजन का मुख्यालय कन्नानूर में होगा ।

पुनालौर, केरल के टैलीफोन ग्राहकों से प्राप्त ज्ञापन

4480. **श्री सी० के० चन्द्रपन्न** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुनालौर, केरल के टेलीफोन ग्राहकों से एक ज्ञापन प्राप्त है जिसम उनके टैलीफोन ऐक्सचेंज में कुछ सुधार करने तथा उसका आधुनिकीकरण करने के लिए अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। पुनालूर के टैलीफोन उपभोक्ताओं की तरफ से तारीख 12–4–73 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने मैनुअल ऐक्सचेंज की जगह आटोमेटिक ऐक्सचेंज लगाने की मांग की थी ।

(ख) पुनालूर में इस समय 300 लाइनों का एक सट्रल बैटरी नान-मल्टीपल ऐक्सचेंज लगा हुआ है। टैलीफोन कनेक्शनों की बढ़ी हुई मांगें पूरी करने के उद्देश्य से पुनालूर में 480 लाइनों का एक सी०बी०एम० ऐक्सचेंज स्थापित करने के लिए उपस्कर पहले से ही अलाट कर दिया गया है। आशा है कि यह ऐक्सचेंज इसी वित्तीय वर्ष में चालू हो जाएगा। देश में इस समय जितने आटोमैटिक ऐक्सचेंज उपस्करों का निर्माण हो रहा है उनसे सभी मैनुअल ऐक्सचेजो को आटोमैटिक बनाना सम्भव नहीं है । इसलिए मैनुअल एक्सचेंजों को धीरे धीरे ही आटोमैटिक बनाया जा सकता है। पुनालूर ऐक्सचेंज से कहीं ज्यादा क्षमता वाली अनेक मैनुअल प्रणालियां ऐसी हैं जिन्हें अभी आटोमैटिक बनाना बाकी है । अतः आटोमेटिक ऐक्सचेंज उपस्कर की सप्लाई की स्थिति में सुधार होने के बाद ही पुनालूर ऐक्सचेंज को आटोमैटिक बनाने के प्रश्न में विचार किया जा सकेगा।

समय से पूर्व रिहा कर दिए गए स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन लेने की पात्रता

4481. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **गृह** मंत्री 25 जुलाई 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 456 के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय से पूर्व रिहा कर दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों के प्रश्न पर निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार गोवा स्वाधीनता संग्राम और पांडिचेरी स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले उन व्यक्तियों को छह महीने के कारावास वाले इस उपबंध से छूट देने का है ; और

(ग) इन दोनों प्रश्नों पर निर्णय लेने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इन दो संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के स्वतंत्रता सेनानियों पर भी पात्रता की वही शर्तें लागू होती हैं जो अन्य स्वतंत्रता सेनानियों पर लागू हैं ।

(ग) समय से पूर्व रिहा किये गये स्वतंत्रता सेनानियों को योजना का लाभ पहुंचाने का अर्थ मूल योजना में छूट देना है । मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किये जाने के कारण विलम्ब हुआ है ।

अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक

4482. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जन-जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) अनेक अन्तर्ग्रस्त नाजुक विषयों, जिनकी सावधानी से जांच की जानी है, को ध्यान में रखते हुए किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंचना अभी तक संभव नहीं हुआ है । फिर भी, इस मामले पर सक्रिय रूप से कार्यवाही की जा रही है ।

पांचवीं योजना का प्रारूप

4483. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम प्रारूप तैयार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो पहले जारी किये गये दृष्टिकोण पत्र के साथ साथ प्रारूप में कौन कौन से परिवर्तन किये गये हैं ;

(ग) किस तिथि को उक्त प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और परिषद् द्वारा इसे किस प्रकार की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ; और

(घ) क्या योजना के आकार को बढ़ाया गया है और यदि हां, तो कितना ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अधिकांशतः दृष्टिकोण दस्तावेज में निरूपित नीतियों तथा कार्यक्रमों पर आधारित हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में इन नीतियों तथा कार्यक्रमों का उल्लेख अधिक विस्तारपूर्वक किया गया है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा इसकी 8 तथा 9 दिसम्बर, 1973 को हुई बैठक में स्वीकृति दे दी गई।

(घ) पांचवीं योजना का कुल आकार बढ़ाकर 53,411 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि दृष्टिकोण दस्तावेज में निर्धारित की गई राशि 51,165 करोड़ रुपये थी।

अहमदाबाद में टैलीफोन कनैक्शन

4484. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 के पहले 9 महीनों के दौरान अहमदाबाद नगर में कुल कितने टैलीफोन कनैक्शन दिये गये ;

(ख) वर्ष के शेष भाग के दौरान कितने नये टैलीफोन कनैक्शन दिये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या सब लगाये गये टैलीफोन पर्याप्त हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इनकी कितनी कमी होने की आशंका है और सरकार द्वारा नये टैलीफोन लगाने की गति को तेज करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अहमदाबाद शहर में वर्ष 1973 के शुरु के नौ महीनों (30–9–73 तक) के दौरान लगाए गए टैलीफोनों की कुल संख्या 4571 है।

(ख) आशा है कि इस वर्ष की बाकी अवधि में, यानी अक्तूबर से दिसम्बर, 1973 तक 4000 नए टैलीफोन लगा दिए जाएंगे।

(ग) और (घ) वर्ष 1973 के दौरान लगाए गए कुल टैलीफोन कनैक्शन पर्याप्त हैं। अहमदाबाद में वर्ष 1973 के दौरान जो टैलीफोन लगाए गए हैं, उन टैलीफोनों की संख्या इसी अवधि में दूसरे टैलीफोन क्षेत्रों में लगाए गए टैलीफोनों की तुलना में बहुत अधिक है।

गुजरात फर्टीलाइज़र्स कम्पनी लिमिटेड बड़ौदा, द्वारा 'मेलामाइन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट' की स्थापना

4485. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स कम्पनी लिमिटेड, बड़ौदा, ने 'मेलामाइन प्रोडक्शन प्राजेक्ट' स्थापित करने की अनुमति के लिये दिसम्बर 1969 में आवेदन पत्र दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आवेदन पत्र पर किस तरीके से विचार किया गया, उसे किस रीति से अस्वीकार किया गया और उस पर पुर्नविचार किन परिस्थितियों में किया गया तथा सरकार द्वारा ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) वह आवेदन पत्र अब किस स्थिति में हैं ; और

(घ) देश में मेलामाइन की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसी परियोजना की स्थापना में शीघ्रता लायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी0 सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) मैं० गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लि० ने अप्रैल, 1970 में आवेदन किया था। उस समय उनके उत्पाद की मांग नहीं थी इसलिए अन्य मामलों सहित उनके मामले को रद्द कर दिया गया था।

(ग) और (घ) कार्पोरेशन ने जून, 1972 में संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया था। अब इस उत्पाद के लिए सीमित क्षेत्र हैं। उनकी परियोजना और अन्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंधी गुणावगुणों की सापेक्षिक जांच की जा रही है और जैसे ही सरकार निर्णय लेगी उसे बता दिया जायेगा।

उड़ीसा में लाइसैंसों तथा आशय पत्रों का जारी किया जाना

4486. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 म उड़ीसा के लिए (गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में पृथक-पृथक) कितने कितने औद्यागिक लाइसैंस और आशयपत्र जारी किये गए और उनमें कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं ; और

(ख) क्या उनमें से कोई बालासोर तथा मयूर भंज जिले के लिए भी हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) उड़ीसा में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना करने के लिए 1971 मे जारी किए गए औद्योगिक लाइसैंसों तथा आशय-पत्रों की संख्या इस प्रकार है :

औद्योगिक लाइसैंस		आशय-पत्र	
निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र
6	2	5	6

निजी क्षेत्र के 6 औद्योगिक एककों में से 5 ने अपने-अपने औद्योगिक लाइसैंसों को क्रियान्वित कर लिया है। जहाँ तक आशय-पत्रों का सम्बन्ध है, एक औद्योगिक इकाई ने उनमें रखी गयी शर्तों को मान लिया है।

(ख) ये औद्योगिक इकाइयां नीचे लिखे स्थानों पर स्थापित की जायंगी :–

औद्योगिक लाइसैंन्स	आशय-पत्र
1. तालचेर	1. बाड़गढ़
2. कोरापुर	2. पूरी
3. सुन्दरगढ़	3. राउरकेला
4. जयकायपुर	4. सुन्दरगढ़
5. बेलपहाड़	5. स्रंकी
6. बेलपहाड़	6. सम्भलपुर
7. लाठीकोट	7. राजपुन्नर
8. भुवनेश्वर	

शेष चार औद्योगिक इकाइयों के ठीक-ठीक स्थान का निर्धारण अभी किया जाना है।

दिल्ली में डाकघरों से तारों, मनीआर्डरों और रजिस्टर्ड पत्रों का भेजा जाना

4487. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में किसी डाकघर में तारें, मनीआर्डर और रजिस्टर्ड पत्रों को भेजने के लिए 24 घंटे की सेवा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो कहां कहां यह सेवा उपलब्ध है और इन सेवाओं के लिए कितने काउन्टर उपलब्ध हैं और कितने खर्च पर ;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में वर्तमान सेवाओं को आम जनता को उपलब्ध करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) पालम हवाई अड्डा डाकघर में सामान्य शुल्क की अदायगी पर मनीआर्डर और रजिस्ट्री पत्र चौबीसों घंटे स्वीकार किए जाते हैं । पालम हवाई अड्डा डाकघर और शाहदरा डाकघर में तार सामान्य दरों पर चौबीसों घंटे लिए जाते हैं । मालवीयनगर डाकघर और महरोली डाकघर में तार चौबीसों घंटे स्वीकार किए जाते हैं लेकिन कार्यालय के समय के बाद उन पर विलम्ब शुल्क लिया जाता है । इन डाकघरों के अलावा संघ शासित प्रदेश दिल्ली में विभागीय तारघरों में जिनमें केन्द्रीय तारघर भी शामिल है दिन-रात तार लेने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ।

(ग) और (घ) किसी खास डाकघर में यातायात का जितना काम होने की सम्भावना होती है, उसी के आधार पर सेवाओं का विस्तार किया जाता है । इस स्थिति का बराबर पुनरीक्षण किया जाता है और जनता की जरूरत पूरी करने के लिए काम के घंटों में संशोधन कर दिया जाता है ।

दिल्ली में जेब कटने के मामले

4488. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जेब कतरों के सुसंगठित दल हैं ;

(ख) क्या इन दलों का नये भर्ती किए हुए लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए एक अपना प्रशिक्षण संस्थान है ;

(ग) दिल्ली जैसे नागरीय क्षेत्रों में इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रहा है ; और

(घ) 1970–71 से लेकर, गत तीन वर्षों के दौरान पृथक पृथक जेब काटने के कितने मामले रिपोर्ट किये गये हैं और पुलिस ने इस बारे में क्या कार्यवाही की अथवा करेगी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जेबकतरों का ऐसा कोई संगठित गिरोह दिल्ली पुलिस के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) ऐसी कोई सूचना दिल्ली पुलिस के ध्यान में नहीं आई है ।

(ग) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए बस स्टापों, सिनेमा घरों बाजारों आदि जैसे भीड़ वाले क्षेत्रों में सादे कपड़ों में और वर्दी में पुलिस कर्मचारी तैनात किये जाते हैं । ज्ञात जेबकतरों के प्रतिकूल कार्यों के ध्यान में आते ही उन्हें पकड़ लिया जाता है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5986/73**]

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी में उच्च तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में राज्य सहायता के भुगतान में भेदभाव

4489. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी में उच्च तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में होने वाला खर्च काफी बढ़ गया है और यदि हां, तो क्या है, इसके क्या कारण हैं ?

(ख) क्या सोसाइटी के प्रबन्धकों को सरकार द्वारा उच्च अधिकारियों के सम्बन्ध में राज्य-सहायता की जाती है और सोसाइटी में कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों के मामले में यह सहायता नहीं दी जाती और यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ;

(ग) अधीनस्थ कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या क्या है और गत लगभग दो महीनों के दौरान कितने अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ; और

(घ) क्या अधिकांश ऐसे कर्मचारी लड़कियां हैं और जो सोसाइटी में कार्य करने वाले अधिकारियों अथवा इसके प्रबन्धकों की रिश्तेदार हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) इस विषय पर सरकारी निर्णय के अनुसार सरकार द्वारा केवल सोसाइटी के उच्च कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर होने वाला खर्च बर्दाश्त किया जाता है । यह एक तरीका है जिस के द्वारा सरकार सोसाइटी को वित्तीय सहायता प्रदान करती है । इसमें किसी प्रकार के भेद-भाव का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

(ग) सोसाइटी के अधीनस्थ कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या 320 है । गत तीन महीनों के दौरान 17 अधीनस्थ पद भरे गए थे और 1-11-1973 को अधीनस्थ कर्मचारियों की कुल वास्तविक सख्या 247 थी ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी को सरकार द्वारा दिया गया ऋण

4490. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी ने भारत सरकार से समर्थन गारंटी के रूप में 24 लाख रुपये का कुल ऋण प्राप्त किया है, और क्या सोसाइटी अभी तक ऋण और उस पर देय ब्याज की एक किश्त का भुगतान करने में भी समर्थ नहीं हो पायी है ;

(ख) क्या इस सोसाइटी ने 10 अक्तूबर, 1973 को हुई अपनी सामान्य बैठक में यह निर्णय लिया है कि सरकार को उक्त ऋण के सम्बन्ध में ब्याज को बट्टे खाते में डालने की प्रार्थना की जाए ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि सोसाइटी के कार्य को कार्य कुशलता से नहीं किया गया है और वहां कुछ कदाचार अपनाये गए हैं और वहां धन का दुरुपयोग किया गया है ; और

(घ) ऐसी बातों को रोकने के लिए प्रबन्धकों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली को कुल 24 लाख रुपये ब्याज शुदा ऋण पर दिये हैं, और इनकी वर्ष 1974–75 में वापस अदायगी की जानी है। सोसायटी ऋणों पर नियमित रूप से ब्याज दे रही है।

(ख) दिनांक 10 अक्तूबर, 1973 को हुई सोसाइटी की सामान्य बैठक में दिया गया एक सुझाव यह था कि ऋणों पर ब्याज को बट्टे खातों में डालने का सरकार से अनुरोध किया जाए। किन्तु प्रबन्धकों ने ऐसा कोई अनुरोध किए जाने का निर्णय नहीं लिया है।

(ग) तथा (घ) सोसाइटी वर्ष 1970–71 से लाभ पर चल रही है। प्रबन्धकों द्वारा सोसाइटी के कार्य-चालन में आगे सुधार लाने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

Arrears of Telephone Bills in Bihar

4491. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the arrear of Telephone bills in Bihar upto August, 1973; and

(b) the arrears in respect of Telephone bills yet to be paid by the former Ministers and present Ministers of Bihar alongwith their names ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) Arrears as on 31-8-1973 for bills issued upto 31-5-73 is Rs. 39·83 lakhs, consisting of :—

State Government	5·86 Lakhs
Central Government	1·50 Lakhs
Private	32·47 Lakhs

(b) Telephones provided to the Ministers, whether in their offices or at their residences, are Government telephones and the bills therefor are also paid by Government. The outstandings, if any, in respect of such telephones appear in the P & T books against the concerned Government Department and not in the personal name of Ministers. If there are personal calls included in the bills against such telephones, their particulars and recovery will be available with the State Government only.

Areas for setting up of Industries in Joint Sector

4492. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the areas of the country where industries have been set up in the joint sector ;

(b) the number of such proposals under consideration of Government now ;

(c) the number of them which will be implemented in the near future; and

(d) the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (d) A statement is attached showing the projects which the State Industrial Development Corporations propose to set up in the joint sector and indicating the likely data of commencement of production. **[Placed in the Library. See No. LT-5987/73]**

Automation Telephone System in Cities of Bihar

4493. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of the cities of Bihar where facilities of automatic Telephones have been provided ;

(b) the names of the other cities of Bihar where automatic Telephones are proposed to be installed during the next one year ; and

(c) the approximate expenditure likely to be incurred thereon ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) The list of places in Bihar where facilities of automatic telephones have been provided is enclosed as Annexure I. **[Placed in the Library. See. No. LT-5988/73.]**

(b) The list of places in Bihar where automatic telephone exchanges are proposed to be installed during the next one year is enclosed as Annexure II. **[Placed in the Library. See No. LT-5988/73.]**

(c) Approximately Rs. 10 lakhs are likely to be incurred thereon.

"इण्डिया एण्ड दी नागाज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित रिपोर्ट

4494. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन आधारित अल्पसंख्यक अधिकारों सम्बन्धी ग्रुप ने "इण्डिया एण्ड दी नागाज" शीर्षक के अन्तर्गत एक नयी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें भारत के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गए हैं ; और

(ख) क्या सरकार का ध्यान इसकी ओर गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्, लगाये गये आरोप निराधार हैं ।

विभिन्न विदेशी दूतावासों द्वारा राजनीतिक प्रयोजनार्थ भारतीय समाचार पत्रों को समाचार भेजना

4495. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विदेशी दूतावास तथा उनसे सबद्ध समाचार सेवाएं राजनीतिक प्रयोजनार्थ प्रचार सामग्री के मूल्यों के रूप में भारतीय समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को (i) समाचार (ii) लेख और (iii) विज्ञापन भेजते हैं, यदि हां, तो विशेष रूप से (i) रूसी (ii) अमरीकी और (iii) उत्तर कोरियाई दूतावासों के बारे में तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या उक्त प्रयोजनार्थ समाचार पत्रों या उनके संवाददाताओं को वित्तीय लाभ मिलते हैं ;

(ग) क्या ऐसे समाचार पत्रों को (i) विदेशी दूतावासों की विभिन्न प्रकार की सामग्री छापने के बड़े बड़े आर्डर मिलते हैं और (ii) उनके संवाददाताओं को उक्त दूतावासों के देशों की यात्रा के निमन्त्रण प्राप्त होते हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या भारतीय समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को प्रभावित करने के लिए विदेशी दूतावासों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) विदेशी दूतावास भारतीय समाचार पत्रों को समाचार तथा फीचर लेख सर्कुलेट करते हैं । यह वियना कन्वेंशन आफ डिप्लोमैटिक रिलेशन्स, 1961 के अनुच्छेद 3 (ङ) तथा अनुच्छेद 41(1) के अन्तर्गत अनुज्ञेय है । दूतावासों द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के विषय में प्रेस परिषद ने हाल ही में अपना निम्न मत व्यक्त किया है :—

> "पत्रकारिता की मर्यादा यह अपेक्षा करती है कि समाचार पत्रों में विज्ञापन इस रूप में होने चाहिए कि वे सम्पादकीय सामग्री से स्पष्टतया अलग समझे जा सकें । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पाठक विज्ञापनदाताओं के प्रचार के किसी समाचार-पत्र का मत समझने की खिलवाड़ कर सकते हैं । परिषद् का यह विचार है कि ऐसे विज्ञापनों के बारे में स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना चाहिए कि ये विज्ञापन हैं और समाचार पत्रों को इन विज्ञापनों के निमित्त मिली धनराशि का भी उल्लेख करना चाहिए । इसके पीछे तर्क यह है कि इस प्रकार के विज्ञापनों का मूल्य समाचारपत्रों की सामान्य दरों पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य दरों से अधिक दरों पर भुगतान करना सम्बन्धित समाचारपत्र को उपदान देने के समान होगा ।"

(ग) सरकार के पास यह जानकारी नहीं है कि समाचारपत्रों द्वारा इस प्रकार के समाचारी तथा फीचर लेखों का कितनी मात्रा में उपयोग किया जाता है और क्या उनका प्रकाशन नकद धन लेकर किया जाता है। 1971–73 की अवधि के दौरान अमरीका और साम्यवादी देशों द्वारा आमन्त्रित किए गए भारतीय पत्रकारों की सूची संलग्न है। (**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–5989/73**)।

(घ) भारत में स्थिति विभिन्न देशों दूतावासों द्वारा प्रचार साहित्य के प्रसार के बारे में सरकार द्वारा समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है।

रूसी और अमरीकी दूतावासों द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक तथा अन्य सावधिक पत्रिकाएं और साहित्य

4496. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी और अमरीकी दूतावासों द्वारा भारत में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की जाने वाली (एक) साप्ताहिक (दो) सावधिक पत्रिकाओं (तीन) राजनीतिक साहित्य (चार) अन्य पुस्तकों के बारे में क्या आंकड़े हैं और यदि हां, तो रूस और अमरीका से ऐसा कितना कितना साहित्य भारत में आता है;

(ख) उक्त साहित्य मुद्रित करने वाले वर्तमान प्रिंटिंग प्रैसों के नाम क्या हैं और क्या उक्त दूतावासों द्वारा मुद्रण के लिये आयातित कागज का प्रयोग किया जाता है अथवा सरकार द्वारा उन्हें खरीद अथवा अन्य आधार पर कागज सप्लाई किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में कागज का आयात किया जाता है और (दो) भारत से खरीदा जाता है और प्रिंटिंग प्रैसों को रूसी और अमरीकी दूतावासों की मुद्रण सामग्री मुद्रित करने के लिये किस दर से भुगतान किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार रूसी और अमरीकी दूतावासों द्वारा प्रकाशित ऐसे प्रकाशनों और मुद्रण पर नियंत्रण लगायेगी ?

सूचना और प्रसारण मत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :

(क) रूसी और अमरीकी दूतावासों द्वारा भारत में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की जाने वाली साप्ताहिक तथा सावधिक पत्रिकाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–5990/73**)

राजनीतिक साहित्य तथा अन्य पुस्तकों आदि के प्रकाशन और आयात के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को इस विषय में जानकारी नहीं है।

(घ) विदेशी दूतावासों द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों पर निगरानी रखी जाती है।

प० बंगाल में कारखानों की स्थापना करने, उनका विस्तार करने, के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के लिए फर्मों से प्रार्थना पत्र

4497. श्री समर गुह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प० बंगाल में उद्योगों का विस्तार करने अथवा नए एककों के स्थापित करने हेतु भारतीय तथा विदेशी उद्योगों से कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) क्या एन्ड्यूल मैकनैल एण्ड बेरी और जारदेवी हैन्डरसन ने प० बंगाल में अपने एककों के विस्तार के लिये प्रार्थना पत्र दिया था;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) यदि वर्तमान एककों के विस्तार अथवा नए एककों की स्थापना अथवा अन्य बन्द हुई फर्मों को सहकारी नियत्रण में ले लेने संबंधी इन प्रार्थना पत्रों को मन्जूरी दे दी जाए, तो कितना रोजगार अवसर पैदा हो जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 10-11-1973 को पश्चिम बंगाल में नये उपक्रम स्थापित करने तथा विद्यमान एककों में प्रयाप्त विस्तार करने के लिये क्रमशः 135 और 43 आवेदन अनिर्णीत पड़े थे।

(ख) और (ग) एन्ड्यूल, मेन्सिलबेरी एण्ड जाड्रिग हैंण्डरसन ग्रुपों से पश्चिम बंगला में नये उपक्रम स्थापित करने, पर्याप्ति विस्तार करने, नई वस्तुओं का उत्पादन करने, काम चालू रखने के लिये 1971 से प्राप्त हुए 34 आवेदन पत्रों में से 11 पर निर्णय कर लिया गया है और 23 की जांच की जा रही है।

(घ) इस स्थिति में रोजगार संभावना का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

छोटे तथा मध्यम एककों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

4499. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा मध्यम एककों को दी जाने वाली रियायतों के सम्बन्ध में श्री आर० एस० विष्ट की अध्यक्षता वाली समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो, समिति की सिफारशें क्या हैं; और

(ग) उस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) मझोले और लघु स्तर के उद्योगों के विकास से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाने के लिये श्री आर० एस० विष्ट की अध्यक्षता में नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट मिल गयी है और कमेटी द्वारा रखी गयी सिफारिशों की जांच की जा रही है।

धौलपुर (राजस्थान) में टायर और ट्यूबों के निर्माण के लिए आशय पत्रों का जारी किया जाना

4500. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धौलपुर (राजस्थान) में गैर सरकारी क्षेत्रों में टायरों और ट्यूबों के निर्माण करने के लिये 20 करोड़ रु० की लागत का एक कारखाना स्थापित करने के लिये आशय पत्र जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारखाना स्थल पर कार्य शुरू हो गया है और इस में कब तक उत्पादन आरम्भ हो जाएगा और इसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : (क) और (ख) राजस्थान राज्य में मोटर गाड़ियों के 3 लाख टायर और इतने ही ट्यूब बनाने की वार्षिक क्षमता की एक परियोजना स्थापित करने के लिये मैसर्स जे० के० इण्डस्ट्रीज, कलकता को 22-2-1972 को एक आशय पत्र जारी किया गया था। बाद में टायर और ट्यूब प्रत्येक की क्षमता बढ़ाकर 4 लाख वार्षिक कर दी गई। कम्पनी ने आरम्भ में प्रस्तावित एकक धौलपुर में स्थापित करने की योजना बनाई थी। किन्तु बाद में उसने यह परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले के कंकरोली में स्थापित करने का निश्चय किया। परियोजना की अनुमानित लागत 21 करोड़ है काम अभी शुरू किया जाना है।

दिल्ली टेलीविजन सलाहकार समिति का गठन

4502. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीविजन सलाहकार समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका कार्यकाल कितना है और इसके लिये चुने गए सदस्यों के नाम, आयु और विशेष अर्हतायें क्या क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। यह समिति टेलीविजन कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं पर सलाह देगी। समिति में युवा वर्ग सहित विभिन्न आयु वर्गों के प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो विभिन्न क्षेत्रों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मनोनीत किये गये हैं। सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। उसके नाम तथा उनका संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उनकी ठीक आयु के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विवरण
1	2	3
1	डा० वी० पी० दत्त	संसद सदस्य, प्रो-वायसचान्सलर, दिल्ली विश्वविद्यालय, एक सुप्रसिद्ध लेखक तथा राजनैतिक कमन्टेटर ।
2	सरदार त्रिलोचन सिंह	सदस्य, नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली के लोगों की समस्याओं में गहरी रूचि रखने वाले एक सुप्रसिद्ध नागरिक ।
3	श्रीमती प्रोमिला पंडित बरूआ	महासचिव, भारतीय बालकल्याण परिषद्, बच्चों की समस्याओं में रूची रखनें वाली एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ।
4	श्री डी० आर० गोयल	सम्पदाक, अंग्रेजी पत्रिका, "सैकुलर डैमोक्रेसी" तथा दिल्ली के सुप्रसिद्ध पत्रकार ।
5	कुमारी नन्दिता हक्सर	विद्यार्थियों की समस्याओं तथा सामाजिक कार्य में रूचि रखने वाली एक नवयुवती ।
6	श्री टी० एन० बाली	शिक्षा शास्त्री तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रीडर ।
7	श्रीमती देपाली नाग	दिल्ली के संगीत क्षेत्र में सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की कलाकार ।
8	प्रो० ए० एन० पाण्डे	शिक्षाशास्त्री तथा आई० आई० टी०, दिल्ली में मानवशास्त्र तथा समाज विज्ञान विभाग में प्रोफेसर ।
9	श्री ए० रहमान	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अनुसन्धान प्रभाग के कार्यभारी वैज्ञानिक ।
10	श्रीमती अरूणा वासुदेव प्लोयैन	एक अनुभवी फिल्म निर्माता ।
11	कुमारी उषा भगत	सामाजिक समस्याओं में रूची रखने वाली एक प्रतिभावान स्त्री ।
12	श्री कृष्णान खन्ना	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याती के एक सुप्रसिद्ध पेन्टर ।
13	श्री सलमान के० खान	अंग्रेजी साहित्य के स्नातकोत्तर विद्यार्थी नाटकों तथा विद्यार्थी समस्याओं में रूची ।

1	2	3
14	श्री विशम्बर खन्ना	एक सुप्रसिद्ध कलाकार तथा एक पब्लिक स्कूल में आर्ट डायरेक्टर ।
15	श्री मोहिन्दर सिंह	शिक्षाशास्त्री प्रधानाचार्य, देशबन्धु कालेज, नई दिल्ली ।
16	प्रो० एम० अयूब	सहायक प्रोफेसर, स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों तथा राष्ट्रीय राजनीति में विशेषज्ञ ।
17	श्री इन्द्र मोहन	पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता ।
18	डा० सलामतुल्ला	शिक्षाशास्त्री–प्रिंसिपल फैकलटी आफ एजूकेशन टीचर्स कालेज, जामिया मिलिया, नई दिल्ली ।
19	श्रीमती बी० मूले	शिक्षाशास्त्री तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में विशेष कार्य अधिकारी ।
20	श्री गिरिलाल जैन	सुप्रसिद्ध पत्रकार तथा राजनैतिक कमेन्टेटर तथा रेजिडैन्ट सम्पादक, टाइम्ज आफ इण्डिया नई दिल्ली । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ।
21	श्रीमती राज थापर	पत्रकार, सामयिक मामलों, सामाजिक और राज-नैतिक समस्याओं में विशेष रूचि रखती है ।

Payment of Money for Writing Spotlight Programme of A.I.R.

4503. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of the persons who have been paid Rs. 100 or more for writing Spot-light programme of A.I.R. during the last one year; and

(b) the names of the newspapers with which each of them is associated and the number of times he has been given opportunities for writing during the last three years, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh) : (a) & (b) A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [**Placed in the Library. See No. L. T.—5901/73**]. It will be seen therefrom that several of the participants are not journalists and are not associated with any newspaper.

केरल के ग्रामों में डाकघर

4504. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में ग्रामों में कितने डाकघर हैं और इस समय जनसंख्या वार उन का अनुपात कितना है; और

(ख) आगामी योजना अवधि के दौरान डाकघरों के खोले जाने संबंधी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) "ग्राम डाकघर" नाम की कोई श्रेणी नहीं है । डाकघरों को दो भागों में बांटा जाता है—एक शहरी और दूसरे ग्रामीण डाकघर । ग्रामीण डाकघर गांवों की ग्रामीण आबादी की सेवा करते हैं । केरल राज्य में तारीख 1-11-73 को 3612 ग्रामीण डाकघर काम कर रहे थे । ये औसतन 4932 ग्रामीण जनसंख्या के लिये काम कर रहे हैं ।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सारे देश में 31,000 नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है । इनमें से 29,000 डाकघर ऐसे गांवों में खोले जाएंगे जहां ग्राम पंचायत मुख्यालय हों और उन गांव के नजदीक का डाकघर 2 मील से अधिक दूरी पर हो और 2,000 डाकघर दूसरे गांवों में खोले जाएंगे बशर्ते कि नए डाकघर खोलने की शर्तें पूरी हो जाएं । राज्यवार कितने डाकघर खोले जाएंगे, यह अभी निश्चय नहीं किया गया है ।

क्विलोन जिले में टेलीफोन कनेक्शन

4505. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल राज्य के क्विलोन जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के कितने प्रार्थनापत्र विचाराधीन पड़े हुए हैं; और

(ख) उन में से कितने प्रार्थनापत्र ऐसे हैं जो सामान्य टेलीफोनों की श्रेणी में आते हैं और कितने ऐसे हैं, जो 'टू टोन' टेलीफोन के अन्तर्गत आते हैं और कब तक उपरोक्त जिले की टेलीफोन संबधी आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा किये जाने की सभावना है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) क्विलोन जिले में इस समय टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत पड़ी अर्जियों की संख्या 1133 है ।

(ख) अनिर्णीत अर्जियों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है :—

सामान्य श्रेणी में	834
ओ० वाई० टी० श्रेणी में	152
विशेष श्रेणी में	147

टेलीफोन की मांग पूरी करने के लिये अतिरिक्त माला में एक्सचेंज उपस्कर, केबिल और दूसरे साज-सामान की जरूरत है । उपलब्ध सम्पूर्ण साधनों के अनुसार धीरे-धीरे इनकी व्यवस्था की जा रही है । यथा समय जब अतिरिक्त साज-सामान और उपस्कर उपलब्ध हो जाएंगे, तब टेलीफोनों की बकाया पड़ी मांगें पूरी कर दी जाएगी ।

केरल के क्विलोन जिले का विकास

4506. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केरल राज्य के क्विलोन जिले के पिछड़े योजना क्षेत्रों के विकास के लिए कोई मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) क्विलोन जिला, केरल राज्य के पिछड़े जिलों के विकास के लिए केन्द्रीय सीधा अनुदान अथवा राज सहायता योजना 1971 अथवा रियायती वित्तीय योजना के अन्तर्गत नहीं आता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल को लाइसेंसों / आशय पत्रों का जारी किया जाना

4507. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 के दौरान केरल को एक ही प्रयोजन के लिए नए उद्योगों के लिये कितने लाइसेंस और आशय पत्र जारी किए गए ; और

(ख) किस प्रकार के उद्योगों के लिए ऐसे परमिट जारी किए गए ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 1973 (जनवरी—अगस्त) में केरल में 'नये उपक्रम' स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेन्स और 6 आशयपत्र जारी किये गये । ये खाद्य परिष्करण, धातुकर्मी उद्योग परिवहन, रसायन और रबड़ का सामान बनाने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में हैं ।

'कार्य स्थल के निकट बने क्वार्टरों' (एटैच्ड टु दी पोस्ट क्वार्टर) का आबंटन

4508. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**
श्री चन्द्रिका प्रसाद
} : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी सुपरवाइजरों के 'कार्य स्थल के निकट बने क्वार्टर' आवंटित करने के लिए कोई मानदंड जारी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से वरिष्ठ व्यक्ति इस लाभों से वंचित रह जाते हैं ;

(ख) क्या इन क्वार्टरों में बिना किसी अधिक उपयोग के टैलीफोन की सुविधाएं दें जबकि आवश्यक सेवाओं के लिए टैलीफोन लाइनों की भारी कमी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन क्वार्टरों में आन्तरिक टैलीफोन व्यवस्था (क्रास बार इन्दोर सुपरवाइजर्स) उपलब्ध करने का है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में कितने कर्मचारियों ने टैलीफोन तथा क्वार्टरों की सुविधाओं का उपयोग किया ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इंजीनियरी पर्यवेक्षकों के पदों के साथ क्वार्टर सिर्फ उन्हीं मामलों में सबद्ध किये जाते हैं, जिनमें दूर संचार सेवाओं के रख-रखाव के लिए और खास तौर पर एक्सचेंज बंद होने और सेवाओं में दूसरी खराबियां आ जाने पर उन्हें ठीक करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है ।

(ख) इंजीनियरी पर्यवेक्षकों के घरों पर टैलीफोन कनेक्शन उन्हीं मामलों में दिए जाते हैं जिनमें दूर संचार सेवाओं के रख-रखाव के लिए सेवा के हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है । ऐसे मामलों की संख्या बड़ी सीमित होती है और ऐसे सर्विस कनेक्शन देने में ज्यादा से ज्यादा मितव्ययिता बरती जाती है ।

(ग) जिन इंजीनियरी पर्यवेक्षकों के पदों के साथ क्वार्टर सम्बद्ध किए जाते हैं, आम तौर पर उनके घरों में टैलीफोन कनेक्शन देने के लिए आंतरिक टेलीफोन प्रणाली स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि सेवावों के रख-रखाव के लिए ऐसा करना सुविधाजनक नहीं है । क्रासबार इनडोर सुपरवाइजरों के लिए ही इस तरह की प्रणाली को उपयोग में लाना बहुत खर्चीला है, क्योंकि एक स्थान विशेष में ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है ।

(घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना एकत्र होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के 'ब्रीफ केस' से दस्तावेजों का गुम हो जाना

4509. श्री पीलू मोदी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान राजस्थान के दिवंगत मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां के 'ब्रीफ केस' से हमारी सीमाओं संबंधी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के गुम हो जाने के बारे में समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) उक्त रिपोर्ट की सत्यता क्या है ; और

(ग) क्या उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ढूंढने के लिये प्रयास किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

बड़ौदा में भारी जल परियोजना के लिए अमोनिया हाइड्रोजन कालम

4510. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

'(क) क्या बड़ौदा में भारी जल परियोजना में हाइड्रोजन अमोनिया कालम को गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या सड़क पर भारी लोहे के इस्पात कालम को लाने ले जान के सम्बन्ध में पूर्व योजना का अभाव बताया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन कारणों से परियोजना का समूचा कार्यक्रम ही बिगड़ जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। वास्तव में यह कालम स्थल पर पहुंच चुका है तथा अब उसे लगाया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा शाखाएं खोला जाना

4511. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को 1958 में किन आधार तथा शर्तों पर भारत में एक शाखा खोलने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को किन आधार तथा शर्तों पर 4 से अधिक बोतल भरने के संयंत्र लगाने के लाइसेंस दिए गए थे ; और

(ग) किन आधार और शर्तों पर इनको फैन्टा औरेंज, फैन्टा सोडा और फैन्टा ग्रेप पेय को बोतलों में भरने तथा भारत में उन्हें बेचने की अनुमति दी गई थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) कोका कोला निर्यात निगम की स्थापना के पूर्व बोतल भरने वाली (बोटलरों) को कोका कोला बनाने के लिए वास्तविक उपभोक्ता के आधार पर कोका कोला कन्सेन्ट्रेट के निर्यात की अनुमति दी गई थी :—

(1) संयंत्र एवं मशीनरी विदेशी कम्पनी के द्वारा दी जाएगी ; तथा

(2) उत्पादन का परिणाम देश के चार बोतल भरने के संयंत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा तथा समय समय पर विदेशी मुद्रा की स्थिति का ध्यान रख कर इन संयंत्रों में इस पेय के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल के आयात की अनुमति होगी ।

(ख) भारत कोका कोला निर्यात निगम की स्थापना के पूर्व के चार संयंत्रों के समेत इस समय कोका कोला की बोतल भरने के 22 संयंत्र हैं। बोतल भरने के संयंत्र या तो औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त हैं या तकनीकी विकास महानिदेशालय में स्वीकृत पंजीबद्ध हैं। बोतल भरने के अतिरिक्त संयंत्रों की स्वीकृति देते समय यह परिकल्पना की गई

थी कि इस योजना से कोका कोला निर्यात निगम को कोका कोला उत्पादन हेतु वास्तविक उपभोक्ता के आधार पर आयातित कच्चे माल की अतिरिक्त मांग करने का अधिकार नहीं होगा तथा निगम कन्सेन्ट्रेट के अपने निर्यात के एवज में उपलब्ध कच्चे माल में से बोतल भरने वालों को कन्सन्ट्रेट की सप्लाई की व्यवस्था करेगा ।

(ग) कोका कोला कन्सन्ट्रेट के उत्पादन हेतु अपने वर्तमान उपक्रम में साइट्रस फ्रूट बेवरेज बेस बनाने का मैसर्स कोक कोला निर्यात निगम का प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा इस आधार पर स्वीकृति दी गई है कि :—

(1) बेवरेज बेस बनाने के लिये संयंत्र तथा उपकरणों के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ; तथा

(2) बेवरेज बेस बनाने के लिये अपेक्षित किसी प्रकार के कच्चे माल के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कोका कोला कन्सेंट्रेट के निर्यात हेतु दी जाने वाली निर्यात उत्पादन हकदारी में से की जाएगी ।

मैसर्ज कोका कोला निर्यात निगम फैन्टा औरेंज, फैन्टा सोडा तथा फैन्टा ग्रेप का उत्पादन करता रहा है। जहां तक फैन्टा सोडा तथा फैन्टा ग्रेप का सम्बन्ध है क्या इनका उत्पादन शुरु करने का तात्पर्य विस्तार करना होगा, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्रीमती सुमित्रा देसाई के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

4512. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुमित्रा देसाई के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार के अनुरोध पर कुमारी सुमित्रा देसाई का पता लगाने के लिए राज्य के पुलिस प्राधिकारियों के प्रयत्नों में उनकी सहायता करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कहा गया था । अब कुमारी देसाई का खण्डवा में पता लगा लिया गया है ।

Persons Engaged in 1971 Census Work

4513. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether in 1971, the workers engaged in census work in the Hindi speaking areas used to instigate the citizens to tell any regional dialect/language of Hindi as their mother language instead of Hindi;

(b) whether similar practice was adopted in respect of persons speaking other regional dialects/languages;

(c) whether orders in this respect were received from the higher authorities; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) No.

(d) Does not arise.

उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मनीपुर, और नागालैन्ड चुनाव अभियान में पोस्टरों के मुद्रण के लिए राजनीतिक दलों को अखबारी कागज के विशेष कोटे का आवंटन

4514. **श्री मधु लिमये :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त अखबारी कागज प्राप्त करने के कोई प्रयास किये जा रहे हैं जिससे प्रमुख समाचार पत्र सभी समाचार छाप सकें;

(ख) स्किन्डिनैवया, कनाड़ा और रूस से अतिरिक्त अखबारी कागज प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मनीपुर और नागालैंड चुनाव अभियान में राजनीतिक दलों के पोस्टर, पर्चे आदि मुद्रित करने के लिये विशेष कोटा आवंटित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां, अखबारी कागज की अतिरिक्त मात्रा जहां से भी मिले वहां से प्राप्त करने और आने वाले वर्ष तथा आगे के वर्षों के लिये भावी पूर्ति के लिए वचन प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर किये जा रहे हैं ।

(ख) इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी का एक प्रतिनिधि मण्डल कनाडा तथा अमरीका गया था जिसका उद्देश्य वहां से अखबारी कागज प्राप्त करने की संभावनाओं का वहीं पर अध्ययन करना था । उनकी बातचीत के बाद अक्टूबर, नवम्बर, 1973 में एक अखबारी कागज प्रतिनिधिमण्डल कनाडा तथा अमरीका गया था । इस प्रतिनिधि मण्डल में राज्य व्यापार निगम, सरकार और समाचार पत्र उद्योग के प्रतिनिधि शामिल थे । इस प्रतिनिधि मण्डल को 53 हज़ार टन अखबारी कागज के 4 प्रस्ताव मिले थे । इनमें से दो प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं और जनवरी, 1974 में माल भेजना शुरु किए जाने की उम्मीद है । दो अन्य प्रस्तावों के बारे में कार्रवाई चल रही है ।

अक्तूबर, 1973 में एक और अखबारी कागज प्रतिनिधि मण्डल 10,000 टन की वर्तमान योजना के अंतर्गत पोत लदानों में शीघ्रता करवाने तथा इस वर्ष और भावी वर्षों के लिए अखबारी कागज की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने हेतु बातचीत करने के लिये ढाका गया था । बंगला देश द्वारा सीमित भुगतान करार के अन्तर्गत कुछ अतिरिक्त अखबारी कागज भी दिए जाने की संभावना है ।

हमारी तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त अखबारी कागज प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने तथा भावी पूर्ति के लिए बातचीत करने के लिये एक अखबारी कागज प्रतिनिधि मण्डल इस समय मास्को में है ।

सरकार स्किन्डेनेवेन पूर्तिकर्ता को इस बात के लिए राजी करने के लिये उनसे बराबर सम्पर्क बनाये हुए है कि वे वर्तमान करार की मात्राओं के निर्धारित समय के अनुसार भेज दे । भावी पूर्तियों के लिये भी बातचीत करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) समाचार पत्रों को अखबारी कागज केवल लागू अखबारी कागज आवंटन नीति के अन्तर्गत ही आवंटित किया जाता है ।

तिरुपति में मोटर गाड़ी बैटरी एकक की स्थापना

4517. **श्री के० कोंड्डारामी रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में एक मोटर गाड़ी बैटरी एकक स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) उक्त एकक की उत्पादन क्षमता क्या होगी वह कब से उत्पादन करना आरम्भ कर देगा, इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा तथा उसमें कितनी पूंजी लगेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तिरुपति में मोटर गाड़ी बैटरी का उत्पादन करने के लिए एकक स्थापित करने की अनुमति के लिये इस मंत्रालय से निवेदन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में टेलेक्स एक्सचेंज केन्द्र

4518. **श्री के० कोंड्डारामी रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में उन शहरों और कस्बों के नाम और संख्या कितनी है, जहां टेलेक्स एक्सचेंज केन्द्र हैं ?

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में कुछ और केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या किन्हीं वर्तमान केन्द्रों में टेलेक्स लाइनों में वृद्धि की जा रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आन्ध्र प्रदेश में तीन टेलीप्रिंटर एक्सचेंज हैं। ये एक्सचेंज (i) सिकन्दराबाद (ii) विजयवाड़ा और (iii) विशाखापत्तनम में काम कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) गुंटूर में 50 लाइनों का एक टेलेक्स एक्सचेंज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आशा है कि यह कार्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण के दौरान पूरा हो जाएगा।

अडोनी, काकीनाडा, राजामुन्द्री और विजयनगरम में नये टेलेक्स एक्सचेंज खोलने के प्रस्तावों पर भी विचार हो रहा है। यदि वितीय दृष्टि से इनका खोलना व्यवहार्य हुआ तो इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जाएगी।

(घ) सिकन्दराबाद के मौजूदा टेलेक्स एक्सचेंज में 300 लाइनें (300 से बढ़ा कर 600 लाइनें) विशाखपटन्नम में 50 लाइनें (50 से बढ़ा कर 100 लाइनें) और विजयवाड़ा में 50 लाइनें (50 से बढ़ा कर 100 लाइनें) बढ़ाने के प्रस्ताव पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। आशा है कि ये कार्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण के दौरान पूरे हो जाएंगे।

रेडियो-सक्रिय परमाणु अवशिष्टों का निपटान

4519. **श्री के० कोंड्डारामी रेड्डी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने रेडियो सक्रिय परमाणु अवशिष्टों के निपटान की समस्या का हल ढूंढ़ लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो हाल की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आरम्भ से ही देश में अल्प एवं माध्यमिक स्तर की रेडियो-सक्रियता वाले अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने के लिए रासायनिक संसाधन, वायन, निस्पन्दन, आयन-विनिमय जैसी पारम्परिक विधियां काम में लाई जा रही हैं। तथापि, उच्च स्तर की रेडियो-सक्रियता वाले अपशिष्ट पदार्थों को बढ़िया किस्म के स्टेनलैस स्टील की भूमिगत टंकियों में स्टोर किया जाता है। ताकि उनमें विखंडनशील पदार्थों का क्षय नैसर्गिक रूप से होने पर उनका रेडियो-सक्रियता का स्तर घट जाए। इस प्रकार के अपशिष्टों को बाद में संसोधित करने की प्रक्रिया विकसित की जा चुकी है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को संसाधित करके उन्हें अघुलनशील पदार्थ की ठोस अवस्था में लाया जा सकता है।

Security of Champaran District, Bihar

4520. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Champaran District (Bihar) is situated on the borders of Nepal ;

(b) whether there is lack of modern vehicles, pucca road and Telephones on the Police Stations at the borders; and

(c) if so, the arrangements proposed to be made by the Central Government for the security of the area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Moshsin) : (a) Yes, Sir,

(b) & (c) Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

Working of Telephones in the Country

4521. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Telephone system is not working satisfactorily throughout the country, except Delhi; and

(b) if so, the measures proposed to be taken to improve it ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) The telephone systems in the country are generally working satisfactorily. Constant efforts are made to improve the efficiency of the systems.

(b) The performance of major systems is being evaluated on a continuing basis with a view to pinpoint weak spots and eliminate them. Special action is also in progress to improve the performance of Crossbar exchanges. Other measures already in hand to improve the overall efficiency of the telephone systems are listed in the Annexure.

Statement

Some of the measures in hand for improving the efficiency of telephone systems.

(i) Laying of underground cables in ducts in major cities.

(ii) Pressurisation of underground cables.

(iii) Reduction of the overhead alignment in cities and towns.

(iv) Improving the availability of spares in adequate quantities.

(v) Providing traffic relief equipment for exchanges where the traffic has increased beyond the capacity.

(vi) Improvements in complaint and fault procedure.

(vii) Provision of more vehicles for faster movement of maintenance personnel and equipment.

(viii) Refresher training to the staff with a view to improve their efficiency.

इम्फाल में आकाशवाणी भवन का निर्माण

4522. **श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल में आकाशवाणी भवन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान अस्थायी व्यवस्था से आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के विभिन्न सैक्शनों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती ;

(ग) यदि हां, तो सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अधिकारियों और अन्य श्रेणियों के कमचारियों की आवास सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने तथा उन्हें अन्य सुविधाएं देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या पैलेस के प्रांगण में अधिग्रहीत भूमि के बारे में कानूनी कार्यवाही पूरी हो गई है और यदि हां, तो कितनी भूमि प्राप्त की गई है और इससे पूर्व लम्फालपट में आवंटित भूमि की तुलना में यह कैसे लाभप्रद है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) (1) ट्रांसमिटर :– मुकम्मल होकर 2 अक्टूबर, 1971 को चालू हुआ।

(2) स्टूडियो — ले आउट नक्शों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और भवन निर्माण के सिविल प्राक्कलनों की जांच हो रही है।

(3) स्टाफ क्वार्टर — निर्माण का प्रथम चरण पूरा हो गया है। निर्माण के द्वितीय चरण पर कार्य चालू किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) स्थायी स्टूडियो, कार्यालय के लिये स्थान, आदि की व्यवस्था करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। जहां तक आवास स्थान का सम्बन्ध है, प्रथम चरण के अन्तर्गत 30 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

(घ) जी, हां। 3·4 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। लैम्फेलपैट क्षेत्र में पहले के स्थान की मिट्टी की कमजोर धारण क्षमता के कारण छोड़ देना पड़ा था।

मनीपुर के लिए पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार देने सम्बन्धी कार्यक्रम

4523. **श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के लिए पांच लाख व्यक्तियों को रोजगार देने सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कार्यक्रम की परी तरह क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु मनीपुर सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पर्याप्त कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में असफल रहने वाले विभागों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या भारत सरकार द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्विति के पर्यवेक्षण के लिए एक अनुभवी उच्च अधिकारी को वहां भेजने पर विचार करेगी ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य को 28.279 लाख रु० लागत के कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं। प्रशिक्षण और स्वनियोजन सम्बन्धी सभी स्कीमें प्रगति पर हैं।

(ख) बैंक-प्रतिनिधियों के परामर्श से सभी सम्बद्ध विभागों द्वारा समस्त स्कीमों और आधार-भूत विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर में कागज उद्योग

4524. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में कागज उद्योग के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने उक्त उद्योग को स्वीकृति दे दी है जिससे राज्य सरकार बिना विलम्ब कार्य आरम्भ कर सके ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्वीकृति कब दी गई थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) मणिपुर सरकार ने कागज का उत्पादन करने वाले एकक की स्थापना करने के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करवाई है। इस योजना की जांच कार्य अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में है।

मनीपुर में अधिकारियों को आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदोन्नत किया जाना

4525. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में अधिकारियों को आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदोन्नत किए जाने के मामले में सरकार द्वारा निर्णय अभी लिया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिया जायेगा ;

(ग) मनीपुर सिविल सेवा और मनीपुर पुलिस सेवा से अलग अलग, कितने अधिकारियों को आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदोन्नत किया गया ;

(घ) क्या आगामी बैच की पदोन्नति में विलम्ब राज्य सरकार द्वारा आगामी बैंच के लिए योग्यता-प्राप्त अधिकारियों की सूची भेजने में विलम्ब के कारण हो रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) मणिपुर तथा त्रिपुरा के लिए भारतीय प्रशासन सेवा का एक संयुक्त संवर्ग है और इन दो राज्यों के लिए एक अन्य संयुक्त संवर्ग भारतीय पुलिस सेवा का है। इन संवर्गों का गठन 21-1-1972 से

किया गया था । जुलाई, 1972 से दोनों राज्य सरकारें इस बात पर दवाब डाल रही हैं कि उन रिक्तियों को उनमें वितरित किया जाए जो उनके अधीन कार्य कर रहे पात्र अधिकारियों में से नियमों के अन्तर्गत् पदोन्नति द्वारा अथवा चयन द्वारा भरी जाने वाली हैं । इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके अखिल भारतीय सेवाएं अधियिनम, 1951 के अन्तर्गत बनाए गये संगत नियमों और विनियमों में संशोधन करे । इस प्रकार के परामर्श के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे तैयार किये जा रहे हैं । संशोधनों के अधिसूचित होते ही, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी ।

(ग) मणिपुर सिविल सेवा के एक अधिकारी तथा मणिपुर पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों को क्रमशः भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत किया जा चुका है ।

(घ) तथा (ङ) मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज्य सिविल पुलिस सेवा अधिकारियों की सम्मिलित वरिष्ठता सूचियां प्राप्त न होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग के लिए मणिपुर तथा त्रिपुरा की भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के संयुक्त संवर्गों से सम्बन्धित चयन समितियों की बैठकों का आयोजन करना संभव नहीं हो सका है । मणिपुर सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उनके लिए उपरोक्त सम्मिलित चयन सूचियां तैयार करना इस कारण से संभव नहीं हो सका कि दोनों राज्यों के बीच पड़ने वाली दूरी के अलावा दोनों राज्यों की राज्य सिविल सेवा संवर्गों के उद्‌भव मूलतः भिन्न भिन्न हैं । इस बात को देखते हुए दोनों राज्य सरकारों द्वारा नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति या चयन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के वितरण का प्रस्ताव रखा गया था ।

इम्फाल में स्वचालित एक्सचेंज और मनीपुर में अधिक राशि के बिल बनाने के बारे में शिकायतें

4526. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल में स्वचालित एक्सचेंज खोलने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था से राजधानी की टेलीफोन सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकती ;

(ख) स्वचालित एक्सचेंज के बन जाने तक बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार को मनीपुर में टेलीफोन कनेक्शनों के सम्बन्ध में अधिक राशि के बिल बनाये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है और इमारत के नक्शे तैयार किए जा रहे हैं । इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बंगलूर ने अपने 1975-76 के उत्पादन कार्यक्रम में 1,500 लाइनों के एक आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर तैयार करने का कार्य भी शामिल कर लिया है । इस टेलीफोन एक्सचेंज का आगे और भी विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है ।

(ख) इम्फाल में इस समय 1200 लाइनों का एक सी० बी० मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहा है। इसका विस्तार दो चरणों में करके इसमें 1440 लाइनें कर देने का प्रस्ताव है।

(ग) मणिपुर के टेलीफोन उपभोक्ताओं से ऐसी कुछ शिकायतें मिली है जिसमें उन्होंने अधिक राशि के बिल भेजे जाने के बारे में लिखा है। उन पर उचित कार्यवाही करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है।

(घ) मणिपुर क्षेत्र के लिए एक अलग टेलीफोन डिवीजन बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। इस डिवीजन का मुख्यालय इम्फाल में होगा। डिवीजनल इंजीनियर टेलीफोन्स के कार्यालय के लिए एक उपयुक्त इमारत की व्यवस्था करने के वास्ते कार्यवाही की जा रही है। ज्योंही कोई इमारत मिल जाएगी, यह डिवीजन काम करना शुरू कर देगा। इसमें एक लेखा कार्यालय भी होगा। यह व्यवस्था हो जाने पर तकनीकी पर्यवेक्षण और साथ ही साथ लेखे के पर्यवेक्षण में सुधार होगा और उम्मीद है कि उपभोक्ताओं की शिकायतें कम हो जाएंगी।

राजस्थान बिजलीघर से परमाणु बिजली

4527. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **परमानु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत को राजस्थान परमाणु बिजली घर से परमाणु बिजली के पूरे लाभ प्राप्त होने की कोई संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर से पैदा होने वाली बिजली उत्तरी क्षेत्र की प्रणाली काम में लाई जायेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिवाजी के राज्याभिषेक को तीसरी शती समारोह पर डाक टिकट जारी करना

4528. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संसद् सदस्यों ने शिवाजी के राज्याभिषेक की तीसरी शती पर आगामी वर्ष एक विशेष डाक टिकट जारी करने के लिए अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाई की गई है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्री शिवाजी पर 1974 में डाक-टिकट जारी करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) श्री शिवाजी पर तारीख 17-4-61 को एक स्मारक डाक-टिकट जारी किया गया था। डाक-टिकट सलाहकार समिति की हाल ही में हुई बैठक में श्री शिवाजी पर वर्ष 1974 में डाक-टिकट जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। परन्तु समिति ने फिर से वर्ष 1974 में शिवाजी पर डाक-टिकट जारी करने की सिफारिश नहीं की। समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

बम्बई-नागपुर और नागपुर-दिल्ली के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

4529. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और नागपुर और नागपुर और दिल्ली के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था आरम्भ करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यवस्था कब से आरम्भ की जाएगी ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) बम्बई और नागपुर के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग पहले ही लागू की जा चुकी है । यह सेवा तारीख 3-4-1973 से काम कर रही है । आशा है कि नागपुर और दिल्ली के बीच सीधे डायल करने की सुविधा छठी योजना की अवधि के आरम्भ में दी जा सकेगी ।

अन्तरिक्ष में उपग्रह के रुकने का अनुमानित समय

4530. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री अन्तरिक्ष में उपग्रह छोड़ने की योजना के बारे में 8 अगस्त 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 241 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त उपग्रह किस उद्देश्य से छोड़े जाने का प्रस्ताव है और उसके अन्तरिक्ष में कितने समय तक ठहरने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : वर्ष 1974 के अन्त तक छोड़े जाने वाले वैज्ञानिक उपग्रह के द्वारा (1) एक्स-रे खगोल-विज्ञान परीक्षण, (2) सौर न्यूट्रान एवं गामा किरण परीक्षण, तथा (3) वायु-विज्ञान परीक्षण नामक तीन वैज्ञानिक परीक्षण करने का प्रस्ताव है । उपग्रह के लगभग एक वर्ष तक अन्तरिक्ष में ठहरने की सम्भावना है ।

एफ-लिस्ट (इंस्पैक्टरों) में पदोन्नति के लिए दिल्ली में पुलिस इंस्पेक्टरों को स्थायी किया जाना

4531. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस दिल्ली ने अगस्त, 1973 में एफ-लिस्ट (इंस्पेक्टरों) में पदोन्नति के लिए 325 स्थायी इंस्पेक्टरों को बुलाया था ;

(ख) क्या इनमें से 84 सब-इन्सपेक्टरों को एफ लिस्ट में ले लिया गया था और 241 को अस्वीकृत कर दिया गया ;

(ग) इस चयन के लिए क्या कसौटी अपनाई गई ; और

(घ) क्या बेहतर सेवा रिकार्ड वाले अधिकारियों को अस्वीकृत कर दिया गया जबकि सामान्य रिकार्ड वाले तथा कनिष्ठ स्थिति वाले अधिकारियों का चयन कर लिया गया, वरिष्ठता की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित सूचना दी है :–

अगस्त।सितम्बर, 1973 में चयन बोर्ड जिसका अध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक तथा सदस्य दो उप महानिरीक्षक हैं, द्वारा 322 वरिष्ठ उप पुलिस उपनिरीक्षकों को उनके नाम पदोन्नति की 'एफ' सूची, जो पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए उपनिरीक्षकों को योग्य समझने की एक सूची होती है, में प्रविष्ट करने के लिए विचार करने हेतु बुलाया था।

(ख) 84 उपनिरीक्षकों को इस सूची में उनके नाम प्रविष्ट करने के लिए चयन किया गया था शेष 238 को अस्वीकृत किया गया था।

(ग) उस चयन के लिए मानदण्ड पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.1(1) में निश्चित किए गये हैं जो इस प्रकार हैं :–

एक पद से दूसरे पद में तथा एक ही पद के एक ग्रेड से दूसरे में पदोन्नति, वरिष्टता के क्रम के चयन द्वारा की जायेगी। दक्षता तथा ईमानदारी चयन के मुख्य आधार होंगे। विशिष्ठ योग्यता चाहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की हुई हो अथवा प्रयोगात्मक अनुभव के स्वभाव की हो प्रत्येक मामले पर सावधानी से विचार किया जायेगा। जब दो अधिकारियों की योग्यतायें अन्यथा समान हो तो वरिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की जायेगी। यह नियम समय माप क्रम में वेतन वृद्धियों को प्रभावित नहीं करता है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

Annual Function Celebrations of C.R.P.

4532. Dr. Laxminarayan Pandaya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the annual function hitherto celebrated at C.R.P. Head-quarters at Neemuch (Madhya Pradesh) will be celebrated in Delhi this time; and

(b) If so, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, the annual function was celebrated at Jharoda Kalan Delhi on 31-10-73.

(b) Neemuch was the place where Ist Unit of CRPF was raised on 27-7-39. Upto 1956 the Head Quarters of the Unit was at Neemuch. With the expansion of the Force and raising of New Units, the Headquarters of the Units were located at different places. Aniversary functions continued to be held at Neemuch as no other suitable and convenient place was available. Since last year a Group Centre at Jharoda Kalan Delhi has been established where all facilities to hold annual function are available. The change of venue is due to the fact that Delhi is the Headquarters of the C.R.P. Force and is a place where the officers and men can come more easily by spending less journey time and participate in the function.

हिमाचल प्रदेश में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए विदेशी परामर्शदाता

4533. **श्री वसन्त साठे : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पौग्रोन्टा में सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक बहु-राष्ट्रीय फर्म को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जैसा कि 19 नवम्बर, 1973 को समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या ऐसा सरकारी नीति और नियमों का उल्लंघन करके किया गया हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय सीमेन्ट निगम ने हिमाचल प्रदेश के पौग्रोन्टा नामक स्थान में अपना सीमेन्ट का संयंत्र लगाने हेतू मैसर्स होल्टेक इंजीनियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड को अपना परामर्श दाता नियुक्त किया है । यह टक्नीकल सर्विस कनाडा के विदेशी सहयोग से स्थापित एक भारतीय कम्पनी है । मैसर्स होल्टेक इंजीनियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड की इक्विटी में उक्त फर्म की 32 प्रतिशत की साझेदारी है । मैसर्स होल्टेक इंजीनियर्स के 10 निदेशकों में से 7 भारतीय हैं । इस कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक, तकनीकी निदेशक तथा शत प्रतिशत कर्मचारी भी भारतीय हैं : अतः इस कम्पनी का भारतीय सीमेन्ट निगम द्वारा परामर्शदाता नियुक्त किया जाना भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट नीति के विरुद्ध नहीं ।

पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण

4534. **श्री वसन्त साठे : क्या प्रधान** मन्त्री पदोन्नति द्वारा भरे गये पदो में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षण के बारे में 25 अप्रैल 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8,216 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा सामान्य रूप से और कृषि विभाग द्वारा विशेष रूप से इस मामले में की गई अद्यतन प्रगति क्या है ;

(ख) क्या कृषि विभाग ने केबिनेट सविचालय द्वारा 27 नवम्बर, 1972 को जारी किये गये आदेश पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) मंत्री मण्डल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के का० ज्ञा० संख्या 27–2–71 स्थापना (अनु० जा०), दिनांक 27-11-1972 में अन्तर्विष्ट आदेशों को कृषि विभाग सहित

मंत्रालयों / विभागो द्वारा अपने अधीन ऐसे सक्षम प्राधिकारियों के पास भेजा गया है, जो पदोन्नतियां करने के लिए उत्तरदायी हैं। उपर्युक्त आदेशों को लागू करने में कृषि विभाग सहित, विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा की गई प्रगति के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, इसे एकत्रित करके सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

पंजाब को एल्यूमिनियम का आवन्टन

4535. श्री रघुनदन लाल भाटिया : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार भारत सरकार के विकास आयुक्त पर एल्युमिनियम के आवन्टन में वृद्धि करने पर जोर दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय हुआ है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब सहित सारे देश में इस कच्चे माल का सामान्य अभाव है। इस कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करने वाले छोटे कारखानों के आवंटन की माला को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी 200 मी० टन अल्यूमिनियम की अतिरिक्त माला का आवंटन अक्तूबर 1973 में पंजाब सरकार को कर दिया गया है।

रोजगार और जन शक्ति संबंधी स्टीयरिंग ग्रुप द्वारा किया गया कार्य

4536. श्री ई० बी० विखे पाटिल : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1972 में गठित रोजगार और जनशक्ति सम्बन्धी स्टीयरिंग ग्रुप ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) रोजगार और जनशक्ति सम्बन्धी संचालन-दल ने, इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि शिक्षण, वैज्ञानिक और प्रबन्धकीय जनशक्ति की जरूरतों का अनुमान लगाने तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए छ: कार्यकारी दलों का गठन किया था। ये दल अन्य दशों से भिन्न थे। उपर्युक्त दलों के कार्य का विषय एक दूसरे से सम्बन्धित था : क्योंकि उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय आयोजनों व कार्यक्रमों को हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है, इसलिए इन दलों से प्राप्त रिपोर्टों को भी हाल ही में अन्तिम रूप दिया जा सका है। रोजगार और जनशक्ति सम्बन्धी संचालन दल की रिपोर्ट अभी तैयार हो रही है।

अमरीका तथा अन्य देशों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

4537. श्री नवल किशोर शर्मा
श्री सी० के० जाफर शरीफ } : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय टेलीफोन विभाग को संचार उपग्रह व्यवस्था के द्वारा अमरीका या कनाडा डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधाएं दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली से लातीनी अमरीकी देशों सहित कुछ अन्य देशों के साथ भी सीधे टेलीफोन सम्पर्क की सुविधाएं दी जाएंगी ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) विदेशी परिपथों (सर्किटों) पर सीधे डायल करके टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है लेकिन 1 नवम्बर, 1973 से बम्बई में विदेश संचार सेवा के महाद्वीपीय टेलीफ़ोन एक्सचेंज के चालू हो जाने से भारत और अमेरिका के बीच अर्ध-स्वचालित स्तर का टेलीफोन परिचालन, परीक्षण, के रूप में आरम्भ हुआ है। इसकी सहायता से बम्बई और मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज के प्रचालक अमेरिका के किसी टेलीफोन प्रयोक्ता से सीधे डायल कर सम्पर्क कर सकते हैं। इस परीक्षण की सफलता के बाद यह सुविधा नई दिल्ली और उसके बाद कलकत्ता से भी सुलभ की जाएगी। कालान्तर में इसी प्रकार की सुविधा ब्रिटेन के लिए भी सुलभ करने का प्रस्ताव है। इस समय अन्य देशों से ऐसे सम्बन्ध जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

Murder of a Girl of Siraspur Delhi

4538. Shri Pannalal Barupal
Shri Nathu Ram Ahirwar } : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether he has received a memorandum or an application regarding cold-blooded murder of a girl of Siraspur, Delhi on 20th November, 1973;

(b) if so, the action taken in this regard so far and the nature of punishment given to the guilty persons;

(c) whether he has also received a complaint that some police officers are trying to protect the culprits and are harassing the complainants; and

(d) if so, there action of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) & (b) No Sir, A case of murder has been registered at Police Station Alipur and is under investigation.

(c) & (d) A complaint was addressed to the Prime Minister, which is being examined.

पिछड़े क्षेत्रों का द्रुत विकास

4538. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किं :

(क) क्या उत्तर प्रदेश ने अभी हाल के अपने दौरे में प्रधान मंत्री ने इस आशय का वक्तव्य दिया था कि पिछड़े क्षेत्रों में (सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में) द्रुत विकास करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और पांचवीं पंचवर्षिय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) देश में कौन कौन पिछड़े क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं जहां दुत गति से विकास कार्य किए जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) अभी हाल के उत्तर प्रदेश के दौरे की अवधि में प्रधान मंत्री ने इस बारे में सकेन्द्रीत प्रयत्नों की महता को बताया था।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना की मुख्य बातें तथा नियत लक्ष्य पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ग) औद्योगिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों/जिलों जिन्हें अब तक (1) वित्तीय संस्थानों से रियायती आर्थिक सहायता तथा (2) केन्द्रीय प्रत्यक्ष अनुदान अथवा आर्थिक सहायता के लिए चुना गया है, की सूची सलंग्न है। **(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5992/73)**

विदेशी सहयोग के बारे में दत्त समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्यवाही

4540. श्री दिनेश सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या दत्त समिति के इस सुझाव पर कोई कार्यवाही की गई है कि भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेशी उद्योगपतियों के साथ किए गए सहयोग का अध्ययन किया जाना चाहिए; और

(ख) भारतीय उद्योगपतियों के साथ सहयोग करने के लिए विदेशों से राष्ट्रीय निगमों को आंमत्रित करने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति (दत्त कमेटी) ने जुलाई 1973 में प्रकाशित अपनी रिर्पोट में अन्य बातों के साथ साथ विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझौते के अध्ययन करने की सिफारिश की थी जिससे भविष्य में विदेशी सहयोग के मामलों का अनुमोदन करते समय कुछ कमियों को दूर किया जा

सके । समिति ने यह भी कहा था कि विदेशी विनियोजन बोर्ड नीति का गठन कर लेने से कुछ कमियां दूर हो जायेंगी । दिसम्बर 1968 में विदेशी विनियोजन बोर्ड का गठन हो जाने के साथ-साथ ऐसे उद्योगों की एक उदाहरणात्मक सूची (सूची-1 क) प्रकाशित की गयी थी जिनमें विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी जा सकती है और सूची 1 ख के उद्योगों में विदेशी तकनीकी सहयोग की अनुमति दी जा सकेगी और सूची–11 के उद्योगों में किसी भी प्रकार के विदेशी सहयोग को आवश्यक नहीं समझा गया था । सरकार ने उसी के अनुसार विदेशी सहयोग के प्रति अपने दृष्टिकोण में रचनामत्क नीति अपनायी है और उन क्षेत्रों में जिन में देश के अन्दर ही उपयुक्त तकनीकी जानकारी उपलब्ध है तकनीकी जानकारी के आयात को खत्म करने की आवश्यकता पर बल दिया है । हाल ही में सरकार ने विदेशी सहयोग विषयक नीति के विभिन्न पहलुओं की जांच करने की दृष्टि से विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक कमेटी भी नियुक्त की है । इस कमेटी की रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों के साथ सहयोग के लिए बहु-राष्ट्र निगमों को आमंत्रित करने के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया है । विदेशी सहयोग के जिन मामलों को सरकार का अनुमोदन दिया जाता है उन सभी में देश की अर्थ व्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का आयात उन स्रोतों से करने की आवश्यकता है जिनकी शर्तें सबसे अच्छी तथा सर्वाधिक समता-पूर्ण होती है ।

ड्राई सेलों में टिनी कार्बन इलेक्ट्रोड

4541. श्री के० माल्लना : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या भारत ड्राई सैलों में उपयोग किए जाने वाले टिनी कार्बन इलैक्ट्रोड को उपलब्ध कराने की स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इनके विरूद्ध भारत में उत्पादन किए जाने से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) इस समय निगटे इलैक्ट्रोडस (कार्बन इलेक्ट्रोड) का उत्पादन केवल एक एकक कर रहा है । 1973 (अक्तूबर तक) में इसमें 2530 लाख संख्या के करीब उत्पादन हुआ था । बाकी आवश्य आयात कर के पुरी की जाती है। सरकार कुल 20,950 लाख संख्या की क्षमता की 9 योजनायें पहले ही स्वीकार कर चुकी है । आशा है कि इसमें से अधिकांश योजनायें क्रियान्वित हो जायेगी और 20,000 लाख संख्या की मांगें चौथी पंजवर्षीय योजना के अन्त तक देश में होने वाले उत्पादन से पूरी की जा सकेगी आयात रोक देने से करीब 400 लाख रूपये की बचत हो सकेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of urgent Public importance

तूफान के कारण सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के 'सोनावती' जहाज के गुम हो जाने का समाचार और इस संबन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं नौवहन और परिवहन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

तूफान के कारण सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पंनी लिमिटेड के "सोनावती" जहाज के गुम हो जाने के समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi) : I am sorry to inform the House of the shipping casualty which occurred in the Bay of Bengal. The facts of the case are as follows :—

The Motor Vessel 'SONAVATI' built in 1960 (GRT 1999 and DWT 3105) of the Scindia Steam Navigation Company, which was bound from Tuticorin to Calcutta with cargo of salt and 38 crew members on board was caught up in a cyclone on the 8th December, 1973 in the Bay of Bengal at a place about 256 kilometers South East of Visakhapatnam. The vessel sent out an SOS message which was picked up by another Indian ship JALAMOTI of the Scindia Steam Navigation Company and relayed to Calcutta Radio. According to this message, the vessel was abandoned by the crew at about 1400 hour on the 8th December, 1973. The vessel sank at 1440 hours on the same day.

The Principal Officer, Mercantile Marine Department, Calcutta, on receipt of the message, immediately alerted the Indian Air Force Station, Barrackpore, and the Eastern Naval Command, Viskhapatnam, and the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras. Soon thereafter, four ships joined in the rescue operations, three of them being Indian and one foreign.

According to the latest information received, 28 persons have so far been rescued, 4 dead bodies have been recovered and 6 are missing.

A preliminary inquiry under the Merchant Shipping Act, 1958, into this marine accident was being conducted by the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras.

Shri S.M. Banerjee : Was not it possible to give prior warning of Cyclone to the crew of the ship ? Was the ship equipped with instruments to catch such information and if so was it in working order ?

After receiving the warning another ship saved the lives of 28 persons but 10 persons were feared to have been drowned.

What are the names of the officers who are investigating this matter under the Merchant Shiping Act ? May I know whether they are participating in Shipping ?

I would also like to know whether the families of the deceased would be given compensation or not ? If so, what is the amount of interim compensation and what would be given latter ?

This shipping Company is not functioning properly. May I know whether the Government propose to take over this Company or not ? If not the reason therefor?

Shri Kamlapati Tripathi : It is the responsibility of the Meteorological Department to give prior warning to Ships.

Shri S.M. Banerjee : But these forecasts are not dependable.

Shri Kamlapati Tripathi : But it is their duty to make fore casts. The principal officer of Mercantile Department is conducting the preliminary enquiry. The judicial enquiry would be held after receipt of their report.

The families of the victims would be paid compensation according to the agreement with the National Maritime Board. Seamen are paid compensation @ 11 to 15 thousand. Non certificated officers are paid 40 months wages and certificated Officers are paid 48 months wages.

We nationalize any undertaking when it is profitable to do so.

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने क्षतिपूर्ति में 11,000 रुपए की बात कही है। इंडियन एयरलाइन्स में 1 लाख एवं रेलवे में 50,000 क्षतिपर्ति की व्यवस्था है।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : With the expansion of Science and Technology is it not possible to give prior intimation of cyclone. Is it not possible to do so in India ?

As regards the amounts of compensation intimated by the Home Minister, has not it become necessary to re-consider them ?

Shri Kamlapati Tripathi : There is no reason why in this scientific age there should be no arrangement for advance warning of cyclones. We have such an arrangement at our ports; whether this could be done on the ships also would be examined.

If the amount of compensation are inadequate the Government would consider whether the matter should be reviewed.

Shri Birender Singh Rao (Mahendergarh) : The hon. Minister stated that the G.R.T. of the ship was below 2,000 tons and D.W.T. 3106 tons. Since how long the captain of the ship has obtained certificate of Captainship ?

What is the arrangement with the Government to get the sea-worthiness of the ships periodically ?

Of the 6 missing persons the hon. Minister has not stated that their search is going on.

Shri Kamlapati Tripathi : After thorough search for 3—4 days it is considered useless to continue search.

As regards the signal of danger it was first heared by a Ship Jalmati. This ship rellayed the message from Calcutta. When this ship left its sea-worthi ness was 100 per-cent. This was further to be enquired in December, 1974.

Shri Shrikrishan Modi (Sikar) : In this era of Science Ships are equipped with equipments to forecast cyclones and thus the chances of their sinking are less. Was that ship without such a provision.

Would it be enquired into as to what was the price of the ship and for what amount it was insured ?

Shri Kamlapati Tripathi : I can give all the information after collecting it.

Mr. Speaker : You may place the subsepuent information on the table of the House.

Shri Madhu Limaye (Banka) : The Bay of Bengal is area of cyclones. There are other conutries in the area, viz. Bangla Desh, Burma and Malaia Would the Government constitute a new organisation recently with these Count ries.

Cannot same assistance be given for thus the Bay of Bangal by the space research giving on these days ?

Can not we have a system for making forc casts at Anadaman. Has the Government come to some conclusion that such accidents take place in a particular reason. Would the Government gather information regarding the mishaps during the last three years ?

Shri Kamlapatl Tripathi : The suggestions put forward are very good and I shall consider them.

The setting up of an organisation with the help of other countries is an other question. This can be done only after discussions with them.

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

Re Adjournment Motion etc.,

श्री ज्योतिर्मय बसु (डयामण्ड हार्बर) : महोदय मैंने स्थागन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं ।

Shri Atal Behari Vajpayee : Due to centre's failure to solve the border dispute between Maharashtra & Mysore unrest is prevailing in the States. How long this dispute would be kept alive.

I had given an adjournment motion on this issue.

Shri Madhu Limaye : We have also given an adjournment motion on National Disintegration.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The adjournment motions tabled by us should be admitted on the basis of reccent incidents which took place at Kolhapur, Balgaon or Bombay.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे अपना प्रस्ताव पढ़ने की अनुमति दें :—

"बृहतर बम्बई, कोल्हापुर आदि में हुई घटनाओं के दौरान साम्प्रदायिकता और प्रांतयिता का दमन करने मे सरकार की असफलता" . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैंने इस पर पूर्णतः विचार किया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : लेकिन हाल में हिंसा की घटनायें भी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में चर्चा करने का अवसर देने से इन्कार नहीं करता। आप इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चाहेंगे अथवा एक पृथक चर्चा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं केवल स्थगन प्रस्ताव ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The situation in the entire country is explosive. The Government is doing a great injustice to the country by sitting over this issue. The matter should be discussed immediately.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की घटनायें निरंतर होती रहती हैं यह किसी राज्य के विधि और व्यवस्था का प्रश्न है जिस पर यहां विचार नहीं किया जा सकता।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : हिसां की घटनाओं बढ़े पैमाने पर हुई है। दक्षिण भारत के अनेक लोगों के होटल लूटे गये।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। यह मामला राज्य प्रशासन से सम्बन्धित है।

श्री के० लकप्पा : यह एक अन्तर्राजीय मामला है। हम इस पर पूर्ण चर्चा चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरट और इलाहबाद में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। यह केन्द्र की जिम्मेंवारी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे सकता हूं।

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : इस प्रकार की घटनायें निंदनीय है। यह राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है और इसकी जिम्मेवारी केंन्द्र को है। अतः स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जाय।

श्री के० लकप्पा : मैं श्री दण्डवते के विचारों से सहमत नहीं हूं। यह एक अन्तर्राज्जीय मामला है। इस पर यहां चर्चा होनी चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस प्रश्न पर एक चर्चा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस के लिये चर्चा का समय निश्चित करेगें। आप बतायें कि इस चर्चा के लिये कौन सा समय उचित रहेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Maharashtra, Mysore border disput can be taken up to day and discussion on Food Corporation can be taken up later on.

अध्यक्ष महोदय : कल शाम हम इस पर चर्चा करेगें लेकिन फूड कार्पोरेशन पर चर्चा 3–30 म० प० पर होगी।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : No chance has been provided to the members of this side to speak on Maharashtra-Mysore border dispute.

Mr. Speaker : You should also table adjournment motion. You will also be given chance.

Shri Shankar Dayal Singh : Chance should be given to the members from both sides. It appears from newspapers that only these people are seized of the problem of the public (**Interruption**). Opposition parties are responsible for border dispute (**Interruptions**).

Shri Atal Bihari Vajpayee : I contradict the allegations that the opposition parties are held responsible for the failure of the Government.

Shri Shankar Dayal Singh : Please do not prolong the discussion, otherwise it will be established (**Interruptions**).

Shri Atal Bihari Vajpayee : The report of the enquiry in to the Shahadra riots has not been laid on the table. of the house. Enquiry should also be ordered into the riots which took place at Meerut.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the table

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना

3. **गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)**: मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1278 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 433 (ङ) दिनांक 9 अक्तूबर, 1972 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है। (ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 5973/73)।

राज्य सभा से संदेश

Message from Rajya Sabha

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा 10 दिसम्बर, 1973 की अपनी बैठक में बर्न कम्पनी और इंडियन स्टैंन्र्डड वैगन (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1973 से, जो लोक सभा द्वारा 6 दिसम्बर, 1973 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

विधान सभा का सत्र बुलाने में उत्तर प्रदेश के राज्य पाल की कथित असफलता के बारे में

Re : Alleged failur of U.P. Governor to summon Legislative Assembly.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि किसी भी प्रकार संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

अनुच्छेद 174 (1) और 356 इससे सीधे सम्बन्धित है। दोनों के एक साथ पढ़ा जाना चाहिये। अनुच्छेद 174 (1) के अनुसार राज्यपाल विधान सभा का अधिवेशन बुलाता है।

इस मामले में अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी की गई थी। उसके अधीन राष्ट्रपति ने घोषणा की कि राज्य विधान मंडल की शक्तियों का उपयोग संसद की सत्ता के अधीन होगा और उन्होंने यह घोषणा भी की है कि वह संविधान के उपबंधों को लागू करने में निम्नलिखित अनुषांगिक और परिणामी छूट दे रहे हैं। उनमें से एक अनुच्छेद 174 का खंड है।

अतः यह सपष्ट है कि ज्यों ही अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 174 के खंड 1 के अधीन उद्घोषणा जारी की गई, राज्यपाल का विधान सभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार छीन लिया गया। परिणामतः उद्घोषणा की अवधि के दौरान राज्यपाल विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुला

सका क्योंकि संसद ने राज्य विधान मंडल की शक्तियां प्राप्त कर ली थी और राष्ट्रपति को उन शक्तियों का संसद की सत्ता के अधीन उपयोग करना था, अतः उस अवधि के दौरान केवल संसद ही विधायी प्राधिकार था और राष्ट्रपति ने संसद की सत्ता के अधीन उन शक्तियों का प्रयोग किया।

अनुच्छेद 174 (1) में दी गई छः महीने की अवधि का हिसाब लगाते समय अनुच्छेद 174(1) के निलम्बित काल और उद्घोषणा के लागू रहने की अवधि और राज्यपाल द्वारा विधान सभा का अधिवेशन न बुलाए जा सकने की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। यदि इसे इस प्रकार शामिल न किया जाए तो छः महीने की अवधि पूरी नहीं होती। इस प्रकार संविधान के प्रबन्धों का कोई उल्लघंन नहीं हुआ है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I do not agree with all what has been said by the Minister. The House should discuss it as was done in the case of West Bengal.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : विधि मंत्री ने कहा है कि अब अनुच्छेद 174 को निलम्बित किया गया था उस अवधि को शामिल नहीं किया जायेगा। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि छः महीने का हिसाब कैसे लगाया जायेगा ऐसी परिस्थिति में छः महीने की अवधि निर्धारित करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए उनके अनुसार विधान सभा अस्तित्व में नहीं रही क्योंकि छः महीने की अवधि में उसका सत्र नहीं बुलाया गया।

विधि मंत्री ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 174 (1) निलम्बित कर दिया गया है परन्तु 174 (2) निलम्बित नहीं किया गया है। यदि 174(2) का निलम्बन नहीं हुआ तो सत्रावसान या तो किया गया है या नहीं। यदि राष्ट्रपति ने विधानसभा का सत्रावसान कर दिया है तो प्रश्न यह है कि भूतपूर्व विधान सभा क्या करना चाहती थी और क्या कर रही थी। इसकी हमें अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। संविधान के अनुसार विधान मण्डल के यथाशीघ्र कार्यवाही पर विचार करने का अवसर मिलना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति ने इस समय में कुछ विधान पारित किया है। राष्ट्रपति के कानून राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने चाहिए। अतः विधान सभा को शीघ्र बुलाया जाए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The explanation of the hon. Law Minister on Article 356 is controversial which has been expolited on political reasons in our country by putting the Legislative Assembly in animated suspension and then by reviving it. Opinion of the Supreme Court should be obtained on this point.

There is also a question of constitutional propriety. The new Chief Minister should face the session of Vidhan Sabha. It is his moral duty to face the Vidhan Sabha and show that he is commanding majority.

Opinion of the Supreme Court should, therefore, be taken on this point.

Shri Shyamnandan Mishra : There should be a full discussion on this point.

मोदी फ्लोर मिल्स के गोदामों में 1,500 क्विटल गेहूं की क्षति के बारे में वक्तव्य

Statement Re : Destruction of 1500 Quintals of Wheat in the Godowns of Modi Flour Mills.

ग्रध्यक्ष महोदय : श्री ग्रण्णा साहिब पी० शिन्दे, ग्राप वक्तव्य सभा-पटल पर रख सकते हैं।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं मोदी-फ्लोर मिल के गोदामों में 1,500 क्विटल गेहूं की क्षति के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

दिल्ली प्रशासन ने छापे मार कर 10 फरवरी, 1973 को मोदी रोलर फ्लोर मिल, नई दिल्ली क गोदामों से गेहूं की कुछ मात्रा पकड़ी थी। यह मामला पुलिस के यहां रजिस्टर्ड करवाया गया, उन्हें ही गेहूं के स्टाक की ग्रभिरक्षा का कार्य भी सौंप दिया गया था। ग्रावश्यक वस्तु ग्रधिनियम, 1955 की धारा 6ए के ग्रधीन मिल के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए यह मामला कलैक्टर, दिल्ली को सूचित किया गया। कलैक्टर के ग्रादेशों के ग्रधीन गेहूं के स्टाक का कुछ भाग थोड़ी मात्रा में बेचा गया था। सुपर बाजार के महाप्रबन्धक, 7 ग्रगस्त, 1973 को कलक्टर से मिले ग्रौर उनसे सुपर बाजार के माध्यम से बिक्री के लिए गेहूं की शेष मात्रा देने को कहा। 30 ग्रगस्त, 1973 को कलैक्टर ने सुपर बाजार को गेहूं की 2,906 बोरियां ग्रावंटित की ग्रौर उनकी सुपुर्दगी लेने के लिए कहा। इस बीच में सुपर बाजार ने दिल्ली प्रशासन से दिल्ली गेहूं नियंत्रण ग्रादेश, 1973 के उपबन्धों में ढील देकर गेहूं का स्टाक रखने, उसकी बिक्री ग्रादि करने के बारे में सामान्य छूट देने के लिए कहा। यह छूट 22 सितम्बर, 1973 को दी गई थी। सुपर बाजार ने दिल्ली प्रशासन से ग्राम जनता को ग्राटा बेचने के लिए गेहूं के स्टाक को पिसवाने की ग्रनुमति 30 ग्रक्टूबर, 1973 को मांगी। दिल्ली प्रशासन ने ग्रावश्यक ग्रनुमति 9 नवम्बर, 1973 को दी लेकिन शर्त यह थी कि 'ग्राटा' केवल-मात्र परमिट धारियों को बेचा जाएगा। तथापि, सुपर बाजार के प्राधिकारी ग्राम जनता को ग्राटे की कुछ मात्रा बेचने के इच्छुक थे। वितरण के तरीके का ग्रन्तिम निर्णय होने तक सुपर बाजार गेहूं का ग्राटा बनवा रहा है।

दिल्ली प्रशासन ने गेहूं के स्टाक की जांच करवाई है। यद्यपि स्टाक कुछ हद तक क्षतिग्रस्त पाया गया था, लेकिन नमूनों के विश्लेषण के ग्रनुसार यह स्टाक मानव उपभोग के उपयुक्त पाया बताया गया था।

मनीपुर में छात्र ग्रान्दोलन के बारे में

Re : Student's Agitation in Manipur

श्री एन० टोम्बी सिह (ग्रान्तरिक मनीपुर) : मणीपुर में राष्ट्रपति शासन है ग्रौर वहां छात्रों में ग्रसंतोष व्याप्त है। यह ग्रान्दोलन राज्य सरकार की इस ग्रसफलता के विरोध में है कि सरकार कम ग्राय वाले वर्ग के छात्रों की छात्रवृति देने तथा उनकी ग्रावश्यकताग्रों को पूरा करने के लिये

धन की व्यवस्था नहीं कर सकी।... (व्यवधान)। यह एक ऐसा राज्य है जहां कोई उद्योग नहीं है और जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। कम आय वाले लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृति पर निर्भर रहना पड़ता है। कम आय वाले वर्ग के छात्रों को पिछड़े अनेक वर्षों से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के संरक्षण में नियमित ढंग से छात्रवृति मिला करती थी। इस वर्ष सरकार यह राशि अदा नहीं कर सकी। वर्तमान संकट-का समाधान करना होगा।

आने वाले मध्यावधि चुनावों और राज्य में राष्ट्रपति शासन को दृष्टि में रखते इस बात की संभावना है कि इस आन्दोलन का दुरुपयोग किया जाये।

क्या मैं यहां उपस्थित शिक्षा मंत्री महोदय से इस बारे में वक्तव्य दिये जाने की आशा करूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय अभी वक्तव्य देगें या बाद में।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : बाद में।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1973–74

Supplementary Demands for grants (General) 1973-74

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वर्ष 1973–74 के लिये बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करती हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Death of a Harijan Satyagrahi has taken place in Tihar Jail.

Mr. Speaker : A great deal of discussion had been taken up on that.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Can this case not be raised only because it relates to Harijans ?

Shri Shankar Dayal Singh : I have also sought permission to raise a matter regarding Mafia under Rule 377.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Please ask him to place these Satyagrahis in class 'B.'

दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक—जारी

Code of Criminal Procedure Bill—contd.

Mr. Speaker : 3 hours were allotted for discussion on the Code of Criminal Procedure Bill. 3 hours and 40 minutes are already over. We shall go with a little more speed. Shri Dinesh Joarder is to continue his speech after lunch.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर पन्द्रह मिनट म०प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न के भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर उन्नीस मिनट म०प० पर पुन: समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Nineteen minuets past Fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दार (औसग्राम) : दिल्ली क्लाथ मिल के 8,000 श्रमिकों को उनका वेतन नहीं दिया गया है और आज दिल्ली के लगभग 28,000 कपड़ा मिल के श्रमिक हड़ताल पर हैं। यह मामला बहुत गंभीर है। श्रम मंत्री वक्तव्य दें और इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि कपड़ा मिल के श्रमिकों की मांगें पूरी हो सकें।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : The Management has provoked this strike. The hon. Minister of Labour should intervene.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I raised two matters 7 or 8 days ago with the permission of the Speaker. One was regarding a Harijan of Monghyr District who was burnt alive and other was about the Indian Cotton Mills Federation which evaded tax by getting themselves registered under the Trade Union Act. But the hon. Ministers have not replied so far. The Minister of Home Affairs is present and he may make a statement about the death of a Harijan

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी बात सुन ली है।

दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक—जारी

Code of Criminal Procedure Bill—contd.

खंड 167—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दंड प्रक्रिया संहिता के खंड 167 पर चर्चा आरंभ करते हैं।

श्री दिनेश जोरदर ने अपना संशोधन कल प्रस्तुत किया और श्री शिवनाथ सिंह का संशोधन श्री जोरदार के संशोधन का संशोधन है। यदि किसी विशेष संशोधन को स्वीकार करना होता है तो उन्हें सीधे मेरे पास आना चाहिये।

मैं श्री शिवनाथ सिंह के संशोधन को ग्रहण करता हूं।

श्री दिनेश जोरदर (मालदा) : मेरे लिये यह बात स्पष्ट नहीं हुई है कि श्री शिवनाथ सिंह का संशोधन स्वीकार किया जा रहा है या मेरा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिवनाथ सिंह चाहते हैं कि आपके संशोधन को अंतिम पांच पंक्तियों के स्थान पर दूसरी पंक्तियां रखी जायें। मैं उसे स्वीकार करूंगा। क्या माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : नियमों के अन्तर्गत संशोधन का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नियम 87 पढ़िए।

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझनूं) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संशोधन की सूची संख्या 38 में संशोधन संख्या 335 के रूप में प्रकाशित श्री दिनेश जोरदर द्वारा संशोधन में अन्तिम पांच पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"Period exceeding sixty days, and on the expiry of the said period of sixty days, the accused person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail, and every person released on bail under this section shall be deemed to be so released under the provisions of Chapter XXXIII for the purposes of that Chapter.

"साठ दिन की कालावधि से अधिक और साठ दिन की उक्त कालावधि समाप्त होने पर अभियुक्त व्यक्ति, यदि जमानत देने को तैयार है और जमानत देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जायेगा तथा इस धारा के अधीन छोड़े गये प्रत्येक व्यक्ति को अध्याय तेतीस के उपबन्धों के अन्तर्गत उसी अध्याय के प्रयोजनों हेतु छोड़ा हुआ समझा जायेगा।"

[संशोधन संख्या–358]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश जोरदर अपना भाषण आरंभ करें।

श्री दिनेश जोरदार (मालदा) : कल मैं यह कह रहा था कि खंड 167 का बहुत व्यापक अर्थ है और सरकार को जांच की अवधि पर किसी निश्चित सीमा तक प्रतिबंध लगाना चाहिए। व्यावहारिकता यह है कि जब तक जांच चलती रहती है तब तक अपराधी जेल में बंद रहते हैं और राजनीतिक मामलों में तो अपराधियों को बर्षों तक रिहा नहीं किया जाता है। अपराधों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिये और जांच पूरी करने की दृष्टि से समय की सीमा निश्चित कर दी जानी चाहिये।

खंड 173 के सम्बन्ध में मैंने जो प्रस्ताव रखे हैं उन्हें सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। उस आशय के अलग संशोधन मैंने कल दिये हैं। मैं इन संशोधनों के लिये और आग्रह नहीं करता। परन्तु मेरा अनुरोध है कि उन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिये क्योंकि हम भारतीय दंड संहिता का संशोधन भी करेंगे।

मेरे संशोधन में एक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसे सरकार स्वीकार कर रही है, इस पर हमें प्रसन्नता है। मंत्री महोदय ने इस छोटे से संशोधन को स्वीकार कर लिया है। यद्यपि यह संशोधन छोटा है तथापि इसका अर्थ बहुत व्यापक है। अब अपराधी को दो महीने के बाद रिहा कर दिया जायेगा। उनके विरुद्ध यदि जांच भी पूरी नहीं हुई तो भी दो महीने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जायेगा। मुझे श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उससे तो संशोधन को और अधिक अच्छा रुप दिया जा रहा है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : There are few occasions to congratulate the hon. Ministers but on the acceptance of this amendment I Congratulate Shri Ram Niwas Mirdha. I am more happy that the period of 90 days in Police Custody was reduced to 15 days during the last session and this time the period of Magisterial custody has been reduced to three months.

Shri Shivnath Singh : I gave an amendment to the effect to release the accused on bail after sixty days and then to enforce the provisions of section 33. I request the hon. Minister to except my amendment so that the hardships of the litigent public can be alleviated.

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मुझे इसके अतिरिक्त और अधिक कुछ नहीं कहना है कि मैं श्री शिवनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार करता हूं।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस संशोधन को स्वीकार करने के पश्चात् यह खंड पहले से कहीं अधिक स्वीकार्य प्रतीत होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोरदार और श्री शिवनाथ सिंह के संशोधन एक ही खंड के हैं और संशोधन संख्या 280 जैसे हैं, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उन पर मतदान होना है। एक ही बात के लिये दो संशोधन नहीं हो सकते।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have a point of order. If there is any difficulty with regard to Rules. Shri Shvinath Singh and Shri Ram Niwas Mirdha can discuss and settle the same.

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं पिछले अवसर पर स्वीकार किये गये संशोधन मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा बाद में श्री जोरदर तथा उस पर श्री शिवनाथ सिंह का संशोधन प्रस्तुत करूंगा, अब मैं श्री शिवनाथ सिंह का संशोधन संख्या 280 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 280 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 280 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शिवनाथ सिंह का संशोधन संख्या 358 मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

That in the amendment moved by **Shri Dinesh Joarder**, printed as **No. 335** in List No. 38 of amendments, *for* the last 5 lines, *substitute*—

"period exceeding sixty days, and on the expiry of the said period of sixty days, the accused person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail ; and every person released on bail under this section shall be deemed to be so released under the provisions of Chapter XXXIII for the purposes of that Chapter."

कि श्री दिनेश जोरदर द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोंधनो की सूची संख्या 38 में क्रमसंख्या 335 पर प्रकाशित संशोधन की अन्तिम पांच पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाये --

"कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक अवधि के लिए अभियुक्त व्यक्ति का अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा, और 60 दिन की अवधि समाप्त हो जाने पर, यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और जमानत दे देता है तो वह जमानत पर छोड़ दिया जाएगा ; और इस धारा के अन्तर्गत जमानत पर छोड़े गये प्रत्येक व्यक्ति को अध्याय 33 के प्रयोजन हेतु उस अध्याय के उपबंधों के अन्तर्गत जमानत पर छोड़ा हुआ माना जायेगा ।" [358]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दिनेश जोरदर का संशोधन संख्या 335, संशोधन संख्या 358 द्वारा संशोधित रूप में मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 335, संशोधन संख्या 358 द्वारा संशोधित रूप में, मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ

Amendment No. 335, as amended by amendment No. 358 was put and adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 281 मतदान के लिए रखता हूं उसे सरकार ने गत सत्र में स्वीकार कर लिया था ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 58, पंक्ति 10 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाये —

"Explanation—If any question arises whether an accused person was produced before the Magistrate as required under paragraph (b), the production of the accused person may be proved by his signature on the order authorising detention".

"**स्पष्टीकरण**— यदि ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है, जैसा कि पैराग्राफ (ख) में अपेक्षित है, तो अभियुक्त की उपस्थिति निरोध प्राधिकृत करने वाली आदेश पर उसके. हस्ताक्षर से सिद्ध की जा सकती है ।" [281]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 123, 124, 184, 202, 203, 266 और 267 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 123, 124, 184, 202, 203, 266 and 267 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 167, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 167, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 167 as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री दिनेश जोरदर खंड 173 के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव पेश कर रहें हैं ।

श्री दिनेश जोरदर : जी, नहीं

उपाध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह है कि खंड 173 उसी रूप में स्वीकृत हुआ जैसा कि उसे गत सत्र में स्वीकार किया गया था। क्या आप खंड 197 के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव पश कर रहें हैं ?

श्री दिनेश जोरदार : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः खंड 197 को लेने ने का भी प्रश्न नहीं उठता ।

खंड 360

डा० कैलाश (बम्बई) : दक्षिण मैं प्रस्ताव करता हूं :

That the decisions of the House in respect of Clause 360 of the Code Criminal Procedure Bill, 1972, as passed by Rajya Sabha, and the amendment moved thereto, made on 1st September, 1973 be rescinded.

"कि राज्य सभा द्वारा पारित रुप में दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक 1972 के खंड 360 और उस पर पेश किये गये संशोधन के बारे में 1 सितम्बर, 1973 को किये गये सभा के विनिश्चय विखंडित कर दिये जायें ।" [347]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

That the decisions of the House in respect of Clause 360 of the Code of Criminal Procedure Bill, 1972, as passed by Rajya Sabha, and the amendment moved thereto, made on 1st September, 1973 be rescinded.

"कि राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक 1972 के खंड 360 और उस पर पेश किये गये संशोधन के बारे में 1 सितम्बर, 1973 को किये गये सभा के विनिश्चय विखंडित कर दिये जायें।" [347]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

डा० कैलाश : मैं प्रस्ताव करता हूं :
पृष्ट 123, पंक्ति 47, — 'more' (अधिक) के स्थान पर 'less' (कम) रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामनिवास मिर्धा का संशोधन संख्या 58 मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ट 123, पार्श्व शीर्षक में 'instead of sentencing to imprisonment" (कारावास की सजा देने के बजाय) के स्थान पर "or after admonition" (भर्त्सना के पश्चात्) प्रस्थापित किया जाये। [58]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ट 123, पंक्ति 47, — "more" के स्थान पर "less" रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 360, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 360, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 360 as amended, was added to the Bill.

खंड 1

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

That the decisions of the House in respect of Clause 1 of the Code of Criminal Procedure Bill, 1972, as passed by Rajya Sabha, and the amendmnets moved thereto, made on 3rd September, 1973 be rescinded.

"कि राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक 1972 के खंड एक और उत्तर पेश किये गये संशोधनों के बारे में 3 सितम्बर, 1973 को किये गये सभा के विनिश्चय विखंडित कर दिये जायें।" [307]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

That the decisions of the House in respect of Clause 1 of the Code of Criminal Procedure Bill, 1972, as passed by Rajya Sabha, and the amendments moved thereto, made on 3rd September, 1973 be rescinded.

"कि राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दण्ड प्रकिया संहिता विधेयक 1972 के खंड एक और उत्तर पेश किये गये संशोंधनों के बारे में 3 सितम्बर, 1973 को किये गये सभा विनिश्चय विखंडित कर दिये जायें।" [307]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ट 2, पंक्ति 10,— "1st day of July, 1973" (जुलाई 1973 के प्रथम दिन) के स्थान पर "1st day of April, 1974" (अप्रेल 1974 का प्रथम दिन) प्रस्थापित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं उन संशोधनो को मतदान के लिए रखता हूं जो गत अवसर पर स्वीकार किये गये थे।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 5, '1972' के स्थान पर '1973' प्रस्थापित किया जाये। [11]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8 से 11 और पृष्ट 2, पंक्ति 1 से 4 के लिए निम्निलिखित प्रस्थापित किया जाये ।

"Provided that the provisions of this Code, other than those relating to Chapters VIII, X and XI thereof, shall not apply—

(a) to the State of Nagaland,

(b) o the tribal areas,

but the concerned State Government may, by notification, apply such provisions or any of them to the whole or part of the State of Nagaland or suchtribal areas, as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification".

"परन्तु अध्याय 8, 10 और 11 से सम्बन्धित उपबंधों से भिन्न इस संहिता के उपबंध,–

(क) नागालैंड राज्य को,

(ख) जनजाति क्षेत्रों को,

लागू नही होंगे, किन्तु सम्बद्ध राज्य सरकार अधिघोषणा जारी करके ऐसे उपबंधों को अथवा उनमें से किसी को भी, अधिघोषणा में निर्दिष्ट अनुपूरक, अनुबंधो या पारिणामिक उपांतरों को भी सहित, पूर्ण नागालैंड राज्य पर या उसके किसी भाग पर जनजाति क्षेत्रों, जैसी स्थिति हो, के लिए विस्तार कर सकती है।" [286]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 13 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ट 2, पंक्ति 10,— "1st day of July 1973" (जुलाई 1973 के प्रथम दिन) के स्थान पर "1st day of April 1974" (अप्रैल 1974 का प्रथम दिन) प्रस्थापित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

Shri Madhu Limaye (Banka): It has been said by the Hon. Minister that provisions of this Bill would not be used to impress political movements. Trade Union Movement or other social and economic movements. It is requested that when this bill becomes an Act the State Governments and their Chief Ministers be directed not to use this Act against political workers.

There can not be two opinions about the fact that in many respects this code is better than the old Criminal Procedure Code. But if administrative improvements are not brought in Police Administration it may not be possible to implement the laws, whoever good they may be. Police should adopt humaniterian approach and stop using third degree methods. Police is in collusion with criminals and anti-social elements at many places. Unless this is checked Criminal Procedure Code is not going to serve any purpose. It should therefore be checked.

This is good that attention has been paid towards the rights of criminals as well. It should be stressed on the Police Administration and Executive Magistrates that criminals are also human being. I also want to say that enlarging of powers of Judicial Magistrates is good. But I would like to point out that constitution stresses separation of judiciary and executive. It is the responsibility of the Minister to see that this directive of the constitution is implemented.

Our High Courts possess many superintendents powers. These powers are not available to Supreme Court even. But High Courts are not using these powers to bring about improvements in the working of Magistrates. It has recently been observed that Supreme Court has starting attacking High Courts. (*Interruptions*). I am not casting reflections upon the functions of the Courts.

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब इस विधेयक की सीमा से बाहर है।

Shri Madhu Limaye: This is not extraneous. I want to request to the Chief Justices of High Courts, through you, to implement liberal provisions of Criminal Procedure Code.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराईच) संविधान के पश्चात इस देश के लाखों लोगों के जीवन को यदि कोई अन्य कानून प्रभावित करता है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता है। यह कानून अंग्रेजी शासन के दौरान बनाया गया था। इस देश के लोगों पर अपने प्रभाव को जमाने के लिये उन्होंने पुलिस को अधिक शक्ति शाली बनाया। इसके परिणामस्वरूप पुलिस के विरुद्ध नफरत की भावना व्याप्त हो गई। आज भी हम में से अनेकों के मन में वही भावना है जिसके परिणाम स्वरूप हमनें इसके उबपन्धों को नई परिस्थितियों के अनुसार समझने का प्रयास नहीं किया।

अवैतनिक मजिस्ट्रेट का पद बहुत ही बदनाम हो चुका था। ब्रिटिश शासन में उन्हें पिट्ठू के नाम से पुकारा जाता था। उनमें से अधिकतर व्यक्ति अशिक्षित, अर्द्धशिक्षित अथवा अयोग्य थे। अब इस पद पर नियुक्ति करने का अधिकार उच्च न्यायलय को दिया गया है और साथ ही उनकी शक्तियां भी कम कर दी गई हैं।

पुलिस की शक्तियां भी कम कर दी गई हैं। पुलिस द्वारा जांच के दौरान अभियुक्त के साथ मारपीट की जाती थी। इस विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि यदि अभियुक्त के साथ जांच के दौरान पुलिस द्वारा मारपीट के कारण कोई चोट पहुंचें तो वह अपनी इच्छा से किसी डाक्टर से अपनी परीक्षा करा सकता है। जमानत सम्बन्धी उपबन्धों को भी उदार बनाया गया है। इस बात का उपबन्ध भी किया गया है कि बुरे से बुरे अभियुक्त पर भी उचित रूप से मुकद्दमा चले। अब यह एक बहुत ही व्यापक विधेयक है। अतः इस में कुछ कमियां रह सकती हैं। परन्तु उन्हें बाद में ठीक किया जा सकता है।

श्री दिनेश जोरदर (मालदा) : यह एक प्रकार से नई संहिता है। इसके 483 खंड और अनेक अनुबन्ध हैं। यह मुख्य रूप से देश के साधारण लोगों के जन जीवन को प्रभावित करने वाली संहिता है। समाज में लोंगो का एक ऐसा वर्ग है जो प्रशासन और सरकारी तन्त्र पर नियन्त्रण रखता है। उस वर्ग के हित देश के लाखों लोगों के हितों के विरुद्ध है। पुलिस उस वर्ग की सहायता करती है। देश में राजनैतिक और लोकतान्त्रिक आन्दोलनों को दबाने के लिये भी पुलिस का उपयोग किया जाता है। हमारी संसद तथा विधान सभाओं ने जन कल्याण के अनेक कानून बनाये हैं। परन्तु समाज के शोषित वर्ग को उनसे लाभ नहीं पहुंचा है। इसका कारण यही है कि पुलिस इस वर्ग के विरुद्ध है। पुलिस अपने पुराने ही रास्तों पर चली आ रही है।

वास्तव में आज वास्तविक अपराधी को सजा से अधिक आवश्यक बात यह है कि अन्याय पूर्ण और गल्त व्यक्तियों पर मुकद्दमें बाजी से लोगों को सुरक्षा मिले। पुलिस बल और प्रशासन द्वारा प्रतिदिन अनेक लोगों को मुकद्दमों में फंसाया जाता है। पुलिस इस काम के लिये दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न उपबन्धों का सहारा लेती है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संहिता के के साथ साथ इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाये कि पुलिस प्रशासन में भी आज की परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन आए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में सब से महत्वपूर्ण सुधार सारी संहिता को मानवीय रुप देने की दिशा में होना चाहिये। विधेयक के इस रुप में भी अनेक ऐसे अंश है जिनसे साम्राज्यवादी कानून की झलक मिलती है।

राजनैतिक व अन्य आन्दोलनों के सम्बन्ध में निर्दोष व्यक्तियों पर भी मुद्दकमा चलाया जाता है। न्यायालय द्वारा उनके साथ साधारण अभियुक्तों जैसा व्यवहार किया जाता है। हमारा देश लोकतन्त्र देश है। हर व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हैं अतः राजनैतिक व अन्य लोकतन्त्र व अन्य लोकतन्त्रात्मक आन्दोलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किये जाने पर उन के साथ अन्य अभियुक्त व्यक्तियों से भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिये।

इस संहिता के अन्तर्गत पुलिस को बहुत अधिक शक्तियाँ दी गई है। पुलिस को अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। खंड 41 के अन्तर्गत पुलिस को वही शक्तियां दी जा रही हैं जो उन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान प्राप्त थी। परन्तु दूसरी ओर हमें बताया जाता है कि हम समाज को समाजवादी रुप में परिवर्तित कर रहे है।

कहा जाता है कि समाजवादी देशों में लोकतन्त्र नहीं और लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं। परन्तु वास्तविकता यह है कि समाजवादी देशों में लोंगो को हमारे देश से और विश्व के अन्य स्वतन्त्र लोकतन्त्रात्मक देशों से अधिक लोकतन्त्रात्मक अधिकार प्राप्त हैं। रूस संहिता के अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत किसी निर्दोष व्यक्ति पर मुकद्दमा चलाने वाले को सजा देने की व्यवस्था है।

इसका तात्पर्य यह है कि बाद में यदि यह पाया जाता है कि पुलिस अधिकारी अथवा मैजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति निरपराध हैं तो गिरफ्तार करने वालों को तीन वर्ष तक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। वस्तुतः यह पुलिस अधिकारी अथवा सरकारी व्यवस्था पर एक प्रकार से नियंत्रण है।

आपने यह रियायत दी है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को दो महीने के बाद जमानत ली जा सकेगी। इसका मतलब है कि यदि वह निरपराध पाया गया तो एक प्रकार से उसने दो महीने तक हवालाती दंड भोगा है। रूस में क्या होता है। वहां संदिग्ध व्यक्ति से व्यक्तिगत जमानत या किसी सामाजिक संगठन से जमानत मांगी जाती है अथवा उसे पहरे पर रखा जाता है, वहां पुलिस उन्हें तत्काल गिरफ्तार नहीं करती है, बहुत ही संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्री अधिकारों पर रोक लगाई जाती है।

यहां आपने जांच कार्यवाही समाप्त करने की कोई अवधि निर्धारित नहीं की है, परन्तु रूस में इसकी अवधि निर्धारित है, इस संशोधन को स्वीकार करने के बाद भी स्थिति क्या होगी ? जांच कार्यवाही के दौरान किसी भी व्यक्ति को दो महीने से अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकेगा। परन्तु यदि दो महीने के अन्दर जांच कार्यवाही पूरी हो जाती है और उस अवधि में मुकद्दमा पूरा नहीं होता है तो अपराधी को हवालाती दंड भोगना पड़ेगा। इसका मतलब है कि . . .

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों पर खंडों पर चर्चा के दौरान चर्चा हो चुकी है। यह तीसरा वाचन है।

श्री दिनेश जोरदर : मैं मंत्री महोदय पर यह जोर डालना चाहता हूं कि वे पुलिस प्रशासन के प्रति अपनी नीति बदले, रूस की दंड प्रक्रिया संहिता में तीन शर्तें स्पष्ट बताई गई हैं जिसके अंतर्गत अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है । चीन की दंड प्रक्रिया संहिता भी एक नए दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है । हम अनुभव करते हैं कि जब तक समूचे पुलिस प्रशासन को बदला नहीं जाता है तब तक यह समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगा । अन्यथा हम यही समझेंगे कि यहां आपराधिक कानूनों का उपयोग राजनीतिक तथा अन्य आंदोलनों को दबाने के लिये किया जा रहा है ।

श्री के० नरायण राव (बोबिली) : मुझे लगता है कि वर्तमान दंड संहिता में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाया गया है । विधि आयोग ने विभिन्न रायों का अध्ययन करके केवल इसकी भाषा में परिवर्तन करने का ही सुझाव दिया है । हालांकि कुछ परिवर्तन लाये गये हैं परन्तु उनका समस्या के मूल पहलुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यदि हम 1898 की संहिता और वर्तमान संहिता को देखें तो इसमें अधिक अंतर नहीं मिलेगा । वर्ष 1898 की संहिता तब बनी थी जब हम पराधीन थे परन्तु अब हम स्वतंत्र हैं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि संहिता में परिवर्तन लाते समय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बदली हुई परिस्थियों को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

Shri R.V. Bade (Khargone): I thank the Government that they have accepted our amendments in some sections of Criminal Procedure Code. But I want to warn the Hon. Minister that this Code is being freely misused in villages. I want that the Police should be asked to apply Section 144 very cautiously.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस विधेयक में सुधार करने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । परन्तु मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे देश में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि इस विधेयक में किये गये सुधार से हमारे मूल अधिकारों का विस्तार हो ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि इन संशोधन से पूरा लाभ तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक पुलिस प्रशासन में सुधार न किया जाये । हमें पता है कि पुलिस प्रशासन में सुधार किया जाना चाहिये । परन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा और वह यह है कि हमें पुलिस के प्रति हमेशा संदेह की भावना नहीं रखनी चाहिये । अब उनका दृष्टिकोण वैसा नहीं है जैसा विदेशी दमनकारी सरकार के समय होता था अब वह जनता की सरकार के कानून लागू करने वाले तंत्र का अंग है । इसलिये उनकी आलोचना उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिये । विश्वास की भावना और वातावरण में ही सुधार किये जा सकते हैं । नई भर्ती में शिक्षा के स्तर का ध्यान रखा जाता है और हम पुलिस की अर्हताओं के सुधार करने के लिये विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और उन्हें अधिक सुविधाएं देने के लिये बहुत उत्सुक हैं । वे जांच के और अपराधियों का पता लगाने के लिये आधुनिक तरीके अपना रहे हैं । फिर भी हम यथासम्भव पुलिस प्रशासन में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे ताकि प्रगतिशील उपायों के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वह पूरा हो सके ।

इस संहिता पर पहले विधि आयोग ने, फिर गृह मंत्रालय ने और तत्पश्चात् संयुक्त समिति ने विचार किया था। मुझे खेद है कि मैं देश में वर्तमान स्थिति के कारण उनके संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता परन्तु मैं उनके पीछे माननीय सदस्यों की भावनाओं की सराहना करता हूं। मुझे आशा है कि हमने जो सुधार किये उन्हें उचित ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के बारे में प्रस्ताव

Motion Re: Working of Food Corporation of India.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): I beg to move: "that this House do consider the working of Food Corporation of India".

The Food Corporation of India was set up on 1st January, 1965. It was stated in that legislation that the Corporation will procure foodgrains, store it and make arrangement for its movement and distribution. Besides the corporation will encourage the farmers to increase the production. The purpose of this corporation was to benefit both producer as well as consumer'. If the production is more the farmer should not suffer. The corporation should purchase the foodgrains and store them and arrange its distribution to the consumer at reasonable price. But the corporation was given extraordinary responsibilities. The decision of taking over wholesale trade was not correct and the corporation failed to implement the same. Today the corporation has become a den of corruption and inefficiency. Both the producer as well as consumers have been cheated. Even the Minister himself said that 'corruption in the Food Corporation of India knows no bounds".

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैंने भारतीय खाद्य निगम में कदाचारों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य अवश्य दिया था परन्तु जो शब्द समाचार पत्रों में छपे हैं और माननीय सदस्य ने उद्धृत किये हैं वे मेरे नहीं हैं। मैंने मेडिकल बिलों के मामलों का उल्लेख किया था उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बनाया गया और खाद्य निगम से अधिक धनराशि वसूल की गई। मैंने यह भी कहा था कि कुछ क्षेत्रों में कर्मचारियों ने घूस भी ली है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The Hon'ble Minister has confirmed that the workers have been accepting illegal gratifications. When the trucks carrying imported foodgrains cross the areas of Bombay Port, Rs. 35 per truck are paid as bribe. It has been stated that the amount of medical bills is on the high side. The medical bill in respect of Calcutta Unit has been increased from Rs. 22 lakhs to Rs. 82 lakhs. The hon'ble Minister has also stated that the matter has

been referred to C.B.I. and Income Tax Department is also examining it. I would request the hon'ble Minister to let us know the charges levelled against the farmer chairman of the corporation. It is understood that C.B.I. is investigating the matter, if so when the C.B.I. Report is expected.

In some cases the Food Corporation employees had not given the price of Rs. 76 per quintal to the farmers on the plea that it was sub-standard. But afterwards same wheat was purchased from the traders at higher prices. I can quote the names of the places if they like.

We have received another complaint that handling charges of the Food Corporation are increasing. Will the hon'ble Minister throw some light on this matter. Another allegation is that the Corporation is increasing loss of crores of rupees every year, just to please the contractors. It is also a well known fact that on one hand warehouses of the Corporation remain empty but on the other hand they hire private godowns in order to benefit their owners and take the commission. There is large scale bungling in movement of foodgrains. The public undertaking committee has given figures which show a loss of Rs. 8·83 crores in 1969-70 and Rs. 8·40 crores in the year 1970-71. Now the position is that state governments have also setting up various Corporations/Agencies for procuring the foodgrains. I want to know whether it is being done with the consent of the Central Government and whether they thank that it will be economical to have Food Corporations at state level? It seems that the Central Government wants to get rid of this responsibility.

Many employees of Food Corporation of India are being retrenched but on the other hand the number of officers is being increased. It is strange thing. Recently 53 Deputy Managers, 10 Financial Advisers have been appointed and 80 Senior Assistant Managers have been promoted to the post of Deputy Manager. I would like to know whether the Corporation will be run just to provide the officers?

It has been stated that Rs. 43 lakhs will be saved through economy but no efforts are being made to recover an arrear of Rs. 291 crores which the states owe to the corporation. The Corporation had taken the amount from the banks and they are paying interest on the same. They have already paid a sum of Rs. 45 crores in the form of interest in 2½ years. I want to know whether state governments cannot be compelled to return the money?

The traders being middlemen are condemned but is it not a fact that corporation is no better a substitute and they are responsible for adultnration?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कुछ व्यापारियों ने हमारे कुछ अधिकारियों को खरीद लिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे मंत्रियों को भी खरीद सकते हैं ।

The problem will not be solved by entrusting the job to states and retrenchment of staff is also no solution. I would suggest that Food Corporation of India should be run on the lines of Life Insurance Corporation. Instead of one organisation for the whole country, there should be various units in different zones as in the case of Life Insurance Corporation. Strict action should be taken against the corrupt elements in the Food Corporation of India.

There will always be necessity of establishing an Agency which should safeguard the interests of both the farmer and the consumers, but government should not monopolise it. We should streamline the distribution system and take steps to wipe out corruption.

I want that the House should take serious note of the problem and the hon'ble Members should give some suggestion which may serve as guidelines for the Central Government.

Shri Amrit Nahata (Barmer) : There is one Public Undertaking Committee which has submitted a report on Food Corporation of India last year. It is understood that on Action Taken Report on the aforesaid Report is going to be submitted tomorrow. It would have been better had this discussion taken place after the submission of Action Taken Report. Anyhow that report is comprehensive one. They have studied all the aspects of Food Corporation and the deficiencies pointed out by Shri Vajpayee have also been mentioned in that Report. I think that most of the apprehensions will be over after the submission of Action Taken Report. The main point of Shri Vajpayee was that of corruption from top to bottom in the Food Corporation of India. He has quoted various instances. In my opinion private trader is the main source of this corruption. We should therefore think about the measures which should be taken by which the employees of the corporation are not influenced by them.

I would also like to point out that there may not be many employees and officers in the corporation who subscribe to the thinking of Shri Vajpayee *viz.* the necessity of an organisation which can ensure reasonable price for the producer and also ensure supply of the commodities to the consumers at a fair price and that such an organisation should be strengthened and made more effective. I would suggest that in future only such persons should be recruited who subscribe to the objectives for which the corporation was set up.

So far as the report of C.B.I. is concerned I think Shri Vajpayee should have congratulated our government that they have not spared even head of an organisation who was affiliated to our party and remained as a Minister. Anyhow one thing is clear that our government is not hesitant in taking action against any person irrespective of his rank, if complaints based on facts are received from any quarter.

On the other hand, the Food Corporation has to make arrangements for the distribution of foodgrains throughout the Country. They have to carry foodgrains from surplus states to the deficit States. The Food Corporation of India

has to build up a buffer stock, so that foodgrains could be released at the time of shortage to help the people rather than with a view to earn profit.

It has been alleged that the handling charges of the F.C.I. were more. This is quite true. The Food Corporation has to deliver the foodgrains to the remotest corner of the country. Since the Corporation has no profit motive, it can not compile with the private trader in this respect who has only one motive that is to earn as much profit as he can, by exploiting the situation. Even then the handling charges of F.C.I. come to Rs. 23, per quintal only.

It has been said that the responsibility, is being passed on to the State Governments. What is wrong in doing this? India is a very large country and it is very difficult for a single organisation to fulfil the difficult task of providing foodgrains to each and every part of the country. The State Governments should procure and distribute foodgrains in their respective States and the Food Corporation of India should make a buffer stock at the national level. I feel that this would make the supply of foodgrains regular and effective.

There is no doubt that last year when the situation was quite grave as a result of drought etc., the F.C.I. had done an excellent job by providing foodgrains to about eleven crores of people living in distant corners of the country.

I hope that the new chairman would be able to clean this organisation and would put it on a sound footing. The Food Corporation should be strengthened and streamlined. It is, also imperative for the effective functioning of F.C.I. that it should secure public co-operation at every stage so that gradually the whole trade in foodgrains could be taken over from private traders in the larger interest of our people. Government would have to take our whole trade in foodgrains so that the farmers could get equitable price of their produce and the people could not be exploited by the private traders.

***श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा पश्चिम) : भारतीय खाद्य निगम में चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के बारे में काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है। भारतीय खाद्य निगम में पश्चिम बंगाल म प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी औसतन 2662 रु० चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में लेता है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिये तत्सम्बन्धी औसत 79 रु० है।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण का अध्ययन करने से पता चलेगा कि कर्मचारियों की संख्या वहां प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के दरों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है, परन्तु निगम की आय वर्षाउवर्ष घटती जा रही है। 1972–73 के दौरान वेतन की 3.35 करोड़ रुपयों की धनराशि में से निगम ने 1.67 करोड़ रुपये समयोपरि भत्ते और चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिये दिये। मन्त्री महोदय बतायें कि क्या यह बात सही है ? चिकित्सा

---

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version of the English translation of the speech delivered in Bengali.

बिलों की राशि में हो रही तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मन्त्री महोदय को इस बात की जांच करनी चाहिये कि क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाना अधिक बांछनीय नहीं होगा ?

इन वर्षों के दौरान सरकार ने अतिरिक्त खाद्यान्नों की वसूली के लिये ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। यह अतिरिक्त खाद्यान्न मुनाफाखोरों, चोरबाजारियों और निहित स्वार्थों वाले तत्वों के हाथों में चला गया। इस प्रकार जब खाद्यान्नों का एक बड़ा भाग अवांछनीय तत्वों के हाथों में चला गया, तो सरकार ने एक ऐसी नई नीति अपनाई, जिसके फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो गई। सरकारी नीति का यह परिणाम हुआ कि ये स्वार्थी लोग पहले से भी अधिक लाभ कमाने लगे। आज भी सरकारी नीति के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का एक बड़ा भाग चोरबाजारियों के हाथों में चला जाता है और छोटा सा भाग उन क्षेत्रों में पहुंचता है जहां लोग अकालपीड़ित हैं या जहां लोग हाथों में हथियार लेकर विद्रोह के लिये खड़े हो गये या जहां अनाज के लिये दंगे भड़क उठे हैं।

अगर भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की पूरी पूरी जांच की जाये, तो उससे बड़े-बड़े अफसरों के चेहरे बेनकाब हो जायेंगे। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के एक संघ ने मुझे एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन से पता चलता है कि कर्मचारी स्वयं भ्रष्टाचार दूर करने के लिये सचेष्ट हैं। इससे पता चलेगा कि वे इस मामले में कितने सक्रिय हैं, ताकि वे स्वयं तथा उपभोक्ता दोनों ही लाभान्वित हो सकें।

एक ओर वरिष्ठ पदों को बढ़ाया जा रहा है और दूसरी ओर तदर्थ आधार पर नियक्तियां करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये नियुक्तियां स्थिति से निपटने के लिये नहीं की जाती, बल्कि इन नियुक्तियों द्वारा कांग्रेस पार्टी की प्रत्यक्ष रूप से सहायता की जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय हितों का बलिदान करके भी वे पार्टी हितों की रक्षा करते हैं। जांच किये जाने पर मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जायेगी।

लगभग दस वर्ष पहले भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिम बंगाल से लगभग 5000 व्यक्ति भर्ती किये थे। अभी तक उनके भविष्य के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश म कुछ हजार कर्मचारियों की छंटनी होने जा रही है। इसलिये यह आवश्यक है कि भारतीय खाद्य निगम के ढांचे में परिवर्तन किया जाये। भारतीय खाद्य निगम का पुनंगठन करते समय सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वह खाद्यान्नों के व्यापार के राष्ट्रीकरण के बारे में किस प्रकार की नीति का अनुसरण करेगी।

कुछ राज्यों ने अपने स्वंय के साथ निगम स्थापित करने की मांग की है। यह गलत विचार नहीं है। राज्यों के ऐसे संगठनों के माध्यम से स्थानीय सहयोग और केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके वसूली के कार्य में प्रयाप्त सुधार किया जा सकता है।

जो कर्मचारी खाद्य निगम की स्थापना होने के समय से उसमें काम कर रहे हैं और जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, निगम के प्रबन्ध और कार्यकरण के मामले में उनसे परामर्श लिया जाना चाहिए। वस्तुतः यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्मचारियों पर श्रम कानून भी लागू नही किये गये हैं और जहां तक उनकी पदोन्नती और उन्हें स्थायी बनाने का सम्बन्ध है वे पूर्णतया स्थायी

प्रशासन की दया पर आश्रित है। इन मामलों के बारे में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिए और उनकी सेवा के बारे में उनके मन में विश्वास की भावना पैदा करनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो खाद्यान्नों की अधिक वसूली हो सकेगी।

खाद्यान्नों के इधर उधर पहुंचाने और खाद्यान्न भण्डार के कार्य म भारतीय खाद्य निगम को 83 करोड़ रूपये की हानि हुई है। यह बहुत बड़ी धन राशि है। माल उतारने और चढ़ाने के स्थानों से खाद्यान्न के बोरे गायब हो जातें हैं, इसे रोकने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। माल लाने ले जाने के दौरान बिक्री को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नही है। भण्डारों में रख रखाव की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण प्रति वर्ष हजारों मन चावल और धान नष्ट हो जाता है।

भारतीय खाद्य निगम रेलवे अधिकारीयों और आई० जी० पुलिस के बीच कोई तालमेल नहीं है। इस विभाजित जिम्मेवारी के कारण भ्रष्टाचार निरन्तर पनप रहा है। ऐसे कई उदाहरण है जहां भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न को नष्ट होने से इसलिए नहीं बचाया कि खाद्यान्न लोक निर्माण विभाग के गोदाम में रखा है और उसको ही खाद्यान्नों की देखभाल करनी चाहिए। इस प्रकार की उपेक्षा करने और गोदामों का ठीक रखरखाव न करने के कारण हजारों मन खाद्यान्न बरबाद हो जाता है।

इस समय कर्मचारी भ्रष्टाचार की शिकायतों को सरकार के ध्यान में लाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि अस्थायी होने के कारण उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोने का सदा ही खतरा बना रहता है। सरकार को कर्मचारियों के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारना चाहिए।

भारतीय खाद्य निगम में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और विभिन्न कदाचारों की जांच करने के लिए संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मैं भारतीय खाद्य निगम को निर्दोष नहीं मानता परन्तु यदि हम इसके अच्छे कार्य को भी महत्व न दें और इसकी त्रुटियों और कमियों का ही जिक्र करते रहें तो इससे देश का भला नहीं होगा। इससे जनता के मन में यह धारण बनेगी कि सरकारी उपक्रम लाभप्रद तरीके से काम नहीं कर सकते और केवल प्राईवेट व्यापारी ही बेहतर ढंग से कार्य कर सकतें हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम ने गत वर्ष देश में गम्भीर खाद्य संकट के समय बहुत सराहनीय कार्य किया था। भारतीय खाद्य निगम के वृहद भण्डारों के कारण ही देश में भूख से कोई मृत्यु नहीं हुई।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में बहुत गम्भीर सूखा पड़ा था तो भारतीय खाद्य निगम के वृहद भण्डारों से ही आवश्यकताओं की पूर्ति की गई थी। जब आन्ध्र प्रदेश में आन्दोलन चल रहा था तो केरल का देश के अन्य भागों से सम्बन्ध टूट गया था उस समय भारतीय खाद्य निगम ने ही केरल को समुद्री मार्ग से आवश्यक खाद्यान्न की सप्लाई की थी।

यह सही है कि भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मन्त्री महोदय ने भी इसे स्वीकार किया है। भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भूतपूर्व अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह के विरूद्ध जांच करनी पड़ी। इससे देश में यह धारणा बनेगी कि कोई भी व्यक्ति वह चाहें कितना ही बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो सरकार उसकी गलतियों को माफ नहीं करेगी।

श्री सेझियान पीठासीन हुए

Shri Sezhiyan in the Chair.

भारतीय खाद्य निगम की एक कठिनाई उसका प्रशासनिक व्यय है। इसके अतिरिक्त व्यय में कमी की जानी चाहिए। अगर निगम में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं तो उनकी छंटनी की जानी चाहिए। मैं सरकार से साथ ही साथ यह अपील करना चाहूंगा कि वह इस प्रश्न पर दया भावना के साथ विचार करे और छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों को यथासम्भव वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करने का प्रयास करे।

भारतीय खाद्य निगम में जहां वर्ष 1966 में 3 660 रु० के माल की चोरी की गई थी वहां 1967, 1969 और 1970 में चोरी गये माल की कीमत क्रमश: 26,131 रु० 4,92,637 रु० और 5,04,739 रु० हो गई। चोरी की बहुत सी घटनायें तो भारतीय खाद्य निगम के ध्यान में ही नहीं आ पातीं। सरकार को इस प्रकार की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयास करना चाहिए और इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस समय भारतीय खाद्य निगम में 20 रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड मजदूर संघ हैं। इतने अधिक मजदूर संघों के होते हुए अनुशासन बनाये रखना वस्तुत: एक समस्या ही हैं। सभी मजदूर संगठन कर्मचारियों की प्रभाति करने में लगे रहते हैं। मजदूर संगठन के नेता चाहते हैं कि सरकार गेहूं और चावल के व्यापार का सरकार द्वारा अधिग्रहण सफलता प्राप्त करे। मजदूर संगठनों के नेताओं से मैं यह अपील करना चाहता हूं कि वे मजदूर संगठनों की संख्या में कमी करने के लिए प्रयास करें और कर्मचारियों में सौहार्द का वातावरण बनायें।

आसाम सरकार द्वारा चावल के व्यापार के सरकारीकरण की सराहना की जानी चाहिए। यह पहला राज्य है जिसने चावल के व्यापार का सरकारीकरण किया है। अन्य वस्तुओं के व्यापार के सरकारीकरण सम्बन्धी सरकार की भावीनीति अधिकांशत: चावल के व्यापार के सरकारी-करण की सफलता पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम ने पर्याप्त सहयोग दिया है यद्यिप उनके और अधिक सहयोग की आवश्यकता है।

भारतीय खाद्य निगम की प्रशासनिक व्यवस्था को आसाम और उसके पड़ोसी राज्यों में सुदृढ किया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम या जोनल कार्यालय आसाम में तुरन्त खोला जाना चाहिए। श्री शिन्दे ने सैद्धान्तिक रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया था

परन्तु पता नहीं इसे क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया ? शायद कृषि मन्त्री इस वजह से हिचकिचाहट दिखा रहें हैं कि आसाम के प्रति पक्षपात करने का आक्षेप न लगाया जाये । परन्तु श्री शिन्दे को निष्पक्ष होने के कारण न्याय करना चाहिए ।

मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय खाद्य निगम देश हित में अधिक सक्रिया कार्य करेगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : भारतीय खाद्य निगम की व्यवस्था अब सुदृड़ हो गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि कुछ एक लोग इस निगम के साथ धोखाधड़ी न करें । श्री इकबाल सिंह जब इसके चेयरमैन थे उस समय के घृणित धोखाधड़ी के कार्यों का सम्पूर्ण मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पहले ही कुछ आरोप सिद्ध कर दिए हैं । मंत्री महोदय हमें यह बतायें कि क्या भारतीय खाद्य निगम सम्बन्धित व्यक्ति पर मुकदमा चलायेगी ? हमें यह भी बताया जाना चाहिए कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिर्पोट की एक प्रति सभापटल पर रखी जायेगी । छंटनी किए जाने के प्रश्न का उल्लेख किया गया है केवल उत्तर प्रदेश में ही छंटनी के कुल 945 मामलों में से 834 व्यक्तियों की छंटनी की जा रही है । सरकार को इन अभागे कर्मचारियों को भुखमरी के शिकार बनाकर ऐसे समय में सड़कों पर नहीं फैंकना चाहिए जबकि रोजगार प्राप्त व्यक्यिों को भी अपनी आजीवीका चलाना कठिन हो रहा है । इन कर्मचारियों के अगामी बजट सत्र तक नौकरियों पर रखा जाये ताकि बजट की राशि बढ़ाई जा सके । मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिए कि इन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिया जायेगा ।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की जांच करने हेतु एक संसदीय समिति का गठन करने का सुझाव दिया गया है । यदि संसदीय दल प्रशासन का सुधार करने में सहायक हो सकता है तो इसका गठन किया जाना चाहिए । भारतीय खाद्य निगम को बने हुए कुछ घाटे की जांच करने के लिये यह विशेष समिति नियुक्त की जाये तो बेहतर होगा ।

31 अगस्त 1973 तक राज्यों ने 291 करोड़ रूपयों की निधियां रोक रखी थीं । मैं नहीं समझता कि कोई राज्य भारतीय खाद्य निगम को इस बात का भुगतान करेगा हमें भारतीय खाद्य को पूर्णत : वाणिज्यिक आधार पर चलाना है और यह सुनिश्चित करना है कि इसमें लाभ हो । यदि भारतीय खाद्य निगम में लाभ नहीं होता है तो इसमें घाटा भी नहीं होना चाहिये ।

श्री वयालार रवि (चिरिंचिकलि) : मेरे माननीय मित्र श्री एस० एम० बनर्जी ने जो कछ कहा मैं उससे सहमत हूं । खाद्य निगम की अलोचना उदेश्य पूर्ण होकर व्यक्तिगत है तथा यह किसी अन्य उद्देशय और ध्येय से किया गया है भारतीय खाद्य निगम में श्रमिक सम्बन्ध दिन प्रति दिन बिगड़तें जा रहें है । जहां कहीं भी प्रबन्ध निर्देशक और अध्यक्ष में झगड़ा होता है वे इसके लिए कर्मचारियों का उपयोग करतें हैं । वे संघ में छोटे छोटे गुटों को बढ़ावा देते है (**व्यवधान**) मैं इस बात को वहां के वर्तमान अध्यक्ष की सूचना के लिये कह रह हूं । (**व्यवधान**) समझा जाता है कि कर्मचारियों की छंटनी करने से सब कुछ सुव्यवस्थित हो जायेगा । लगभग 945 व्यक्ति फालतू घोषित कर दिये

गयें हैं। परन्तु श्रेणी पदों की संख्या 500 से बड़कर 679 हो गई है। निगम में पक्षपात और भाई भतिजावाद और गुटबाजी का बोल बाला है। यह कहा गया है कि एक करोड़ के मैडिकल बिल अनौचित्य है। परन्तु इस तथ्य की उपेक्षा की गई है। कि यह गड़बड़ी 7000 स्थानापन्नन लोगों ने की है। उनके हित परस्पर विरोधी हैं। इस समय भारतीय खाद्य निगम में 28,000 सीधे भरती किये गये 12,000 खाद्य विभागों से स्थानान्तरित किए गये तथा 7000 स्थानापन्नन कर्मचारी हैं और यही 7000 कर्मचारी गड़बड़ी कर रहे हैं। वे भारतीय खाद्य निगम के प्रति सत्यनिष्ट नहीं हैं। मैडिकल बिलों की राशि बढाने के लिए वे ही लोग ज़िम्मेदार हैं। भारतीय खाद्य निगम के लोग नहीं। खाद्य विभागों में स्थानान्तरित किए गये 12,000 व्यक्ति तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में मतभेद होना स्वभाविक है। उन्हें कर्मचारियों से चर्चा करनी चाहिये और उनकी समस्याओं का पता लगाना चाहिये। विभिन्न श्रेणियों को समाप्त किया जाना चाहिए।

वसूली और आकस्मिक व्यय पर भारतीय खाद्य निगम ने 7.72 रुपये खंच किए हैं जबकि हरियाणा सरकार ने इस पर 11.60 रुपये खंच किये। वेतन पर 1971–72 में 23 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इस वर्ष यह राशि बढ़कर 39 करोड़ रुपये हो जायेगी। भारतीय खाद्य निगम बैंकों तथा अन्य वित्तिय संस्थाओं से लिए गये ऋणों पर ब्याज देता है। 291 करोड़ रुपया सहकारी समितियों और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के पास रुका पड़ा है। उस पर निगम को कोई ब्याज नहीं मिल रहा है जबकि उन्हें ऋण पर 42 करोड़ का ब्याज देना पड़ता है। इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जाना चाहिए तथा मंत्री महोदय निगम की आर्थिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करें।

(श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए)

Shri S.A. Kadar in the Chair

निगम का वार्षिक प्रशासनिक व्यय 5 करोड़ रुपये है। यह बहुत अधिक है इसे कम किया जाना चाहिए। हानि को भी कम किया जाना चाहिए सरकार प्रति क्विन्टल 22 रुपये राज सहायता देती है। इसकी जांच होनीं चाहिए।

निगम ने मशीनों पर भी अत्याधिक रुपया खर्च किया है 20 करोड़ रुपयों की विभिन्न प्रकार की मशीने बेकार पड़ी हैं मशीनें उन स्थानों पर लगाई गई हैं जहां बिजली भी नहीं है। पश्चिम गोदावरी जिले में मिल मालिक को 750 लाख रुपये क्षति के रूप में दिये गये। यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने निजी धन विक्रेताओं को पिछले वर्ष की तुलना में दुगने मूल्यों पर बिना टेन्डर मांगे ठेका किस प्रकार दे दिया? इससे भारतीय खाद्य निगम के 3 करोड़ रुपयों की हानि हुई। इस बात की जांच भी की जाये कि यह किस प्रकार हुआ।

मंत्री महोदय को उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों में छटंनी किये गये कर्मचारियों को शीघ्र अति शीघ्र वापिस ले लेना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम के पूरे कार्यकरण को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम का यह कर्तव्य है कि वह गरीब लोगों तथा वेतन भोगी लोगों को सस्ती दर पर खाद्यन्न सप्लाई करे।

श्री समर गुह (कंटाई) : भारतीय खाद्य निगम पर चर्चा हेतु चार घंटे रखे गये थे लेकिन सरकार इस चर्चा को आज ही समाप्त करना चाहती है। देश में अन्न की स्थिति चिन्ताजनक है। इसलिये चर्चा आज ही समाप्त नहीं की जा नी चाहिये। यह अगले दिन भी जारी रहनी चाहिये।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : चर्चा को अगले दिन जारी रखने में मुझे कोई आपत्ति नही यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हों।

सभापति महोदय : क्या सदन की भी यही इच्छा है कि चर्चा को अगले दिन भी जारी रखी जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : मेरे पास बहुत से नाम है। अब मैं श्री कृष्णन् को बुलाता हूं।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : भारतीय खाद्य निगम 1965 से, जबकि वह बना था आज तक किसी भी वर्ष खाद्यान्नों की वसूली का अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका है। वसूली के लक्ष्य और वास्तविक वसूली में 12 से 20 प्रतिशत की कमी रही है। इससे निगम की कार्य कुशलता का पता चलता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गैर-सरकारी एजेन्सियों की मार्फत 70 प्रतिशत वसूली कराना भ्रष्टाचार और कदाचार का स्पष्ट उदाहरण है।

मैं अपना तर्क सिद्ध करने हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा बंगाला देश की आवश्यकता पूरी करने में सरसों के तेल और दालों की वसूली के सम्बन्ध में किये गये कदाचार का उदाहरण दूंगा। मैं समझता हूं कि भारतीय खाद्य निगम के भूतपूर्व चैयरमैन जो केन्द्रीय सरकार के उप मंत्री भी थे ने दो कपड़ों के व्यापारियों के साथ मिलकर सरसों के तेल की सप्लाई में 5 लाख रुपये का गोलमाल किया।

कृषि मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : इस मामले में चार्ज-शीट दी हुई है अतः माननीय सदस्य इस मामले का उल्लेख न करके परिणाम की प्रतीक्षा करें।

श्री ई० आर० कृष्णन : पिछली बार इस सभा में जब भारतीय खाद्य निगम के बारे में वाद-विवाद हुआ था तब उसके उत्तर में श्री फखरुद्दीन अली अहमद और श्री शिन्दे ने कहा था कि भूतपूव चैयरमैन के आलोचकों के आरोप का कोई आधार नहीं है परन्तु अब जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भूतपूर्व चैयरमैन के विरुद्ध जांच की है तो इस मामले पर मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं ?

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी में रूपान्तर

*Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Tamil

हमारे देश में 3406 मंडियां हैं जिनमें से 1261 मंडियां अनियमित हैं । इन 1261 अनियमित मंडियों के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया अत्याधिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये ही है। देश में केवल नियमित मंडिया रखने के मामले में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

यह बात स्वीकार की गई है कि भारतीय खाद्य निगम की भंडार क्षमता पर्याप्त नहीं है । जिसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को गैर-सरकारी भंडारण सुविधा पर काफी हद तक निर्भर करना पड़ता है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इससे भी अनुचित प्रक्रियायें उत्पन्न होती हैं । 1966–67 से 1970-71 की अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र के गोदामों में लगभग 21.96 करोड़ रुपये के खाद्यान्न की कुल हानि हुई । मंत्री महोदय यह बतायें कि खाद्यान्न की इतनी अधिक हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

इसके अतिरिक्त, निगम के गोदामों में चोरियां भी बढ़ रही हैं। कुल हानि लगभग 40 लाख रुपये की होती है । इस बारे में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में मंत्री महोदय हमें बतायें ।

जब भारतीय खाद्य निगम का कार्य इतना असंतोषजनक है तो सरकार राज्य सरकारों द्वारा राज्यों में खाद्य निगमों की स्थापना के लिये प्रोत्साहन क्यों नहीं दे रही है ? इसका केवल एक उपाय सोचा गया है कि निम्न वेतन पाने वाले सैंकड़ों कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाये । वर्ष 1970–71 में भारतीय खाद्य निगम ने लगभग 31.86 लाख टन खाद्यान्न वसूल किया और मार्ग में 57,790 टन की खाद्यान्न की कुल हानि हुई । यदि भारतीय खाद्य निगम ऐसी हानि की रोकथाम के लिये कार्यवाही करता तो सैकड़ों की तादाद में निम्न वेतन पाले वाले कर्मचारियों की छंटनी करने की आवश्यकता न होती ।

यह विचित्र बात है कि भारतीय खाद्य निगम उसे सौंपे गये कार्यों की कुशलता पूर्वक नहीं कर रहा हैं और वह यह इच्छा व्यक्त करता है कि राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा वितरण कार्य भी अपने हाथ में ले । निगम को पहले अपने कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

1–1–1970 को देश में 67,100 चावल की मिलें थीं जिनमें से केवल 665 मिलें सहकारी क्षेत्र में थीं । शेष सभी चावल की मिलें गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। जब कभी राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में चावल मिल स्थापित करने के लिये आगे आये तो भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय सरकार को वित्तीय सहायता देने में हिचकिचाना नहीं चाहिये ।

भारतीय खाद्य निगम को सीधे किसानों तथा सहकारी संस्थाओं से खाद्यान्न वसूल करना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में, विशेषकर धान का उत्पादन करने वाले राज्यों में, चावल-मिलों के राष्ट्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): The F.C.I. was set up with the objectives of bringing about stability in the prices. Preventing the arbitrary activities of the traders and co-ordinating the demand and supply. But as soon as the business of the F.C.I. progress the resent ment among the people also increased.

When a small trader indulges in adulteration, we demand that he should be penalised. but when any employee of a Government agency resorts to the same malpractice, I think, he should be doubly penalised.

So far as the indiscipline is concenred, it has happened in many states that the trucks have not been loaded.

I have come across the news item in which it is stated that :—

"To streamline its operations in Delhi, the Food Corporation of India has set up advisory Committees at all its food storage and supply depots".

Why this arrangement has been made only for Delhi ? Why this streamlining of operations of the F.C.I. is not being done in other parts of the country.

On the 10th of this month, I asked a question regarding the corruption in the F.CI. and it was stated in reply to that question that the information was being collected.

We give notice for any question fifteen or twenty days prior to the date of its reply. Even in this period the Ministry cannot collect information.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : हमें सभा को आंकड़े देने पड़ते हैं नहीं तो माननीय सदस्य इस पर सभा को गुमराह करने का आरोप लगाते हैं।

भारतीय खाद्य निगम की शाखाएं समूचे देश में फैली हुई हैं। हमें उन सभी शाखाओं से जानकारी एकत्रित करनी होती है। उसमें समय लगता है। हमारे पास जो भी जानकारी उपलब्ध होती है उसे सभा को देने का हमारा प्रयास रहता है।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : क्या मंत्री महोदय हमें आश्वासन दे सकते हैं कि वह कितने समय बाद जानकारी सभा-पटल पर रखेंगे ?

(श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व।

Shri Shankar Dyal Singh : I did not mean to level any sort of charge on the hon. Minister I simply cited an example.

I with the ojectives of the F.C.I. are achieved the F.C.I. should provide relief to the public which is distressed due to price-hike.

सभापति महोदय : 5 बजकर 30 मिनट हो गए हैं यह वाद-विवाद स्थगित किया जाता है।

माननीय सदस्य अपना भाषण, जब इस बारे में चर्चा हो, तो जारी रख सकते हैं।

---

*शेयर के मूल्यों में वृद्धि

Rise in Share Prices

श्री **ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : भारत में शेयरों के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक के परिवर्तनशील लाभांश के सूचकांक के अनुसार 1961–62 को आधार वर्ष (100) मानकर लगभग 26.7 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई है । यह वृद्धि वस्तुओं के अत्यधिक मूल्यों और गैरसरकारी क्षेत्र के सामान्य प्रोत्साहन कार्यकरण के कारण हुई है।

यदि इन कम्पनियों की परिस्थितियों की वृद्धि पर ध्यान दिया जाये तो यह और भी अधिक आशचर्य की बात होगी क्योंकि उनसे वर्तमान सरकार के एकाधिकार समर्थक होने का पता चलेगा।

संवत् 2029 को शेयर बाजार का श्रेष्ठ वर्ष माना गया है क्योंकि इस वर्ष में इक्विटी में 38 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। गत वर्ष यह केवल 5 प्रतिशत थी और उससे पहले वाले वर्ष में 13 प्रतिशत की गिरावट आई थी ।

सूती कपड़े में सहसा वृद्धि हुई है और यह वृद्धि 100 प्रतिशत से भी अधिक है। इसी प्रकार शेयर बाजार में अन्य प्रकार की मदों में भी वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि पून्जीपतियों ने इस वर्तमान-एकाधिकार-समर्थक सरकार के सहयोग और सहायता से अपनी स्वार्थ-सिद्धि की है।

जब मूल्य बढ़ रहे हैं और वस्तुओं की कमी हो रही है तो उनके दबाव से उपभोक्ता कराह रहे हैं, परन्तू औद्योगिक मुनाफे और लाभांश बहुत बढ गये हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 100 से अधिक कम्पनियों ने 1972–73 के लिये कर लगाये जाने से पहले ही एक करोड़ रुपये से अधिक मुनाफा कमा लिया है और कई मामलों में तो यह मुनाफा चार करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। विदेशी सहयोग, इक्विटी प्रबन्ध और नियंत्रण वाले एकक इस सूची में सबसे आगे हैं।

भारतीय कम्पनियों में सैंच्युरी मिलस, नैशनल मेयन जैसी कम्पनियों ने भारी मुनाफा कमाया है। आम आदमी और छोटे अंशधारियों को कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि भारतीय रुपये का मुद्रास्फीती के कारण मूल्य कम हो गया है।

पटसन के मामले में भी निकृष्टतम घोटाला हुआ है। पटसन का (आधार वर्ष 1959–60-100) 8 दिसम्बर, 1972 को थोक मूल्य 236.1 था। इस वर्ष 8 नवम्बर, 1973 को यह कम होकर 190.4 हो गया है। एक महीने बाद अर्थात्, 8 दिसम्बर को यह और कम होकर 184.2 हो गया। पटसन-उत्पादकों के साथ बिचौलियों और पटसन मिल-मालिकों द्वारा लगभग 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। पटसन निगम पर हमारा लाखों रुपया व्यय होता है। यह एक दिखाने की वस्तु मात्र है। कच्चे पटसन की खरीद को वह आसानी से अपने हाथ में ले सकते थे ताकि उत्पादकों का हित हो परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

---

* आधे घंटे की चर्चा।

*Half an hour discussion.

इंडियन जूट मिल एसोसिएशन, ऐसे मालिकों की एक संस्था है जो खून चूसते हैं । उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी गई है और वे सत्तारूढ़ दल को दान आदि देते हैं ।

Shri Shankar Dayal Singh : Sir I rise on a point of order. The Hon' Member should conrine himself to the subject under discussion.

सभापति महोदय : जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है वह व्यवधान डालने के लिये नहीं है । मैं श्री ज्योतिर्मय बसु से अनुरोध करता हूं कि वह वाद-विवाद वाले विषय पर ही वोलें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पटसन तथा पटसन-उत्पादकों को विदेशी मंडियों में अधिक आकर्षक बनाने और वहां इसकी बिक्री बढ़ाने के बहाने से वित्त मंत्रालय ने इस पर निर्यात शुल्क काफी कम कर दिया है। हैसीयन पर निर्यात शुल्क में 400 रुपये प्रति टन की कमी और "सैक्किंग" पर निर्यात-शुल्क समाप्त करने से सरकार को 32 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा है ।

भारत से निर्यात की गई पटसन से बनी वस्तुओं के मूल्य विदेशी मंडियों में काफी बढ़ा गये हैं निर्यात करने वाले व्यक्ति पर सरकार दबाव डाल कर निर्यात शुल्क में कमी करा पायें हैं और उन्हों विदेशियों से लाभ उठाया है । परन्तु यह लाभ पटसन-उत्पादकों और श्रमिकों को नहीं मिला है यह लाभ उद्योगपतियों और सत्तारुढ दल ने आपस में बांट लिया है ।

चीनी के बारे में भी स्थिति काफी रोचक है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के चीनी कम्पनियों के तुलनात्मक लाभ इस प्रकार हैं । कर लगाने के पश्चात् प्रतिशतता इस प्रकार है : उत्तर प्रदेश 1971–72 में 4.8 प्रतिशत और 1972–73 में 19.3; बिहार-1971–72 में 0.6 से बढ़कर 1972–73 में 19.7 ; दक्षिण भारत–1971–72 में 15.2 से बढ़कर 1972–73 में 25.6 ।

औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी जांच समिति ने इम्पीरीयल कैमिकल इन्डस्ट्रीज के अप्राधिकृत विस्तार का पता लगया है । यह कम्पनी काला वाजारी में भी लिप्त है। मैंनें एक फोटो–प्रतिलिपी प्रस्तुत की जिसका सरकार अभी तक खंडन नहीं कर सकी है।

इन्डियन एक्साप्लोसिवज लिमिटेड भारी लाभ कमा रही है । 1972 में उनका लाभ 7,40,13,644 रुपया था 1971 में यह राशि 2,48,60,786 थी । 1971 में कर लगाने के पश्चात लाभ की राशि 2,45,19,806 थी और 1972 में यह 7,38,38,907 हो गई। क्योंकि इन लोगों की सतारूढ़ दल से सांठ गांठ है अतः ये गरीब लोगों से अनुचित ढ़ंग से लाभ कमा रहे हैं ।

क्रमानुसार नाईलन का व्यापार करने वाली 22 फर्मों के बारे में एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रतियों की जांच के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकला है कि वे बहुत लाभ कमा रही हैं क्योंकि इन्होंने मूल्य बहुत अधिक रखे हुए हैं । एक विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं को नाईलन धागे केवल पहली चार फर्मों से खरीदने पड़ते हैं। आयोग के ज्ञापन में चार फर्मों के नाम इस प्रकार है । जे० के० सिन्थोटिक्स कानपुर, गारवाडे नाइलन लिमिटेड, बम्बई, निलरोन सिन्थोटिक फाइबंस एण्ड कैमिकलस लिमिटेड, बम्बई और मोदीपोन लिमिटेड, मोदीनगर ।

इन फर्मों को कच्चामाल जिस मूल्य पर मिलता है उसका बाजार मूल्य उससे लगभग दुगना है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्होंने इन फर्मों से रुपया लिया है।

शावालेस कम्पनी ने 1972 में 235.35 लाख रुपया लाभ के रूप में कमाया। अध्यक्ष के अनुसार यह लाभ किसी ग्रुप के इतिहास में एक रिकार्ड है जो गत वर्ष के 43.3 प्रतिशत लाभ से भी 33.8 प्रतिशत अधिक है। हिन्दुस्तान लीवर्स का डालडा, साबुन, शिशु आहार, मुर्गियों के चारे आदि के उत्पादन पर एकाधिकार है। 1962 में कराधान से पूर्व इनका लाभ 481 लाख था, 1971 में यह 759 लाख हो गया। लाभांश 1962 में 99 लाख था, 1971 में 217 लाख हो गया। ब्रुक बांड कम्पनी ने 1971-72 म 151 लाख रु० की राशि स्वदेश भेजी : इस सम्बन्ध में भी सरकार नां कोई कदम नहीं उठाया है।

आस्तियों की स्थिति को देखिये। 1964 में टाटा बन्धुओं की आस्तियों 418 करोड़ की थी, मार्च 1971 में ये 771 करोड़ की हो गयी। विड़ला की अस्तियां मार्च 1964 में 293 करोड़ रु० से बढ़कर मार्च 1971 में 687 करोड़ हो गयी। आई० सी० आई० ने मार्च 1964 की 37 उन करोड़ रु० की अस्तियां को 1971 में 229 करोड़ रू० पर पहुंचा दिया है।

परन्तु कर्मचारियों की आय वृद्धि की दर क्या है। 1961 को आधा खर्च मानते हुए 1962 में निर्माण उद्योगों में कर्मचारियों की वास्तविक आय सूचांक के अनुसार 103 थी, 1969 में 101 और 1971 में 99 रह गई।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : आधे घण्टे की चर्चा में श्री बसु ने ही एक घन्टे का समय ले लिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कर्मचारियों की आय कम होती जा रही है और कम्पनियों की आस्तिय बढ़ती जा रही है। गरीबी हटाओ के इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री भली भांती अवगत है।

कालमेट पालमोलिव (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के प्रबन्ध निर्देशक को 1971 में 3 79,214 रुपया वार्षिक मिलता था। 1972 में यह राशि बढ़कर 3,89,131 हो गई। जिसका तात्पर्य होता है एक व्यक्ति प्रतिमास आय 30,000।

नियमित क्षेत्र में कराधन कम हो गया है। यह कैसी बजट व्यवस्था है? इससे एकाधिकार तथा मुनाफाखोरों को प्रोत्साहन मिलता है।

लन्दन के न्यूस्टेटसमैन में प्रकाशित हुआ है कि भारत एक विस्तृत कालाबाजार बन गया है। सरकार का इस बारे में क्या विचार है।

सभापति महोदय : श्री **बी० वी०** नायक। केवल प्रश्न पूछिये।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मंत्री महोदय को उत्तर देते समय कराधन पूर्व तथा कराधान पश्चात के लाभ के बारे में दिये गये आंकड़ों के सम्बन्ध में यह बताना चाहिये कि इन आंकड़ों के आधार पर करों में कितनी छूट दी गई अतिरिक्त करों के रूप में राजकोष में कितनी राशि जमा हुई और उससे राजस्व में कितनी वृद्धि हुई?

***श्री ई० आर० कृष्णन :** (सलेम) मैं यह जानना चाहतां हूं कि 1-1-73 से 1-10-73 तक आई० डी० बी० आई० एल० आई० सी०, आई० सी० आई० सी०, यू० टी० आई० द्वारा कितने मूल्य के इक्विल्टी शेयर खरीदे गये और इस अवधि के दौरान मूल्य के इक्विल्टी शेयर जारी किये गये। मैं मंत्री महोदय से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हू।

Shri Madhu Limaya (Badka) : The Hon. Minister has notg iven factual reasons for the increase in shares since 31 December, 1972 to 27 October, 1973. Had he given factual reasons there was no need for further discussion in the matter.

सभापति महोदय : आप केवल प्रश्न पूछिये।

Shri Madhu Limaya : "May I known whether the Government have allowed certain concerns to issue bonus shares on a large scale during last-few months? May I know whether issuing of bonus shares does not imply increase in dividends and profits? I want to know the steps the Government are going to take to check the unusual increase in profits and shares speeculation. The hon. minister should have given this information in reply to the question.

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : श्री बसु ने जो बातें उठाग्री हैं यदि उन सभी का उत्तर दिया जाये तो चर्चा बहुत विस्तृत हो जायेगी। अतः मैं कुछ मुख्य बातों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यह सच है कि वर्ष 1973 में शेयरों के मूल्यों में वृद्धि है हुई है। तीन चार वर्ष तक मूल्य स्थिर रहे इसके पश्चात मूल्य वृद्धि हुई है। इन तथ्यों के बारे में कोई विवाद नहीं है। इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं ?

सुस्थापित कम्पनियों के शेयर कम बेचे गये। इससे अच्छी कम्पनियों के शेयरों की मांग बढ़ी और क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध थे अतः मूल्यों में काफी वृद्धि हुई।

दूसरे गत एक या डेढ़ वर्ष में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण धन धनीवर्ग के पास गया। इसलिये उनकी शेयरों की मांग बढ़ी। कुछ विनिमयों और अनिश्चितता के कारण और सम्पति की अधिकतम सीमा निश्चित किये जाने के भय के परिणाम स्वरूप पूजींनिवेश की राशि से शेयर खरीदे गये। वित्तीय संस्थानों ने महत्वपूर्ण शेयरों को सहायता दी है। इससे उन शेयरों की स्थिति मजबूत हुई है। बढ़े नोटों के विमुद्रीकरण के भय से भी शेयरों की अत्याधिक मांग बढी। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके परिणाम स्वरूप शेयरों के मूल्य में वृद्धि हुई। इस से यह निष्कर्ष निकालना कि इस प्रवृति से कुछ एकाधिकार को ही लाभ हुआ है, गलत है।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर

*Summarised Hindi version of english translation of the speech delivered in Tamil,

वर्ष 1967–68 में रिर्जव बैंक ने जो सर्वेक्षण कराया है उससे पता चलता है कि 189 कम्पनियों की 423 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी में कई लाख शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डींग को और विस्तृत बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

सरकार की यह घोषित नीति है कि नियमित क्षेत्रों में शेयर अधिक लोगों के हों। इस क्षेत्र में जनसाधारण द्वारा धन लगाया जाता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि शेयर पूंजी में छोटे और मध्यम लोगों का अधिक धन लगा है और इसमें अधिक लोगों ने भाग लिया है।

इसके अतिरिक्त इन कम्पनियों में वित्तीय संस्थानों ने सारी पूंजीनिवेश किया है। जहां तक मध्यावधि तथा दीर्घावधि सहायता देने का प्रश्न है, वित्तीय संस्थानों के पास परिसम्पतियां है जिन्हें....

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह किस प्रकार सम्बद्ध है हमारा तात्पर्य देशी विदेशी फ़र्मों के अत्यधिक लाभ पर सरकार के नियंत्रण से है। हम यह बात जानना चाहतें है कि सरकार उपभोक्ताओं को वस्तुओं के अधिक मूल्यों से बचाने के लिये क्या उपाया कर रही है।

श्री के० आर० गणेश : इनका तात्पर्य यह है कि जो कुछ इन्होंने कहा है मैं उस सबका उत्तर दूं।

Shri Madhu Limaye : Sir, we have raised certain questions. The hon. Minister should give a reply to them.

Mr. Chairman : The Minister has not concluded his reply.

Only after the concluded, you can say that your questining have not been reprinted to.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय लिखा लिखाया उत्तर पढ़ रहे हैं। सभापति महोदय नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिये समय निर्धारित करें। हम इसके लिये तैयार हैं।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य जितना समय चाहें ले सकतें हैं जिसे जो चाहें कह सकतें हैं परन्तु यदि हम कुछ कहते हैं तो उन्हें आपति होती है। माननीय सदस्य ने बहुत सी बाते कही हैं। मेंरा उत्तर केवल उन कारणों तक सीमित है जो शेयरों के मूल्यों वृद्धि के लिये उतरदायी है।

हाल ही के 652 कम्पनीयों के एक अध्ययन के अनुसार मार्च और सितम्बर, 1973 में केवल 33 प्रतिशत कम्पनियों मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को समाप्त करने के लिये लाभांश घोषित कर पायीं और 38 प्रतिशत अपना लांभाश स्थिर रख सकी। 10 प्रतिशत ने लाभांश कम कर दिया और 19 प्रतिशत ने लाभांश समाप्त ही कर दिया। अतः यह कहना कठिन है कि जनता को हानि पहुंचाकर लाभांश की दर में वृद्धि कर दी गई है।

सभापति महोदय : मेरे पास एक नोट है जिसमें लिखा गया है सरकार की निति एकाधिकार वादियों के सम्मुख झुकती है और इस कारण यह स्थिती हुई है। मंत्री महोदय को इस बात का भी उत्तर देना चाहिये।

श्री के० आर० गणेश : सरकार की निती अधिकाधिक शेयर धारियों के पक्ष का समर्थन करती है। इसके साथ साथ मार्गदर्शी सिंद्धात, वित्तीय, संस्थानों के सम्बन्ध में सरकार की नीति आदि से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार यह नहीं चाहती कि कम्पनियां अधिकाधिक लाभ कमायें अपितु यह चाहती है कि लाभ का वितरण हो।

मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। इससे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कुछ कम्पनियों के लाभ में वृद्धि होगी। परन्तु इसके साथ ही मैंनें यह भी बताया है कि सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे प्रात: तक के लिये स्थगित हुई।

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार, 13 दिसम्बर, 1973/22 अग्रहायण 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई)

The Lok Sabha than adjourned till eleven of the clock on Thursday December, 13, 1973/Agrahayana 22, 1895 (Saka).

M/J(D)11LSS—490—1-63-74—GIPS